Secretary, Mr. Vinay Kohli, in his Ministry was talking to the press and he has been quoted in the 'Economic Times' as saying that the notification regarding decontrol would be issued by the Chemicals Ministry positively before the 15th of May. Today it is already 13th of May. I am raising this issue because the Minister obviously informed Parliament differently and the Joint Secretary in the Ministry has informed the press differently. Either the Minister is wrong or the Joint Secretary is wrong and the Parliament in this particular case is sought to be misled. So, I am asking the Minister to kindly clarify the position because it is a question of propriety and dignity of the Parliament of India.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): Madam, may I say that it was very kind of the hon. Member, when I met him this morning in the House, to have informed me that this item had appeared and he was going to raise it in the House? As soon as he told me, I inquired into this matter and the position is as follows:

This report which has appeared in the 'Economic Times' of today is from the Bombay Bureau of the Newspapers. It does not quote the Joint Secretary, but quotes the industry representative who has told the newspapers that the Joint Secretary had told them that a particular decision would be taken by the 15th of this month. Now, the fact of the matter is as follows:—

On the 11th of this month I met a delegation of the All-India Distillers Association, and at this meeting the concerned Joint Secretary was also present. I must say that neither myself nor, of course, the Joint Secretary at the meeting gave any such assurance. On the same day there was another meeting in which a delegation of the alcohol-based industries, met the Joint Secretary in his office. In this meeting, I learnt from enquiries, and I am satisfied with the enquiries, that the Joint Secretary gave no assurance. Let me say this now that no such decision, namely that a notification would be issued by the 15th of this month, has been taken.

Thank you.

RE. PRESS FREEDOM AND VIABILITY OF LANGUAGE PUBLICATIONS

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): I raise a matter of urgent importance regarding the Press freedom and the viability of language publications.

You know, Madam, English glossy magazines tend to corner all the advertisement revenue. I would like the Government to make a statement on the plagiarism indulged in by "INDIA TODAY" by lifting an article from a Tamil magazine, "NAKKEERAN" and publishing it as its own. Already language papers have a great disadvantage because of the Government's advertisement policy. Therefore, I would like the Government to investigate into this and make a report on the extent of criminality indulged in by "INDIA TODAY" in lifting the article wholesale from the Tamil magazine called "NAKKEERAN", regarding Veerappan, the sandalwood smuggler.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, the Government cannot do anything in the matter.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I am not asking the Government to do anthing. I am asking the Government to enquire into it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The aggrieved newspaper can always seek legal redress. Dr. Swamy may have his own scores to settle with "INDIA TODAY", but this is not the forum or it... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you yet. Mr. Shiv Pratap Mishra.

RE. ACCIDENT AT DADPUR AND GAURA RAILWAY CROSSINGS

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और इस सदन का ध्यान रेल मंत्रालय की लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । रेल मंत्रालय की लापरवाही के कारण कल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दादुपुर और गौरा रेलवे क्रासिंग पर नीलांचल एक्सप्रेस की चपेट में बारात से भरी एक जीप आ गई, जिसमें 12 लोगों की तुरन्त मृत्यु हो गई और दो लोग घायल पड़े हुए हैं । उस पर एक फाटकी भी बनी हुई है, लेकिन उसका दरवाजा कई बार लिखने के बावजूद भी अभी तक नहीं लगा है । मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो मर गये हैं, उनको मुआवजा दिया जाये और दूसरे जहां वह फाटकी नहीं लगी है, उसको तत्काल लगवाया जाए ।

RE. DEMAND OF INQUIRY INTO THE ASSASSINATION OF A HINDU RAKSHA SAMITI ACTIVIST AT DODA IN J&K

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : मैं आपके माध्यम से बहुत ही गम्भीर घटना की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के चार सांसद डोडा जिले की स्थिति पर विचार करने के लिए गये थे । हम लोगों ने आकर अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री जी को दी थी । उसके बाद हम को यह दुखनाक खबर मिली है कि हमारे वहां के विशिष्ट कार्यकर्ता जो हिन्दू रक्षा समिति का मंत्री था, सतीश भण्डारी और जिसने वहां हमारी सभा कराई थी, की हत्या कर दी गई । यह हत्या इतनी दर्दनाक है कि उस हत्या के कारण पूरा क्रिस्टवा बन्द है पूरा भदरवा बन्द है, जम्मु बन्द है । माननीय गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करता हूं कि इसके विशेष जांच कराकर एक रिपोर्ट यहां दें । व यहां के सांसद वहां जायेंगे वहां की स्थिति के निरीक्षण के लिये और उस निरीक्षण करने में जो मदद पहुँचायेगा, उसकी हत्या कर दी जायेगी, तो यह सरकार कैसे चलेगी, यह देश कैसे चलेगा ? मैं गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वह इसकी जांच कराकर यहां उत्तर देंगे ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, I will make enquiries into the matter and, if possible, because just one day is left. I will try to come before the House.

RE. SEIZURE OF ILLEGAL SOPHISTICATED ARMS AND AMMUNITION FROM A CONTAINER AT PRAGATI MAIDAN

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : पिछले दिनों प्रगति मैदान के कंटेनर डिपो से बाहर अमरिका की एक कम्पनी से सामान आया था दायर आर्म्स का, जो सोफिस्टकेटेड और माडर्न था, बहुत संख्या में बरामद हुआ है । मैं इस संबंध में गृह मंत्री जी से जानना चाहुगा कि इस सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? इस सदन में मैंने पहले भी यह बात उठाई थी ? इस सदन में मैंने पहले भी उठाया था और आपने निर्देश भी दिया था कि सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोचे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है । आतंकवादियों की गतिविधियां बढ रही हैं । बाहर से भारत की एक कम्पनी ने स्क्रप के नाम पर इतना सामान आयात किया है । इस संबंध में सरकार को चाहिए कि सदन को अवगत करे कि क्या स्थिति है । वह सामान ठीक है या नहीं और कौन सी कम्पनी ने मँगाया है और मंगाया है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यह दिल्ली का मामला है, बाहर का मामला नहीं है । दिल्ली में प्रगति मैदान का

मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में गृह मंत्री जी जरा ध्यान दें। कंटेनर डिपो पर बहुत सारा सामान स्क्रेप के नाम पर आया है और जिसकी रसीद भी बनी है। उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक क्या किया है, वस्तु स्थिति क्या है? सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि उसने क्या कार्यवाही की है।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, the whole thing is being investigated. Unless we get all the details, it will not be proper on my part to say anything about the investigation or to say at what stage it is.

RE. DELAY IN BROADCASTING THE NEWS ABOUT THE PASSING AWAY OF NOTED HINDI POET SHAMSHER BAHADUR

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि आल इंडिया रेडियो का पहला काम जनता को सूचना देना है। लेकिन हमारे आधुनिक साहित्य के शिखर और वरिष्ठ कवि शमशेर बहादुर जी का निधन कल 4 बजे सुबह अहमदाबाद के एक नरसिंग होम में हो गया। उनको साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी मिला था और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश में मिला था और उनको कबीर सम्मान भी मिला था। उनकी मृत्यु की सूचना रेडियो ने 12 घंटे बाद दी जब कि सूचना कई लोगों ने वहां पहुंचा दी थी, दिल्ली के संवाददाता ने पहूंचा दी थी और सूचना आ चुकी थी। 11 बजे यहां दिल्ली के संवाददाता ने कहा तो यह कहा गया कि हम सिर्फ अहमदाबाद के संवाददाता का ही समाचार देते हैं। अहमदाबाद रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर ने भी दिल्ली केन्द्र के निदेशक को फोन पर सूचना दी, लेकिन उसके समाचार को भी दिन भर प्रसारित नहीं किया गया। एसा क्यों हुआ? यहां पर सिर्फ यह रूल क्यों है कि अहमदाबाद के क्षेत्रीय संवाददाता का ही समाचार देंगे, तब ही रेडियो और दूरदर्शन प्रसारित करेंगे? वह संवाददाता दिल्ली में हैं। मैं चाहती हूं कि इस लापरवाही और उपेक्षा की जांच की जाये... (व्यवधान)।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, if we keep on linking things, I won't be able to run the House.

अब आप सिर्फ तारीफ कीजिए।

Mr. Hanumanthappa, I do respect your opinion, but the thing is....

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I will take only one minute. While associating with Veena Ji on the functioning of AIR, I would like to say that we have a radio station in our place. Its programmes cannot be heard anywhere. Even in my own place, I cannot listen to their programme. I brought this to the notice of the Information & Broadcasting Ministry. They are helpless. Why should they have a radio station at all, if the people in the same State and in the same district cannot hear its programmes? Why are they maintaining such a radio station? Nobody can listen to their programmes. Will the Minister, please, take note of it?

AN HON. MEMBER: You want it should be closed down?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: No, I do not want it to close down. If it has been opened, it should be useful to the people. People must be able to listen its programmes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumanthappa you have been specially allowed, because it is your birthday today. So, we have given it as a gift.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): महोदया, मैं भी इसी संदर्भ में कहना चाहती हूं जो बात माननी य वीणा जी ने कही है। मैं शमशेर बहादुर जी की कविता की दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं और रेडियो पर टिप्पणी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा था——

बात बोलेगी, हम नहीं,
भेंट होने की बात थी।

[श्री ति स ल मी श्वरी]

इस टिप्पणी के साथ मैं कहना चाहती हूं और आशा करती हूं कि हिन्दी के इतने बड़े कवि जिन्होंने हिन्दी साहित्य का अध्ययन रचा था, इतने बड़े कवि के प्रति हमारे मिडिया ने उपेक्षा का रवैया अपनाया मैं समझती हूं कि यह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री इस तरफ ध्यान दें और आगे ऐसी लापरवाही न करें।

विपक्ष के नेता (श्री सिकंदर बख्त) : मेडम, आज हनुमान प्पा जी का बर्थ डे है। सब की तरफ से उनको मुबारकबाद होना चाहिए, आपकी तरफ से भी होनी चाहिए।

†نیتا ورودھی دل (شری سکندر بخت): میڈم آج ہنومنتھیا جی کا برتھ ڈے ہے۔ سب کی طرف سے ان کو مبارکباد ہونا چاہیے۔ آپ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔

उपसभापति : मैंने कह दिया है। I congratulated him on his birthday and have also given him a present by allowing him to speak.

श्री सिकंदर बख्त : बहुत बहुत मुबारकबाद।

†شری سکندر بخت: بہت بہت مبارکباد۔

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : हमारे एक और माननीय सदस्य श्री शिव चरण सिंह जी का भी आज जन्म दिन है।

उपसभापति : शिव चरण सिंह जी आपको भी मुबारक हो। पर प्रेजन्ट तो नहीं मांग रहे हैं ना?

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

STATUTORY RESOLUTIONS SEEKING APPROVAL OF THE CONTINUANCE IN FORCE OF PRESIDENTS PROCLAMATIONS UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO (1) UTTAR PRADESH, (2) MADHYA PRADESH, (3) RAJASTHAN AND (4) HIMACHAL PRADESH.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up Statutory Resolutions. Shri S. B. Chavan.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam Deputy Chairman,...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभापति : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस विषय में है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी विषय में है।

महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो परिनियम और संकल्प मध्य प्रदेश के संबंध में है, उसके संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राष्ट्रपति जी ने जो उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, 15 दिसम्बर, 1992 को जारी की थी, उस उद्घोषणा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था और उसने इसके कारण दिये थे, जिन पर जाने की इस समय आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि आमतौर पर जो न्यायालय का आदेश और निर्णय है, सरकार उसको मानती है, इसलिये जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसको सरकार को मान लेना चाहिए। जब मध्य प्रदेश...

उपसभापति: यह तो आप जब इस पर बोलेंगे तब बोल दीजिए। यह... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह परिनियम और संकल्प जो है, यह प्रस्तुत ही नहीं

किया जा सकता है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश के संबंध में जो परिनियम और संकल्प गृह मंत्री जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है और इसके मैं कारण बता रहा हूं। जो उदघोषणा राष्ट्रपति जी ने जारी की थी, 15 दिसम्बर, 1993 को मध्य प्रदेश के संबंध में, उस राष्ट्रपति की उद्घोषणा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध करार देकर उसको निरस्त कर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश के संबंध में यह परिनियम और संकल्प गृह मंत्री जी प्रस्तुत नहीं कर सकते।... (व्यवधान)

उपसभापति : मंत्री जो जवाब देंगे।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, in the case of Madhya Pradesh, the judgement given by the Jabalpur Bench of the Madhya Pradesh High Court has been stayed by the Supreme Court and there is no bar in extending the President's rule as we are doing it in the case of the other States also.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It may not be illegal. But it is irregular and improper.

श्री हेच० हनुमन्तप्पा : भाषण में बोलिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसको ही छोटा सा भाषण मान लीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Since the Supreme Court has given the stay order, let us do the proper business.

SHRI SIKANDER BAKHT: Madam, it does not mean that they have negatived the judgement of the Jabalpur Bench of the Madhya Pradesh High Court.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even if it is in the Supreme Court, we have to give our approval for extension of President's rule. Home Minister boliye... (*Interruptions*)...

जब आप बोलें तब आप आर्ग्युमेंट दीजिए। मैं कहां आपको मना कर रही हूं।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I move the following Resolution:—

"That this House approves the continuance in force of the proclamation issued by the President on the 6th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, for a further period of six months with effect from the 6th June, 1993."... (*Interruptions*)...

उपसभापति : आप बैठिए ना। भाषण में यह बात बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी का टाइम है।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I move the following Resolution:—

"That this House approves the continuance in force of the proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Madhya Pradesh, for a further period of six months iwth effect from the 15th June, 1993."

Madam, I move the following Resolution:

"That this House approves the continuance in force of the proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Rajasthan, for a further period of six months with effect from the 15th June, 1993."

Madam, I move the following Resolution:—

"That this House approves the continuance in force of the proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Himachal Pradesh, for a further period of six months with effect from the 15th June, 1993."

As the House is aware, the President was pleased to issue a proclamation under article 356 of the Constitution imposing President's rule in Uttar Pradesh on 6th

[Shri S. B. Chavan]

December, 1992. Similar proclamations were issued on 15th December, 1992 in respect of the States of Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. The Legislative Assemblies of all the four States have been dissolved.

The proclamations imposing President's rule in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan were approved by this august House on the 21st December, 1992 and on 23rd December, 1992 by the Lok Sabha. The proclamation in relation to the State of Uttar Pradesh shall cease to operate on 5.6.1993 whereas the proclamations in relation to the States of Madhya Padesh, Himachal Pradesh and Rajasthan shall cease to operate on 14.6.1993. As the hon. Members are aware, under clause (4) of article 356 of the Constitution, a Proclamation issued by the President and duly approved by the Parliament shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of six months from the date of issue of the Proclamation, provided that if and so often as a Resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both the Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of six months from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate.

We have made a careful and critical assessment of the situation prevailing in these four States to determine if elections could be held without any further extension of the period of President's rule. It is found that the internal security and the law and order situation in these States, though under control, is still fragile. As the hon. Members are aware, the Ayodhya incident of 6th December, 1992 had triggered off a chain reaction in various parts of the country including in these four States. This had resulted not only in loss of lives and properties but also in a general heightening of the communal tension. Following the imposition of President's rule in these States and the decision of the Union Government to ban certain communal organisations, the fall out of the Ayodhya incident was contained by firm action against communal and fundamentalist elemehts from both the communities. There forces are presently lying low and have not been altogether curbed. It is our assessment that, in the event of elections being held in these States in the immediate future, communal passions woud inevitably be aroused by political parties leading to confrontation and clashes between the communities. The communal divide created by the riots had left deep scars on the psyche of the people. While sincere efforts are being continuously made to repair the damage and bridge the divide, any announcement of holding elections at this juncture is bound to cause a set-back to the process of normalisation which has been set in motion by the administration of these States.

The process of toning up of the administration and purging the administrative set-up of certain communal elements which had taken roots has been initiated in right earnest in these States and it would require some time before the same is completed.

In view of the obtaining position, as briefly described by me, it is our honest assessment that the process of normalisation and consolidation in these States should not be allowed to be affected in the middle by diverting popular attention to the electoral process. Besides, the very process of electioneering, in the event of elections being announced, would most certainly arouse and incite communal passions which could pose a grave threat to the still delicate communal situation in these States.

We, therefore, propose that President's rule in these States may be continued for a further period of six months with effect from 6th June 1993 in respect of Uttar Pradesh and 15th June 1993 in respect of Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan.

I would like to assure hon. Members that restoration of popular rule in these States shall not be delayed a day longer than what is absolutely necessray.

I solicit the approval of this august House to the Resolutions moved by me.

The questions

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are four amendments by Shri S. S. Bhandari. I would ask him to move them without speaking on them.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि--

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संकल्प सँख्या 1 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "तीन माह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(iii) राजस्थान राज्य के संबंध में संकल्प संख्या 3 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "तीन माह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संकल्प संख्या 4 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "तीन माह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

उपसभापति महोदया, मैं अपने संशोधन क्रमांक (i), (iii) और (iv) मूव कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के संबंध में पहला, राजस्थान के संबंध में तीसरा और हिमाचल प्रदेश के संबंध में चौथा। मेरा दूसरा संशोधन, मालवीय जी ने अभी जिस पर आपत्ति उठाई है, मैं सही मानता हूं कि जबलपुर हाई कोर्ट का जजमेंट क्वेश न होने तक केवल स्टे दिया गया है। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट के बारे में अपनी राय देगी केन्द्र सरकार बाध्य है वहां पर उस जजमेंट को कार्यान्वित कराने के लिए और इसी आधार पर मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं --

(v) That in the Resolution No. 4 regarding the State of Himachal Pradesh, for the words "six months", the words "two months" be substituted.

(vi) That at the end of the said Resolution, the following be added; namely:--

"and recommends that elections to the State Legislative Assembly shall be held before the expiry of the said period of two months."

एक तो यह जो प्रस्ताव में राष्ट्रपति शासन के लिए 6 महीने का और समय मांगा है मैं चाहता हूं कि उस समय को कम करके केवल दो महीने रखा जा। वैसे तो गृह मंत्री जी वहां खुद हो करके आये हैं ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन वहां न तो पहले खराब थी और न अब है। वहां तो तुरंत चुनाव हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं यह समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा एक संशोधन यह है कि समय ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, वहां तुरन्त चुनाव करवाये जाएं। दो महीने का समय ज्यादा है। फिर सरकार को यह निर्देश दें कि वह किसी भी प्रकार से इसमें और देरी न करके और इस समय के अंदर ही वे चुनाव करवायें जायें। मैं यह दोनों संशोधन इस प्रस्ताव के अंदर प्रस्तुत करता हूं।

उपसभापति : श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी के चार अमेंडमेंट हैं, हर एक रिजोल्यूशन पर एक। तो आप मूव कर दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में संकल्प संख्या 1 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "एक माह" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जाएं।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

(ii) "मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 2 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "एक माह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

(iii) "राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में संकल्प संख्या 3 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "एक माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।"

(iv) "हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संकल्प संख्या 4 में "छः माह" शब्दों के स्थान पर "एक माह शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, all the amendments are moved. Now, we will have the discussion started. Shri Sunder Singh Bhandari.

आपके 22 मिनट हैं पार्टी के टाइम के, आपके यहां से सिर्फ दो नाम दिये हैं। समय की कमी है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप समय की सीमा में ही बोलें। 22 मिनट में एक बोलें या दो बोलें। कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : सारा समय भंडारी जी का है।

उपसभापति : 22 मिनट में अकेले बोलें हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति महोदया, सरकार की तरफ से 6 महीने का समय और बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव है उसमें नया कोई कारण नहीं है। जल्दबाजी के अंतर्गत जो इन राज्य सरकारों और विधान सभाओं को भंग करने के लिए कदम उठाया गया था, एक पूरा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई आधार या कोई नई सूचना वहां की परिस्थितियों के सम्बन्ध में नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि वहां की सरकार संवैधानिक तरीके से अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रही थीं। ऐसा कोई तर्क न उस समय दिया गया न आज दिया गया है। उस समय के दिये गये तर्कों के आधार पर मैं तो केवल जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले के कुछ अंश ही यहां पर पढ़ना चाहूँगा बिना किसी टिप्पणी के। मैं कोट करता हूं। पैराग्राफ 24 में कोर्ट ने कहा है :

"The Union of India has not been able to support on any material produced before us the imposition of the President's rule only in the States ruled by the Bhartiya Janata Party."

पैराग्राफ 25 में कहा है :

"There was no occasion to raise any inference of failure of constitutional machinery under article 365 of the Constitution because there were no Central directives which were disobeyed or disrespected by the State of Madhya Pradesh. In the report of the Governor, there is no specification of alleged deeds or misdeeds of the State Government in meeting the law and order situation in the State."

पैराग्राफ 26 मे कहा है :

"Incapacity or helplessness of a State to meet a threat to public order or peace is not a permissible ground unless it results in non-functioning of the Government in the State."

और उसी पैराग्राफ में है :

The learned commentator, Mr. Basu, in his Silver Jubilee Edition of his book-Commentary on the Constitution of India —Volume I at page 32, has the following comments to make.

"The broad category of improper use of the extra-ordinary power is where it is used for political purpose...

"...against a State Government which does not belong to the party in power at the Union or to secure the purpose of forming a Government of their own in a particular State taking advantage of fortuitous circumstances."

इसी के अन्त में इसीलिये कोर्ट ने इस प्राक्लेमेशन को वायड घोषित किया है।

In para 36 it is stated

"The entire proclamation in our opinion being based on the grounds not material and warranted for invoking the extraordinary powers of the President under Article 356 of the Constitution, a proclamation and along with the action of dissolving the Assembly should fall with it."

In para 37 they say

"The Presidential proclamation dated 15.12.92 is hereby quashed all consequential effects thereon shall follow."

मैं समझता हूं कि अदालत की इस स्ट्रिक्चर के बाद सरकार की जो नीयत रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भंग करने की और विधान सभाओं को भंग करने की, इससे ज्यादा मुझे अपनी तरफ से कहने की जरूरत नहीं है।

इन सरकारों के भंग होने के बाद भी मुझे अच्छी तरह से याद है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और शुरू-शुरू में मध्य प्रदेश के भी कांग्रेस के नेताओं ने जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की मांग की थी। अभी तक, कल तक वहां के गवर्नर भी यही कहते रहे हैं कि सिचुएशन पोलिटिकल दृष्टि से, ला एंड आर्डर की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। हां उन्होंने यह जरूर कहा है कि अभी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। उनका कहना है कि शायद अभी तक राम का असर खत्म नहीं हुआ है और वह तब तक इंतजार करेंगे चुनाव कराने के लिये जब तक राम का असर लोगों के दिमाग से खत्म नहीं होता।

अब मैं नहीं जानता कि कितने छह महीने यह केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए लेना चाहती है, लोगों के दिमाग से राम का असर खत्म करने के लिए। हमारी तो ऐसी मान्यता है कि हमारी समाज की लाखों पीढ़ियां बीत गईं, जो जिंदगी भर राम का नाम लेकर ही अपना सारा जीवन कार्य चलाती है, अपने जीवन को सदाचार और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्राप्त करती है और मैं नहीं समझता कि किसी भी लंबे से लंबे समय तक बढ़ाया जाने वाला राष्ट्रपति शासन इन राज्यों में से या हिन्दुस्तान भर में राम की महिमा को खत्म कर पायेगा।

आजकल धर्म का नाम और जोड़ा जा रहा है। अब धर्म के बारे में कानून बनाने की बातें हो रही हैं। सत्य बोलना धर्म है, चोरी न करना धर्म है, रिश्वत न लेना धर्म है, भ्रष्टाचार न करना धर्म है। धर्म पर कानून बनाकर क्या आप इन सब चीजों के लिये ओपन जनरल लाइसेंस देना चाहते हैं। तब तो बात समझ में आ सकती है कि आप हिन्दुस्तान के सर्व-साधारण जन-समाज को किस रास्ते पर बढ़ाना चाहते हैं। यहां धर्म मोड आफ वरशिप नहीं है, यहां धर्म कोड आफ कांडक्ट है और जिस देश में कोड आफ कांडक्ट पर कुठाराघात होगा, वह देश क्या, वह सारा समाज पाताल लोक में जाने के अतिरिक्त उसको कोई जगह नहीं बचेगी।

आज सिंगल प्वाइंट प्रोग्राम सरकारी पार्टी के लोगों ने चारों राज्यों में ले रखा है। इन गवर्नरों को बदलो, इनको हटाओ और गवर्नर भी आज वहां पर केवल एक काम कर रहे हैं—ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्ज का और यह बड़ा लुकरेटिव धंधा हो गया है और शायद इसलिये शिकायत है कि भागेदारी ठीक नहीं दे रहे यह लोग, यह गवर्नर, इसलिये इनको बदल कर दूसरे गवर्नर ले आओ। हमारी इच्छा से ले आओ ताकि जो धंधा आजकल चल रहा है, बड़ा फायदे का धंधा है, कोई काम-काज नहीं करना पड़ता और उसमें हिस्सेदारी मिलने लग जाय तो फिर यह दूसरे गवर्नर लाकर और यहां गवर्नर का राज चलाया जाय। मैं नहीं जानता केन्द्र सरकार क्यों अपने ही दल के लोगों की इस सद्इच्छा को कि ये चारों गवर्नर बदल दिए जायें इसमें इतनी देरी क्यों कर रही है, कम से कम एक धंधा तो ठीक ढंग से चालू हो जायेगा। उसको उन्हें शुरू करवा देना चाहिये।

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

काम क्या हो रहे है ? हिमाचल प्रदेश में कई आफिसर्ज के खिलाफ केसेज चल रहे थे और गवर्नर साहब ने इन सारे के सारे केसेज को विदा करवा दिया । क्यों करवाया ? राजस्थान में 13 म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन के खिलाफ करप्शन केसेज चल रहे हैं। एक नोटिफिकेशन से इन सारे 13 सस्पेंडेड म्युनिसिपल चेरमैन को, जिनके खिलाफ करप्शन के केसेज थे, बाय ए सिगल नोटिफिकेशन सब को री-इनस्टेट कर दिया गया । अदालत में मामला गया और वे सारे के सारे री-इनस्टेट करने के आदेश स्टे हो गये । अब यह यही काम आजकल करने का बचा है ? वहां के तीन वाइस चांसलर को रिमूव कर दिया राजस्थान के गवर्नर ने, चौथे वाइस चांसलर को चार्टशीट दिया है । हिमाचल प्रदेश की हिमाचल यूनिवर्सिटी के दो मेंबर जो बी.जे.पी. के थे, उनको हटाकर दो कांग्रेस के मेंबरों को रख दिया गया है । साफ - साफ है कि आज आप क्या करवाना चाहते हैं ? क्या वहां पर यही शासन है ? अगर इसी तरह का शासन चलना है तो फिर इस गवर्नर शासन में कौन सी व्यवस्थायें सुधरेंगी इसका हिसाब लगाना चाहिये ? राजस्थान में खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री मानिक सुराना को हटा दिया गया । उन्होंने केस लड़ा और कोर्ट से उनको फिर री-इनस्टेट कर दिया । अब यह गवर्नर का काम केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज के आधार पर अगर यही करना रह गया है तो फिर यह विचार करने की बात है ? यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं । कई इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं । रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्ज चीफ मिनिस्टर्ज बैठते हैं। (**व्यवधान**) मेरा समय अगर मुझे मिल जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

I am prepared to surrender. Madam, I am prepared to surrender if you allow me time.

उपसभापति : क्या बात है ? आप क्या कह रहे हैं ?... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): राजस्थान में खादी बोर्ड का चेयरमैन क्या इलेक्टड रिप्रेजेंटेटिव था, यह मैं जानना चाहता हूं ? ... (**व्यवधान**) राजस्थान के खादी बोर्ड का चेयरमैन क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था ?... (**व्यवधान**)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उन्हीं के ऊपर क्यों आपको आपत्ति आ गई ?... (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इलेक्टेड को हटा दिया गया ? ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : नहीं, वह खाली यह पूछ रहे हैं कि क्या वह इलेक्टेड थे । (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : जो आपने कहा कि इलेक्टड रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या राजस्थान खादी बोर्ड के चेयरमैन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ?

श्री सुदर सिंह भंडारी : नोमिनेटेड थे । हटा दिया गया और इसीलिये कोर्ट ने उनको री-इनस्टेट किया । ... (**व्यवधान**) वह सारे हटा दिये गये । ... (**व्यवधान**)

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, Yadavji is a socialist but they are fundamentalists.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मुझे यही निवेदन करना है कि जो इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बीच में जिन बातों पर चर्चा हो रही है, इन सरकारों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पहले कोई फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिये । यहां पर मैं राजस्थान के गवर्नर को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने

उस फाईनल एग्रीमेंट पर दस्तख्त करने के लिये मना कर दिया । उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेगा । नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स जाया करते थे, गवर्नर इज नो सब्स्टीट्यूड फार दीज काउंसिल्स, इसलिये चुनी हुई सरकारों के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही इन सवालों पर फैसला होना चाहिये, इन सवालों पर विचार किया जाना चाहिये । उप सभापति जी, उत्तर प्रदेश में कई मामले इस समय बीच में अटक गये हैं जिनमें उत्तरांचल का एक सवाल है जिसे कि वहां की सरकार ने प्रस्तावित करके आपको भेजा हुआ है और आपकी आपत्तियों के जवाब भी वह दे चुके हैं जुलाई, 1992 में, मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को आज जब कि वहां गवर्नर का शासन है, कम से कम अब तो जब वॉल केन्द्र के कोर्ट में हैं, इस उत्तरांचल के गठन के सवाल पर जल्दी कार्यवाही शुरू करनी चाहिये ।

उपसभापति जी, इन दिनों यह एक आदत बन गयी हैं गवर्नर्स के शासन में कि पिछले चार महीनों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस संबंध में गवर्नर्स के फोटों सहित अखबारों में फुलपेज एडवर्टाइजमेंटस आ रहे हैं । शायद चीफ मिनिस्टर्स भी इस काम को करते हुये शरमा जाते होंगे, तो आजकल गवर्नर की पोस्ट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट में अगर अन्तर न रखा गया और उनके सारे कोड आफ बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिये यहां से गाइड लाइन्स नहीं दी गयी तो मेरा ऐसा मत है कि शायद फिर यह अच्छी परम्परा नहीं होगी ।

उपसभापति जी, हिमाचल की रायल्टी का सवाल सरकार के पास पेंडिंग है । उनकी वाजिब मांग है कि अगर बिजली और पानी हिमाचल से लिया जा रहा है, दूसरे स्टेट को उसका फायदा मिल रहा है तो जिस प्रकार दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस का एडवांटेज स्टेटस को मिलता है, हिमाचल को भी रॉयल्टी का पैसा मिलना चाहिये । उपसभापति जी, वहां पर कई वेलफेयर स्कीम्स चल रही थीं । हां, बी०जे०पी० की शांता कुमार सरकार ने उनको चालू किया था और उन स्कीम्स का अगर यही कुसूर है कि ये शांता कुमार की स्कीम्स है इसीलिये उनको स्क्रैप कर दिया गया तो यह तो अन्याय होगा । आप होम मिनिस्ट्री में उन्हें दोबारा एक्जामिन करवा लीजिये अगर उसमें कोई सोशल डिस्पैरिटी निर्मित हुई हो तो उसको रुकवा दीजिये, लेकिन जिन वेलफेयर स्कीम्स से सोशल डवलपमेंट होता है, जिन योजनाओं से समाज को फायदा होता है, उनको तो चालू रखिये, उनको समाप्त मत करवाइए । उपसभापति जी, वहां पर पालमपुर में इसी प्रकार एक 700 बेड के नये हास्पीटल और मैडिकल कालेज की नींव रखी जा चुकी थी अब उस बिल्डिंग का क्या कुसूर है वह तो सांप्रदायिकता और रॉयट्स पैदा नहीं करती। सरकार भंग हुई तो उसका काम रोक दिया गया और उस इलाके के लोग आज उस 700 बेड्स वाले हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज की सुविधा से वंचित हो गए। उपसभापति जी, एक उन्होंने स्कीम बनायी थी, "गांव भी अपना, काम भी अपना" । अब इसमें तो कहीं दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुकर्जी का नाम नहीं है, लेकिन गांव भी अपना काम भी अपना, इस स्कीम का नाम बदलकर "विकास कार्यों में जन-सहयोग" कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नाम से चालू हुई योजनाएं क्या सरकारें बदलने के कारण बदलेंगी और अगर इसको इसी कांइन में पे करने का प्रयत्न किया गया तो क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, इसका अंदाजा लगाइए? फिर ऐसी सभी योजनाओं के बारे में जो किसी-न किसी नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में पुनः विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इन परंपराओं को प्रारंभ करने का अवसर मत दीजिए। चुनी हुई सरकारों

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

के चले जाने के बाद डवलपमेंट के काम, प्लान के कम्पलीशन के काम कई जगह रुक गए हैं। अकेले राजस्थान में 38 करोड़ रुपया लैप्स हो गया प्लान का। बीकानेर, जोधपुर के पावर प्रोजेक्ट का काम ठण्डा हो गया। मथानिया का सोलार एनर्जी प्लांट, जिसको शुरू करने का फैसला हो गया था, वह अभी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है। राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बना था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का और जिसमें वर्ष 1991–92 में 1800 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, 1992–93 के नवम्बर महीने तक भी 700 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, वह कैपिटल इन्वेस्टमेंट का काम भी बंद हो गया। आप पार्टियों के खिलाफ तो कदम उठाइए, मगर इलाके के डेवलपमेंट के काम को रोकिए नहीं। गवर्नर शासन में इन योजनाओं के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना अगर नहीं हो रहा है तो आपको कोई मैकेनिज्म इवोल्व करना चाहिए और अपनी यहां की सत्ता को थोपे रखने के प्रयत्न में कुछ पुनर्विचार अवश्य होना चाहिए।

मैडम, मैंने यहां पर छोटे खनिजों का सवाल भी उठाया था। आपका फोरेस्ट और एनवायरमेंट विभाग इन छोटे-छोटे माइन्स से आने भी दिल्ली आकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट मांगता है और चाहता है कि जो फारेस्ट एरिया है उसके चारों तरफ पांच किलोमीटर तक कोई माइनिंग एक्टिविटि नहीं होनी चाहिए। अब फारेस्ट छोटा है, पांच किलोमीटर एरिया अगर आपने और जोड़ दिया तो पता नहीं माइनिंग कहां हो पाएगी। यह माइनिंग पहले स्टेट सब्जेक्ट था, फारेस्ट भी स्टेट सब्जेक्ट थे, उस समय से माइनिंग चल रही है और लाखों लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब यह कंकरेन्ट लिस्ट में आ गया है, सेंट्रल लिस्ट में आ गया है और इतने गहरे गड्डे, सौ-सौ फीट गहरे गड्डे हो गए हैं, लेकिन आपका फारेस्ट कंजरवेशन और एनवायरमेंट विभाग अब कहता है कि यहां खाने मत चलाओ। तो खाने कहां चलेंगी? खाने पोर्टेबल तो हैं नहीं कि खान को यहां से उठाकर वहां ले जाओ। दूसरी जमीन मिल सकती है। फारेस्ट वाले अगर वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं जंगल उगाने के मामले में, तो ऐसे कई स्थान हैं, जहां पर फारेस्टेशन का काम किया जा सकता है। अकेले अलवर जिले में 262 माइन्स रोक दी गई है। वहां 10,000 लोगों की रोजी छीन ली गई है। इसलिए इन सब बातों पर विचार होने की जरूरत है।

मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण परिषद के अंतर्गत 16000 गांव में स्कूल खोलने की योजना थी। इनमें 4000 खुल चुके थे, एक साल में 6000 करने का था। तो कम से कम यह 2000 स्कूलों को खुलवाने का काम चालू रखें। जिला पुनर्गठन का काम, जो कांग्रेस के समय में नौ साल पहले एक कमेटी बनाकर मध्यप्रदेश में 16 जिले और बनाने की बात हुई थी, उसे कार्यान्वित करवाइए। एडमिनिस्ट्रेशन की एफिसिएन्सि के लिए उसमें लाभ होगा। इसलिए इन कामों को हाथ में लेना चाहिए।

[उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रज़ी) पीठासीन हुए।]

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो योजनाएं प्रदेश के हित की हैं, जो समाज कल्याण की स्कीम हैं, जो कैपिटल एनवेस्टमेंट और लोगों को रोजगार देने वाली योजनाएं हैं, वह योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिएं। इसके लिए विशेष सुविधा ली जाए। जो यह आधारहीन राष्ट्रपति के शासन बढ़ाने वाले प्रस्ताव हैं, उनको आप वापस लीजिए। इन प्रस्तावों के आधार पर अब वहां पर राष्ट्रपति शासन को जारी रखने का कोई आधार नहीं बचा है। अभी भी समय है, 15 जून के पहले पहले आप इन राज्यों के चुनाव करवाइए। मनोवैज्ञानिक सुधार की दृष्टि से अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो राम तो रहेगा है राम कहने की

नौबत न आ जाए, इसको सावधानी बरतिए। इसी आधार पर मैं आपके इन प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो सरकारें भंग कर दी गई थीं, उनके चुनाव अभी न होने के पक्ष में और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में जो विधेयक आया है, उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष (सय्यद सिब्ते रज़ी) : 10 मिनट का समय है आपके लिए।

श्री शिव प्रताप मिश्र : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके सामने, मैं नहीं पूरा देश और दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें क्यों भंग की गईं। इसलिए मैं इसका विशलेषण करना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की जो घटना हुई अयोध्या में, जिसमें मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया, कुछ लोगों ने कहा कि पंडित नेहरू और मौलाना अबूल कलाम के काल से ही वहां नमाज़ नहीं अता होती थी और उससे नमाज़ का कोई संबंध नहीं था। ये लोग यह भूल गए कि उस ढांचे से राष्ट्र की मानसिकता कितनी जुड़ी हुई थी और राष्ट्र की मानसिकता जुड़ी होने के कारण जब वह ढांचा तोड़ा गया तो केवल अयोध्या में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में—पाकिस्तान में, बंगला देश में और दुनिया में, इसकी कितनी प्रतिक्रिया हुई, इससे हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। तो जो वह ढांचा तोड़ा गया और संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को रखा गया है और उसके तहत हमारे यहां किसी धर्म को क्षति न पहुंचाने का आश्वासन हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, उस ढांचे को तोड़ने से हमारे संविधान पर बहुत बड़ा आक्षेप हुआ था और मैं कह सकता हूं कि संविधान की अवहेलना हुई थी। उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, कानपुर में, बनारस में जो दंगे भड़के, बम्बई में जो दंगे भड़के, उससे भी हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं और उसमें कितने लोगों की हत्याएं हुईं, इससे भी हम हम लोग अनभिज्ञ नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही हमारे पूरे भारत की संस्कृति और सीमा-सुरक्षा की सीमा रहा है। जब भारत महाभारत काल के बाद छिन्न-भिन्न हो गया था, जब इसके अंग-भंग कलिंग, ये सब देश कहे जाते थे, जब इसका एकीकरण चाणक्य ने किया था चन्द्रगुप्त को लेकर, तब भी हमारे यहां जो बाह्य आक्रमण होते थे, वे उत्तर भारत में ही होते थे। तब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और मगध, ये सब एक ही भारत के खंड में गिने जाते थे। उस समय भी जितने आक्रमणकारी आते थे, उनका भी मुकाबला उत्तर प्रदेश से, मगध से और बिहार से ही होता था, यह भी मुझे गुप्तकाल के इतिहास के लेखों से ज्ञात होता है।

दत्वा रुद्धगति खसाधिपतये देवी ध्रुवस्वामिनी

यस्मात् खाण्डित साहसो निवृतः श्री पूर्णगुप्तः नृप

तस्मिन्नेव हिमालयेगिरि गुहां कोरनाम क्वणित किन्नरिन् गीयन्ते तव कार्तिकेय नगरे स्त्रीणाम् गणैः कीर्तयः।

तब भी जब यहां पर आक्रमण हुए हैं, उन आक्रमणों को रोकने के लिए यह उत्तर भारत ही सदा आगे रहा है और चन्द्रगुप्त के सेनापतित्व में जब जम्मू-कश्मीर में आक्रमण हुए थे, जो आज भी आक्रमण हो रहे हैं, जिससे आतंकवाद जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, भारत में फैला हुआ है और यहां की जनसंख्या और मानसिकता अस्त-व्यस्त हो गई है, उसका मुकाबला उस समय भी यहां हमारे उत्तर भारत की सैन्य-शक्ति से किया गया था और उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया था। और यहीं नहीं जब यहां पर शकों का आक्रमण हुआ था इसका भी हमें उल्लेख मिलता है।

[श्री शिवप्रताप मिश्र]

स्त्री वेषः निहृतः चन्द्रगुप्त शत्रो स्कंधावार शकपति वधायाऽगमत्।

जब यहां शकों ने आक्रमण किया और उन लोगों ने कहा कि ध्रुवस्वामिनी को हमारी अस्मिता और संस्कृति पर चोट देकर उनका अपहरण किया जाए। तो वही चन्द्रगुप्त ने स्त्री वेष में जाकर सत्पथी का वध कर दिया था। तब से हमारी काफी सुरक्षा बनी हुई है। मोहन जोंदड़ो और हड़प्पा जो सिन्धु घाटी की सभ्यता में आती हैं, उस समय से मैं जानता हूं कि यहां पर न कोई जांत थी, न कोई वर्ग था, यहां पर एक शिव की पूजा होती थी, उसका मतलब यह नहीं कि उस समय कुरान नहीं पढ़ा जाता था, तब कुरान था ही नहीं। उसके बाद मैं आगे भी देखता हूं कि रामायणकाल में भी कोई जांत-पांत की प्रथा नहीं थी।

"जांत-पांत पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई।"

उस समय वाल्मीकि जो थे, वह दस सम्प्रदाय से आते थे। लेकिन,

"उल्टा नाम जपत जग जाना,
बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना।"

और यही बात मैंने महाभारतकाल में भी देखी कि वहां जांत और धर्म तो एक ही था, तब इस्लाम था ही नहीं। तो जब इस्लाम आया तो उस समय भी कहा गया कि जांत-पांत नहीं था। श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा कि :

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टगुण कर्म विभागशः

और चार वर्णों को मैंने उत्पत्ति की है उनके गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और जो धर्म होता है,

नाऽसतो विद्यतेऽभावो नाऽभावो विद्यते सतः।

जो सत्य है उसमें असत्य को प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता और जो असत्य है उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। तो धर्म जो है—धारणीयतीत धर्म, जो धारण किया जाए सत्य को जानने के लिए, वही धर्म है और उस पर आचरण करना ही नीति-शास्त्र है। तो ईश्वर एक है। यह चाहे मैंने देखा वेदान्त में, चाहे मैंने देखा इसको वेद में। वेदों की इसकी कल्पना हिरण्यगर्भ की थी, वेदान्त में इसकी कल्पना ब्रह्म की थी और गीता में इसकी कल्पना साकार और निराकार दोनों रूपों में की थी। तो जिस तरह से कहा गया था कि...
(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : यह कौन सा विषय चल रहा है?

श्री शिव प्रताप मिश्र : यह चल रहा है वहां जिस कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। धर्मान्धता को बढ़ाकर इंसानों की जानों को खत्म किया गया, इंसानों को मारा गया और जिस लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कुंवर महेश्वर सिंह, उसकी बात मैं कर रहा हूं इस महा सदन में। समझ गए?

श्री महेश्वर सिंह : महाराष्ट्र और गुजरात को भूल गए?

श्री शिव प्रताप मिश्र : मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विषमता उस समय थी और जो मानसिकता उस समय शासन की थी, वह अभी पूरी निर्मूल नहीं हुई है। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि जो लोग इन दंगों में मारे गए थे उनको दो-दो लाख रुपये का मुआवजा हर परिवार को दिया जाएगा। फिर उसके बाद विकास की बातों को उन्होंने किया तथा कहा कि गढ़वाल जैसा आपका हिमाचल है, वहां पर जैसे वायुयान की बात परसों कर रहे थे, उस तरह से उसके विकास की बात चल रही है और अल्मोड़ा और हमारा जो उत्तराखंड है, उसके विकास की बात चल रही है और साथ-साथ वहां पर कानून व्यवस्था की भी बात चल रही है और सुरक्षा की भी बात चल रही है। वहां पर असुरक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे

माननीय गृह मंत्री जी जो इस समय सदन के नेता भी हैं, इन्ही के साथ राम लाल राही जी, जो भारत सरकार में उप गृह मंत्री हैं, वह सीतापुर के निवासी हैं। उनके सामने पुलिस ने उनके दो लड़कों की जमकर पिटाई की और उन्हें बंद कर दिया। वह कह रहे थे कि मैं गृह मंत्री हूं, तो उन्हें कहा गया था कि चुप रहो, यह बड़ा अपराधी है। तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जो मानसिकता, उच्छृंखलता और अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, अभी उसका उन्मूलन नहीं हुआ है। तो वहां जो विकास की बात हो रही थी.... **(व्यवधान)**

श्री महेश्वर सिंह : और हिमाचल में क्या नहीं हुआ?

श्री शिव प्रताप मिश्र : हिमाचल में तो विकास चल रहा है। वहां जाकर हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा करदी।

श्री महेश्वर सिंह : गवर्नर साहब ने क्या कहा था, हिमाचल में कानून और व्यवस्था ठीक हैं, उसके बारे में भी कुछ कह दीजिए।

श्री शिव प्रताप मिश्र : उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश पर और राज्यों के लोग बोलेंगे, लेकिन मैं उसी प्रदेश का निवासी हूं। वह देश का सबसे बड़ा प्रांत है। वह देश का सबसे बड़ा प्रांत है, वहां की सबसे ज्यादा आबादी है। तो वहां जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, मैं वहां के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिससे वहां की कानून-व्यवस्था ठीक हो सके, जिससे उसका आर्थिक विकास हो सके। महोदय, अभी जो वहां धर्म और संप्रदाय के नाम पर विष-वमन किया जा रहा है, क्या ऐसी हालत में वहां चुनाव कराना उचित होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी वहां चुनाव न कराया जाए तभी वहां शांति बनी रह सकती है। चुनाव का मतलब है निष्पक्ष चुनाव कराना।

भारतवर्ष में सबसे पहले गरीबों और हरिजनों के उत्थान का सिद्धांत कांग्रेस ने दिया लेकिन उन्होंने यह सिद्धांत जातिवाद का प्रचार करने के लिए नहीं दिया था। हमारे संविधान में भी कास्टलैस सोसायटी की रचना करने का संकल्प लिया गया था। इसको डा० अम्बेडकर ने लिया था लेकिन पहले भारतवर्ष में जहां चार जातियां थीं और कर्म से थीं वहां मंडल कमीशन ने भारतवर्ष को 4 हजार से अधिक जातियों में विभक्त कर दिया यह भी कर्म से नहीं जन्म से। यह कितनी घृणा की बात है कि भारतवर्ष को इतने दिन आजाद हुए हो गए लेकिन कहीं ब्राह्मण महासभा, कहीं वैश्य महासभा, कहीं शूद्र महासभा, कहीं अनुसूचित जाति-जनजाति महासभा दिखाई देती है। अरे, भारत कहां जाएगा?

हमारे संविधान में जातिविहीन समाज की रचना करने का संकल्प लिया गया था और अगर इनका वर्गीकरण किया गया था तो वह इसलिए कि इनका आर्थिक विकास हो सके, समाज में इनकी प्रतिष्ठा हो सके लेकिन आज इनका अपमान किया जा रहा है और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में... **(व्यवधान)**

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी 9 तारीख को मेरठ में वैश्य महासम्मेलन हुआ जिसमें आपके कुछ संसद सदस्य और मंत्री श्री केसरी जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर स्वयं सम्मिलित हुए। शर्म नहीं आती कांग्रेस को यह सब कहते हुए ... **(व्यवधान)** कौन बांटता है समाज को जाति के आधार पर... **(व्यवधान)**

श्री शिव प्रताप मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने परम मित्र को उत्तर देना चाहता हूं कि मैं इनके सिद्धांत का पालन करता हूं। पहले तो मैं किसी जाति में विश्वास नहीं रखता, मैं तो विश्वास रखता हूं भारत में और भारत की एक ही जाति थी जो एक ही शब्द से निकली थी। मैं वैदिक काल के

[श्री शिव प्रताप मिश्र]

सिद्धांत को मानता हूं। मैंने वेद का अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है कि–

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे,
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Plase try to conclude now.

श्री शिव प्रताप मिश्र : एक ही शब्द से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सोमपाल जी, आपके यहां जब ऋतंभरा जी की मीटिंग हुई थी, उसमें आपने हस्तक्षेप किया था? कल सीताराम जी ने वहां कहा कि वैश्य एक जाति नहीं है, एक संप्रदाय है। उन्होंने गीता के 18वें अध्याय के इस श्लोक को भी वहां पर उद्धृत किया था... **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : नये विनोबा भावे पैदा हुए हैं, सीताराम केसरी... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please conclude now.

श्री शिव प्रताप मिश्र : महोदय, हमारी सरकार ने जो मंदिर-मस्जिद का मुद्दा है उसे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। उसका निर्णय होने के बाद जब दो न्यास बन जाएं मंदिर और मस्जिद के, जो भारत के निवासियों की नसिकता मर्माहत हुई है, वह ठीक हो जाए, वहां पर कानून और व्यवस्था ठीक हो जाए, जब वहां पर विकास के जो संकल्प हैं वह आगे बढ़ जाएं, तब वहां चुनाव होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Obaidullah Khan Azmi. Your Party has been allotted 20 minutes. Please try to conclude within that time.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : मोहतरम, शुक्रिया :–

कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक

नै अबल ये मसजिद हूं, न तहजीब का फरजन्द।

बी०जे०पी० के जरिए बनाई गई चार रियासतों की हुकूमतों को बर्खास्त करके जिस सदन राज का निर्माण किया गया था, आज उसकी मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी की तजवीज पर मैं इजहारे ख्याल करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मोहतरम, जिन हालात के पेशेनजर और जिन वाक्यात के नतीजे में बी०जे०पी. की हुकूमतें तोड़ी गई थीं, हम ऐसा समझते थे कि कांग्रेस अपनी तवारिखी अकीदे का इजहार इस मुद्दत में जरूर करेगी और कुछ नहीं तो बाम से कम ख्वाबे महर देखने के लिए तयार हो जाएगी। मगर दलील और मंजर की अहमियत किताबों में चाहे जितनी भी हो, हकीकत की दुनिया में सच वही है जो दोनों आखें देखती हैं, हकीकत वही है जो आदमी महसूस करता है और सच्चाई वही है जो जिस्मो रूह पर गुजर जाती है। हुकूमतों के बर्खास्तगी से लेकर जिस घोर अंधेरे में आखें टटोल रही थीं और देख नहीं पा रही थीं वह अंधेरा लगता है अब और ज्यादा घनघोर होता जा रहा है। मुझे तो उम्मीद थी कि रात की स्याही घटेगी मगर अब उम्मीद को दामन आज आदमी पकड़कर चल रहा था कि उसे इंसाफ मिलेगा, जिस तरह मुल्क और कौम के सरमाये लूटे गए हैं, जिस तरह हिन्दुस्तान में सैक्युलरिज्म की बुनियादों को खोखला किया गया है, जिस तरह हिन्दू-मुस्लिम नफरत के जहर को पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की गई है, इन तामाम चीजों का तदारुक सदर राज में कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन जो लोग सैक्युलरिज्म की शमा लेकर नूरे लहर के आलंबरदार थे और दावेदार थे, सदर राज के जरिए

जब उनकी हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने बी०जे०पी० के मुकाबले में इस मुल्क में अत्याचार, नाइंसाफी, नफरत, तआस्सुब, फिरकापरस्ती का चौक्का और छक्का लगाना शुरू कर दिया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। उन्होंने सिर्फ अंधेरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि उम्मीद का, मोहोम का सहारा ऐसा हमसे छीन लिया कि जिस्मों रूह की अजीयतों में पूरे हिन्दुस्तान को मुतला करके रख दिया गया है। वक्त की अदालत में जब तवारीख की अदालत की कुर्सी पर तारीख बैठेगी तो एक ही फर्द जुर्म बी०जे०पी० और कांग्रेस दोनों पर साबित होगा। इसलिए कि दोनों के सियासी कारोबार में बड़ी ही कदरे मुश्तक पाई जाती है। एक जमात नफरत और तआफ्फुस का बारूद पूरे मुल्क में बिखेरता है तो दूसरी जमात दियासलाई के जरिए हिन्दुस्तान की तहजीब और परंपरा को फूंक देती है। वक्त की अदालत में इन दोनों का हिसाब जरूर होगा। एक ने 6 दिसम्बर को मस्जिद तोड़ दी तो दूसरे ने 7 दिसम्बर को मस्जिद ही की जगह पर मूर्ति स्थापना करवा दी। एक मस्जिद के मलबे को उखाड़कर ले गया तो दूसरा मस्जिद की जमीन पर चादर घेरकर नई मंदिर की तामीर में मसरूफ हो गया। अब यह जो 6 महीने के लिए सदर राज की तौसी हुई है, मैं इस नतीज पर पहुंचा हूं कि चूंकि मंदिर की तामीर अभी अधूरी है, इसलिए अब सदर राज की मुद्दत में 6 माह की तौसी करके पुलिस की घेराबंदी में सदर राज के अंदर पर्दे के पीछे नए मंदिर की पक्की दीवार बनाने में सरकार मशगूल है। इस नाटकबाजी की क्या जरूरत थी? ... **(व्यवधान)**

आपको तो कोई चीज क्या बताये। हम अंधे थे, अंधेरे में दूर की सूझती थी, चाहते थे कि आप रौशनी की सलाई से हमें आंखों का नूर दे दें, मगर अफसोस यह है कि आपने अंधेरे को इस कदर बढ़ा दिया है कि हमने हम्माम में ही नहीं बल्कि सरे रूह भी आपको बरहना भेंट किया। आपकी तो कोई चीज पोशीदा रह ही नहीं गई है, न नीयत आपकी पोशीदा रह गई है, न अमल आपको पोशीदा रह गया है। मामला तो यह है कि इस मुल्क में हिन्दू राष्ट्र कौन लायेगा अब बी०जे०पी० और कांग्रेस में इसकी रेस हो रही है। धीरे-धीरे कांग्रेस ने इस सेक्युलर को हिन्दू राष्ट्र की राह पर लगा दिया है। अब बी०जे०पी० ने मजबूत पकड़ के साथ हिन्दू एक्सप्लायटेशन में कामयाबी हासिल की तो आपने यह सोचा कि मस्जिद के अन्दर मूर्ति तो हमने रखवाई थी, शिलान्यास न हमने करवाया था, मस्जिद की जगह पर चबतरा हमने बनवाया था, बी०जे०पी० के लोग या आर एस एस के लोग 6 दिसम्बर को जब मस्जिद पर हमला कर रहे थे तो हमने उन पर रबड़ की गोलियां भी न चला कर उनके हाथों यह शर्मनाक हादसा कराया और उसके बाद उन्हें, खसूसी ट्रेनों, खसूसी बसों और विजय जलूसों के साथ बाइज्जत उनके घरों पर पहुंचाया तो जब यह सारा काम आप कर चुके तो आप मंदिर बनवाने के काम का अवसर उन्हें क्यों देंगे। पूरे मुल्क में आप हिन्दू राष्ट्र की जो लाइन लेकर शुरू से ही काम करते जा रहे हैं उसका सेहरा भी अपने सर लाने के लिये 6 दिसम्बर को मस्जिद टूट जाने के बाद सदर राज में एक तरफ आपका यह कहना है कि हमने बी०जे०पी० की गवर्नमेंट तोड़ी ताकि हिन्दू-मुसलमान जो नफरत बी०जे०पी० के द्वारा पैदा हुई उसको खत्म किया जा सके। बी०जे०पी० ने जब मस्जिद तोड़ दी उसको इंसाफ की राह से दो-दो चार की कहानी मुरक्कत की जा सके, यह कौन सा आपका इंसाफ है। सदर राज आप लाये इसलिये कि बी०जे०पी० ने मस्जिद तोड़ी मगर सदर राज में बाबरी मस्जिद की जमीन पर जिस नये मंदिर की तामीर हो रही है वह बी०जे०पी० करवा रही है, यह आप करवा रहे हैं? कुछ तो ईमानदारी का 40वां हिस्सा अगर बतौर खैरातोजकात आपके पास मौजूद है, कहीं ईमानदारी छिपी हुई है तो उस ईमानदारी को आप सामने लाइये। एक तरफ आप कहते हैं हम नफरत और साम्प्रदायिकता का माहौल खत्म करने के लिये सदर राज लगाये हुये हैं और दूसरी तरफ, एक हंगामें महसर

[मैलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी]

हो तो मैं भूलूं, सकड़ों बातों का रह-रह कर ख्याल आता है । एक पार्टी तो मस्जिद के मलवे को उठाकर ले गई और आप मस्जिद की जमीन पर चादर घेर कर मन्दिर की तामीर में मशरुफ हो गये और अब जो आपने 6 महीने का सदर राज बढ़ाया है शायद इसलिए कि आप मन्दिर का परमानेन्ट इलाज कर दें ताकि आपकी तारीख में यह बात तय हो जाए कि मस्जिद पर जो हमला आपने 1949 में किया था, नया मन्दिर बनवा कर आपने अपने उन नापाक मँसूबे की तकमील भी कर दी है । अब मैं आप से यह कहूँगा कि चारों रियासतों के अँदर जरा निगाह उठाकर देख लीजिए कि बीजेपी के जमाने में क्या हो रहा था, उससे ज्यादा बदतर आपने जमाने में हो रहा है या नहीं हो रहा है । जो जुल्म वह कर रहे थे वे जुल्म आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन 6 महीनों के अँदर सदर राज में आपने उन सूबों में कौन से सुधार पैदा किये हैं ? इस सदर राज में इन चार रियासतों के अंदर सरेआम रोजाना खसूसियत से अकल्लियतों की जानोमाल इज्जत और आबरू सब कुछ लुटी जाती हैं और आप मौनी बाबा बनकर देश की धरती पर इँसानियत को तबाह करने की तारीख मुरक्कत कर रहे हैं । आप याद रखिये कि अब हिन्दुस्तान में आप आखिरी मुगल बन गये हैं । आपके किरदार ने हिन्दुस्तान में आपको अगर आखिरी मुगल बना दिया है । इसके बाद आपकी हुकूमत की कहानी तारीख का एक वरक बनकर रह जायेगी और आजाद हिन्दुस्तान की तारीख का एक सियापाक कहलायेगी ।

हमें अफसोस है कि पूरे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसमें खसूसियत से उत्तर प्रदेश में जिसकी बुनियाद पर आपने बीजेपी की चारों सरकारों को तोड़ दिया था, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक निगाह आप डाल लीजिए कोई लूटे हुए, फूंके हुए लोगों का पुरसाने हाल नहीं रह गया है । अरे भाई, असेम्बलियां होती तो कम से कम लोग उसमें अपने, गुस्से का इजहार तो कर लेते । असेम्बली में, जो जुल्म हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं जो फिरकापरस्ती की हवा बह रही है उसके खिलाफ किसी न किसी तरह की अमली और सेक्यूलर कार्रवाई कराने के लिए अपनी जुबान तो खोलते । आपने सदर राज लगाकर इन सब चीजों का दरवाजा बँद कर रखा है । आप अखबारात के सफात हो उठाकर देख लीजए रोजाना सड़कों पर हादसात होते हैं या नहीं होते हैं ? सड़कें कई कई दिनों तक जाम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं ? लेकिन अलीगढ़ मुल्लिम युनिवर्सिटी में शमशाद मार्किट के नजदीक हादसाए और जाम के नतीजे पुलिस ने जिस बहसियानापन का मुजाहिरा किया है, युनिवर्सिटी के निहत्थे लड़कों पर गोलियां जो चलाई गई क्या वह आपके राज में नहीं चलाई गई ? क्या युनिवर्सिटी के लड़कों को सीने पर गोलियां मार मार करके आप लोगों ने भी वही शर्मनाक काम नहीं किया जिस शर्मनाक काम के नतीजे के तौर पर आपने बी0जे0पी0 की सरकारों को बर्खास्त किया ? यह दरँदगी और फिरकापरस्ती की बदतरीन मिसालों में से मुस्लिम युनिवर्सिटी के निहत्थे लड़कों पर पुलिस का गोली चलाना अपने आप में एक इंलाबी हैसियत रखता है । श्री राजेश पायलेट जो बड़े ही आबोताब के साथ अपने सेकुलर होने का ढिंढोरा पीटते हुए आये थे , उन्होंने एस0एस0पी0 को कोई सजा दी या नहीं दी, वह पूरा हिन्दुस्तान जानता हैं । एस0एच0ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही उन्होंने अलीगढ़ में नहीं की, हालांकि हजारों वादे उन्होंने किये । मुझे इस मौके पर गालिब का एक शेर याद आ रहा है। जो कांग्रेस के निक्कमेपन की नजर करता हूँ ।

तेरे वादे पर जिये हम,
इसे जान झुठ जाना,
खुशी से मर न जाते,
अगर एतबार होता ।

जो भी वादा आपने सेकुलेरिज्म को बचाने के लिए, इस मुल्क में फिरकापरस्ती को खत्म करके हमआहंगी पैदा करने के लिए किया, हम वायदे के बरत आपके कदम उठते रहे । सोने में सोहागा तो आप ने यह किया आपने कि अलीगढ़ के एस०पी० सीटी

को अलीगढ़ से बदल कर मऊनाथ भंजन भेज दिया जो कभी हमारे आजमगढ़ जिले का हिस्सा था । मऊनाथ भंजन मुस्लिम अक्सरियती का इलाका है और माजी में बदतरीन फिरकावाराना फसाद का शिकार बन चुका है, जहां पर मुसलमानों की बहुत बड़ी मईसत करघे के जरिये चल रही है, जिसे एक जमाने में जला कर राख कर दिया गया था जिसकी बेहतरीन साड़ियां मिल चलाने वाले शरमायदारों के आंखों में कांटा बन कर खटक रही है, जहां आपने अलीगढ़ एस०पी० सीटी को मऊनाथ भंजन इसलिए भेजा है कि वहां करघा समद को एक बार फिर राख के ढेर में तबदील कर दिया जाय, यही हालात आज पूरे उत्तर प्रदेश के हैं । तकरीबन कमोवेश भ्रष्टाचार और करप्शन के यही हालात मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हैं । आपने कहा कि फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए हमने सदर राज लगाया है। किस तरह आपने फिरकापरस्ती को खत्म किया। जिन जमातों को आप फिरकापरस्त कह रहे थे, जिन जमातों पर जिस नाटक के जरिये आपने प्रतिबन्ध लगाया, आपने उन जमातों के काम को तातुल में डालने की बात कही, क्या वे जमाते आज मुकय्यद बन कर हिन्दुस्तान में चल रही हैं या आजाद बन कर इस मुल्क में चल रही हैं ? क्या उन जमातों के कारोबार को आपने सेकुलेरिज्म के जरिये लगाम दी ? क्या उन जमातों को आपने तोड़कर रखा ? नहीं, उन जमातों ने जहां चाहा, जैसे चाहा, जो कुछ चाहा, वह किया और आप अपने निक्कमेपन का सबूत देते रहे । अलबत्ता उस जमात ने जब दिल्ली पर हमला किया, उस जमात ने जब दिल्ली में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो उस वक्त सवाल हिन्दुस्तान को बचाने का नहीं था । उस वक्त आपके सामने सवाल कांग्रेस को बचाने का था । कांग्रेस का बचाने के लिए 25 फरवरी को बोट क्लब पर कांग्रेस बचाओ, एक तारीख आपने बना दिया । काश, आप हिन्दुस्तान बचाओ तारीख भी बनाते । काश, आप हिन्दू-मुस्लिम हमआहंगी को भी तारीख बनाते । काश, आप इस मुल्क से करप्शन को खत्म करने की एक हिस्ट्री आप बनाते । काश, आप इस मुल्क में लोगों को इंसाफ और दियानतदारी का सबक सिखाने की हिस्ट्री बनाते । मगर यह हिस्ट्री बनाने के लिए आप कभी भी तैयार नहीं रहे, बल्कि माया के जाल में फंस कर आपने वह सब कुछ किया जो एक देश का लूटेरा करता है, जो एक देश का खुदगर्ज करता है । अलीगढ़ के एस०पी० सीटी को मऊनाथ भंजन भेज दिया गया है । उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का यही बुरा हाल है। अब तो वहां आपकी हुकूमत है। मुझे एक बात बताइये कि कितने लोग मरे इस मुल्क में । कितने औरतों की आबरू खराब हुई 6 दिसम्बर के बाद ? अब तो सब आपका सदर राज था । आपने फसाद में मरने वालों को, मुतासिर होने वालों को, फसाद में लूटे जाने वालों को, सम्पत्ति जिन लोगों की तोड़ी फोड़ी गई है उन लोगों को आपने मुआवजा देने का ऐलान किया था या नहीं किया था ? क्या आपने उन लोगों का मुआवजा दे दिया ? क्या आपने उनके जख्मों पर मरहम रख दिया ? क्या आपने यतीम बच्चों के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की जिन बच्चों के बाप हिन्दुस्तान में जुल्म और ज्यादती के जरिये कब्रिस्तान में पहुंच गये ? क्या उन बेवाओं की सरपरस्ती के लिए आपकी हुकूमत तैयार हुई जिन बहिनों का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ कसूर उनका यह था कि वे मुसलमानों के घर में पैदा हुई ।...या अक्कलियत फिरके से ताल्लुक रखते हैं । पूरा हिन्दुस्तान जलकर राख का ढेर बन गया मगर क्या आपने तसल्ली और तशफ्फी के लिये कोई अमली कार्रवाई की ? आपके तौर और तरीके बता रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ वही काम किया है जो काम पिछली सरकार ने करके जख्मों को कुरेदा था । आपने भी उन जख्मों को सड़ने और गलने का इहतमाम किया । उन जख्मों को खत्म करने के लिये आपने कोई काम नहीं किया । महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, अगर इन चार रियासतों के मुतअल्लिक़ मे की गुफ्तगू का जो मौजू है, उस गुफ्तगू से

[मैलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

जरा से अलग हटकर मैं यह कहना चाहता हूं कि मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए, यकीनी तौर पर उसकी जितनी मज्जमत की जाय वह कम है । बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि मुल्क के कानून में संशोधन करके 302 की सजा के जरिये बिल्कुल बीच चौराहे पर ऐसे मुजरिमों को कोड़े मारे जायें तो यह मुल्क और मुल्क की आवाम के हक में बेहतर होगा । मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका कानूनी हाथ दोहरा मयार अदा कर रहा है। मैमन बरदरान की तलाश करने के लिये पाकिस्तान तक आपके लंबे हाथ पहुंचे हुए हैं, ईरान तक आपके लंबे हाथ पहुंचे हुए हैं, इंगलिस्तान से आप मदद मांग रहे हैं । देश के अंदर अपराध करने वालों और जो हिन्दुस्तान को तोड़ने का काम करें यकीनी तौर पर जो तबाही और बरबादी करे, ऐसे लोगों को, ऐसे देश को तबाह करने वाले लोगों को जड़ से, बुनियाद से उखाड़ देना चाहिये, यह हम हिन्दुस्तानियों का अजीम और अहमतरीम फरीजा है । मगर मेरे दोस्त मुझे यह भी बतायें कि आपके कानून के हाथ जब पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं फिर बाल ठाकरे की गरदन तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं पहुंच रही है। जो आदमी इकबाली और इकरारी तौर पर एक मुजरिम की हैसियत से कह रहा है कि मुंबई के मुसलमानों को सबक सिखाने के लिये मैंने फसादात कराये हैं, बाबरी मस्जिद की ईंटों को अपने हाथ में लेकर कह रहा है कि बाबरी मस्जिद मैंने तबाह की है, मेरे शिव सैनिकों ने तबाही की है। एक आदमी जो अपने जुर्म का इकबाली मुजरिम बनकर कह रहा है तो आखिर क्या बात है कि हमारे होम मिनिस्टर के हाथ उस तक नहीं पहुंच रहे हैं ? क्या बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस सिलसिले में सेकुलरिज्म की रिवायत को जिंदा रखने के लिये, फिरकापरस्तों का खात्मा करने के लिये मर्दानगी का सबूत नहीं दे रहे हैं ? क्या बात है कि इस मुल्क का एक आदमी दनदना रहा है और वह आदमी इस मुल्क की मयसत पर असर-अंदाज हो रहा है वह आदमी इस मुल्क में लोगों की जिंदगी के फैसले एक अलग कोर्ट बनाकर कर रहा है ? वह पुलिस को निर्देश दे रहा है, वह अदालतों को निर्देश देने की बात कर रहा है और वह फिल्म इंडस्ट्री में किसकी फिल्म चलेगी और किसकी फिल्म नहीं चलेगी, अपने घर में बैठकर इसका फैसला देता है । क्या हम समझें कि आपकी पार्टी ने हिन्दुस्तान का वजीरे आजम अंदरूनी तौर पर बाल ठाकरे को बना दिया है ? क्या मैं समझूं कि आपकी पार्टी ने वजीरे दाखिला अंदरूनी तौर पर बाल ठाकरे को बना दिया है ? अरे भाई, कोई मुजरिम जात और पात की बुनियाद पर, अकीदे, धर्म और कर्म की बुनियाद पर नहीं पकड़ा जाता। मुजरिम उसके जुर्म की बुनियाद पर पकड़ा जाता है । वह देश टूट जाता है जो जाँति-पाँति को देखकर फैसला करता है । वह हुकूमत निकम्मी कहलाती है जो हुकूमत दीन, धर्म और अकीदे देखकर लोगों के फैसले करती है । हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां एक आदमी दनदना कर अखबारों में मैसेज देता है कि मैंने यह जुर्म किया है, मैंने मस्जिद तुड़वाई है, मैंने मुंबई में आग लगवाई है । जिसने दो-चार लाख लोगों को तबाह करवाया हो, जिसने उत्तर भारतीयों, झोपड़पट्टियों में रहने वाले इंसानों को मुंबई से अपने वतन में भागने के लिये मजबूर कर दिया हो, ऐसा इंसान जिसने भारत की बसी बसाई आबादियों को शरणार्थियों की तारीख बनाने पर मजबूर कर दिया हो, ऐसे इंसान पर आपका हाथ नहीं उठ रहा है। फिरकापरस्ती का मुकाबला करने, फिरकापरस्ती के खिलाफ बी०जे०पी० की चार रियासतों को बरखास्त करने पर आपने कहा था कि हम फिरकापरस्ती से लड़ने के लिये तैयार हैं। लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आती कि आज चीफ मिनिस्टर बाल ठाकरे से दरख्वास्त कर रहे हैं । बाल ठाकरे इस मुल्क के क्या हैं ? वहां पर चीफ मिनिस्टर की हुकूमत चल रही है या बाल ठाकरे की। संजय दत्त को आपने उठाकर पकड़ लिया और उसको टाडा में गिरफ्तार कर लिया । अदालत ने सफाई दी कि वह

टाडा का मुजरिम नहीं है । शुबहा की बुनियाद पर अच्छे-अच्छे और शरीफ इज्जतदार लोगों के साथ आप खेल रहे हैं मगर जो ओपन्ली चोरों की तरह सामने खड़ा है, जो ओपन्ली गुनहगार है, जो हिन्दुस्तान की आवाम की निगाह में मुजरिम की हैसियत रखता है उसके खिलाफ आपका कानून का हाथ क्यों नहीं जाता ? कौन सी सांठगांठ आपकी उसके साथ है ? कौन सा खुफिया समझौता उसके साथ है ? कौन सा दोस्ताना समझौता उसके साथ है ? कौन सी मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर मुल्क के दुश्मन उस बाल ठाकरे को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जिस ने देश के सुन्दर और बेहतरीन शहर को आग के ढेर के ऊपर खड़ा कर दिया है । याद रखियेगा कि

मुझे खाक करने वाले मेरी राख से
अगर कल कोई शोला जाग उठा,
तेरा आशियां जलेगा ।

ऐ मुझे मिटाने वाले, मेरी आह से अगर
कल कोई सुबह नौ जो फूटी
तो बता क्या तू करेगा ?

इसीलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ी ही तमतमाहट के साथ आप लोगों ने मुल्क के लिये बीड़ा उठाया फिरकापरस्ती से लड़ने का बीड़ा उठाया था । आपने अपने ही साथ रहने वाले सेकुलरिज्म की कद्र करने वालों की जिन्दगी को तबाह के मुकाम पर पहुँचा दिया । यह आपका अँदरूनी मामला है, आप जानें, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है । मगर आर०एस०एस० की खुली पालिसी चल रही है । आर०एस०एस० अपने प्रोग्राम पर अमल कर रहा है और छिप कर नहीं कर रहा है आपकी तरह, खुल-कर कर रहा है । अगर आप जुर्म को पहचानने की सलाहियत नहीं रखते तो आपको इन कुर्सियों पर बैठने का कोई हक नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी) : मेहरबानी करके आप अपनी तकरीर को मुख्तसर करें ।

मौलाना अबेदुल्ला खान आज़मी : वक्त हो गया तो मैं खत्म करता हूं ।

उपसभाध्यक्ष : (सैयद सिब्ते रजी) : हो गया है ।

मौलाना अबेदुल्ला खान आज़मी : ठीक है, एक मिनट और चाहूँगा । मैं अर्ज करूँगा कि जिस मकसद के लिए चारों बी०जे पी० की रियासतों की हकूमतों को आपने बर्खास्त किया था बजाय इसके कि जो तूफान इस मुल्क में आया था उस तूफान को आप रोक देते आपने उस तूफान में मजीद इज़ाफा किया । इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हिन्दुस्तान में अब आखिरी मुगल बन गये हैं और इसके बाद आपकी हकूमत की कहानी त्वारीख का एक सियाह बर्क बन कर रह जाएगी । मुझे अफसोस इसका नहीं है कि आप खत्म हो जाएंगे, आप तो अपने अमल से खत्म हो चुके हैं । मुझे तो नजर आ रहा है वह माया है गीता की जबान में, अब वह फरेबेनजर है । अफसोस तो इस बात का है कि आपने अपने साथ-साथ हिन्दुस्तान की अज़ीम अज़मत को खाक में मिला कर जाना चाहते हैं । इसलिए इसकी आज़ादी सालमियत हिन्दुस्तान का वक़ार सब कुछ आपने खतरे में डाल दिया है । इसका क्या होगा ? हमें तो यह गम खा रहा हैं क्योंकि इतनी बात तो हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की अक्कलियतों की तरक्की और खुशहाली उस मुल्क की मजबूती, आज़ादी और सेकुलर किरदार के अन्दर मुज़मिर हुआ करती है । इसलिए हम इस मुल्क के इतिहास और इसकी आज़ादी और खुशहाली के ख्वाह हैं । आप तो मिस्टर जिन्ना की तरह इसको अपने अना का मसला बनाए हुए हैं और अना का मसला बना कर इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं । अब तो कोई गांधी भी नजर नहीं आता जो अपने लहू से इस मुल्क के मुरझाए हुए

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

सेकुलर फूलों को सरसब्ज़ व शारदाब कर देता। इसलिए आपको मेरा मशविरा है कि अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अनाने हुकूमत खुदा के वास्ते मुल्क के सेकुलर जम्हूरी ताकतों को सौंप दीजिये और जाकर हिमालय की किसी गुफा में मौन धारण कर हिन्दुस्तानी आवाम को अपने आप से निजाम दीजिये। शुक्रिया।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی "اترپردیش"† :
محترم شکریہ۔

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
میں اب نہ یہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا پردہ

بی۔ جے۔ پی۔ کے ذریعے بنائی گئی چار ریاستوں کی حکومتوں کو برخاست کر کے جس صدر راج کو نافذ کیا گیا تھا۔ آج اس کی مدت میں مزید چھ ماہ کی توسیع کی تجویز پر اظہار خیال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔

محترم جن حالات کے پیش نظر اور جن واقعات کے نتیجے میں بی۔ جے۔ پی کی حکومتیں توڑی گئی تھیں۔ ہم ایسا سمجھتے تھے کہ کانگریس اپنی تواریخی مقصد کا اظہار اس مدت میں ضرور کرے گی۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیگی۔ مگر دلیل اور منطق کی اہمیت کتابوں میں چاہے جتنی بھی ہوں، حقیقت کی دنیا میں سچ وہی ہے۔ جو دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو آدمی محسوس کرتا ہے اور سچائی وہی جو جسم و روح پر گزر جاتی ہے۔ حکومتوں کی برخاستگی سے لیکر جس گھور اندھیرے میں آنکھیں ٹٹول رہی تھیں اور دیکھ نہیں پا رہی تھیں وہ اندھیرا لگتا ہے اب اور زیادہ گھنگھور ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو امید تھی کہ رات کی سیاہی گھٹے گی مگر اب امید کا دامن آج آدمی پکڑ کر چل رہا تھا کہ اسے انصاف ملے گا۔ جس طرح ملک اور قوم کے سرمائے لوٹے گئے ہیں جس طرح ہندوستان میں سیکولرازم کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا گیا ہے جس طرح ہندو مسلم نفرت کے زہر کو پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تدارک صدر راج میں کانگریس پارٹی کرے گی لیکن جو لوگ سیکولرازم کی شمع لیکر [illegible] کے علم بردار تھے اور [illegible] تھے۔ صدر راج کے ذریعے جب انکی حکومت آئی تو اس حکومت نے بی۔ جے۔ پی۔ کے مقابلے میں اس ملک میں اتنا چارہ ناانصافی نفرت، تعصب۔ فرقہ پرستی کا جو کالا اور [illegible] لگانا شروع کر دیا۔ اندھیرا اور بھی گہرا ہو گیا۔ انہوں نے صرف اندھیرا ہی نہیں بڑھایا۔ بلکہ امید کا۔ موہوم سہارا ایسا ہم سے چھین لیا کہ جسم و روح کی اذیتوں میں پورے ہندوستان کو مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ وقت کی عدالت

†[ ] Transliteration in Arabic script.

میں جب تواریخ کی کرسی پر تاریخ بیٹھے گی تو ایک ہی فرد جرم بی۔ جے۔ پی اور کانگریس دونوں پر ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ دونوں کے سیاسی کاروبار میں بڑی ہی قدریں مشترک پائی جاتی ہیں۔ ایک جماعت نفرت اور تعصب کا بارود پورے ملک میں بکھیرتا ہے۔ تو دوسری دیا سلائی کے ذریعے ہندوستان کی تہذیب اور پرمپرا کو پھونکے دیتی ہے۔ وقت کی عدالت میں ان دونوں کا حساب ضرور ہوگا۔ ایک نے ٦ دسمبر کو مسجد توڑی تو دوسرے نے ٧ دسمبر کو مسجد ہی کی جگہ پر مورتی استھاپنا کروادی۔ ایک مسجد کے ملبے کو اکھاڑ کر لے گیا تو دوسرا مسجد کی زمین پر چادر گھیر کر نئی مندر کی تعمیر میں مصروف ہوگیا۔ اب یہ جو ٦ مہینے کے لیے صدر راج کی توسیع ہوئی ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ چونکہ مندر کی تعمیر ابھی ادھوری ہے۔ اس لیے اب صدر راج کی مدت میں ٦ ماہ کی توسیع کرکے پولیس کی گھیرابندی میں صدر راج کے اندر پردے کے پیچھے نئے مندر کی پکی دیوار بنانے میں سرکار مصروف ہے۔ اس ناٹکبازی کی کیا ضرورت تھی ...

"مداخلت"...

آپ کو تو کوئی چیز کیا بتائیں۔ ہم اندھے تھے۔ اندھیرے میں دور کی سوجھتی تھی۔ چاہتے تھے کہ آپ روشنی کی سلائی سے ہمیں آنکھوں کا نور دے دیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آپ نے اندھیرے کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ ہم نے حمام میں ہی نہیں بلکہ سرراہ بھی آپ کو برہنہ بعینت کیا۔ آپ کی تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ گئی ہے۔ نہ نیت آپ کی پوشیدہ رہ گئی ہے۔ نہ عمل آپ کا پوشیدہ رہ گیا ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہندو راشٹر کون لائے گا اب بی۔ جے۔ پی اور کانگریس میں اس کی ریس ہو رہی ہے۔ دھیرے دھیرے کانگریس نے اس سیکولر ملک کو ہندو راشٹر کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ جب بی۔ جے۔ پی۔ نے مضبوط پکڑ کے ساتھ ہندو ایکتا [illegible] کا ... حاصل کی تو آپ نے یہ سوچا کہ مسجد کے اندر مورتی تو ہم نے رکھوائی تھی۔ شلانیاس تو ہم نے کروایا تھا۔ مسجد کی جگہ چبوترہ تو ہم نے بنوایا تھا۔ بی۔ جے۔ پی کے لوگ یا آر۔ ایس۔ ایس۔ کے لوگ ٦ دسمبر کو جب مسجد پر حملہ کر رہے تھے تو ہم نے ان پر ربڑ گولیاں بھی نہ چلا کر انکے ہاتھوں یہ شرمناک حادثہ کرایا اور اسکے بعد انہیں خصوصی ٹرینوں، خصوصی بسوں اور ویسے جلوسوں کے ساتھ باعزت انکے گھروں تک پہنچایا تو جب یہ سارا کام آپ کر چکے تو آپ مندر بنوانے کے کام کا ادھورا انہیں کیوں دے دیں گے۔ پورے ملک میں آپ

†[] Transliteration in Arabic script.

ہندو راشٹر کی لائن لیکر شروع سے کام کرتے جا رہے ہیں اس کا سہرا بھی اپنے سر لانے کیلئے ٦ دسمبر کو مسجد ٹوٹ جانے کے بعد صدر راج میں ایک طرف آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے بی۔ جے۔ پی کی گورنمنٹ توڑی تاکہ ہندو مسلمان جو نفرت بی۔ جے۔ پی کے دوارا پیدا ہوئی اس کو ختم کیا جا سکے۔ بی۔ جے۔ پی نے جب مسجد توڑ دی اس کو انصاف کی راہ سے دو چار کی کہانی مرتب کی جا سکے۔ یہ کون سا آپ کا انصاف ہے۔ صدر راج آپ لائے۔ اس لیے کہ بی۔ جے۔ پی نے مسجد توڑی مگر صدر راج میں بابری مسجد کی زمین پر جس نئے مندر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وہ بی۔ جے۔ پی کروا رہی ہے یا آپ کروا رہے ہیں۔ کچھ تو ایمانداری کا چالیسواں حصہ اگر بطور خیرات و زکوۃ آپ کے پاس موجود ہے۔ کہیں ایمانداری بچی ہوئی ہے تو اس ایمانداری کو سامنے لائیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نفرت اور سامپردایکتا کا ماحول ختم کرنے کے لیے صدر راج لگاتے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو میں بھولوں۔ سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کر خیال آتا ہے ایک پارٹی تو مسجد کے ملبے کو اٹھا کر لے گئی اور آپ مسجد کی زمین پر چادر گھیر کر مندر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے اور اب جو آپ نے ٦ مہینے کا صدر راج بڑھایا ہے۔ شاید اس لیے کہ آپ مندر کا پرماننٹ علاج کر دیں تاکہ آپ کی تاریخ میں یہ بات طے ہو جائے۔ کہ مسجد پر جو حملہ آپ نے ١٩٤٩ میں کیا تھا نیا مندر بنوا کر آپ نے اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل بھی کر دی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چاروں ریاستوں کے اندر ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ بی۔ جے۔ پی کے زمانہ میں کیا ہو رہا تھا اس سے زیادہ بدتر آپ کے زمانہ میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ جو ظلم وہ کر رہے تھے۔ وہ ظلم آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ان ٦ مہینوں کے اندر صدر راج میں آپ نے ان صوبوں میں کون سا سدھار پیدا کئے ہیں۔ اس صدر راج میں ان چار ریاستوں کے اندر سر عام روزانہ خصوصیت سے اقلیتوں کی جان و مال عزت و آبرو سب کچھ لوٹی جاتی ہے۔ اور آپ مونی بابا بن کر دیش کی دھرتی پر انسانیت کو تباہ کرنے کی تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اب ہندوستان میں آپ آخری مغل بن گئے ہیں۔ آپ کے کردار نے ہندوستان میں آپ کو اگر آخری مغل بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی حکومت کی کہانی تاریخ کا ایک ورق بن کر رہ جائیگی۔ اور جو آزاد ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب کہلائے گی۔ ہمیں افسوس ہے کہ پورے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خصوصیت سے

† [] Transliteration in Arabic script.

آپ میں ایک انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ شری راجیش پائلیٹ جو بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اپنے سیکولر ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے۔ ایس۔ ایس۔ پی۔ کو کوئی سزا دی یا نہیں دی وہ پورا ہندوستان جانتا ہے۔ ایس۔ ایچ۔ او۔ کے خلاف کوئی کارروائی انہوں نے علی گڑھ میں نہیں کی۔ حالانکہ ہزاروں وعدے انہوں نے کئے۔ مجھے اس موقع پر غالب کا ایک شعر یاد آرہا ہے۔ جو کانگریس کے مکتے پن کی مذمت کرتا ہوں۔

تیرے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا
کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا

جو بھی وعدہ آپ نے سیکولرازم کو بچانے کے لیے۔ اس ملک میں فرقہ پرستی کو ختم کرکے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا۔ ہم وعدے کے برعکس آپ کے قدم اٹھتے رہے۔ سونے پر سہاگہ تو آپ نے یہ کیا کہ علی گڑھ کے ایس۔ پی۔ سٹی کو علی گڑھ سے بدل کر میرٹھ بھیج دیا۔ جو کبھی ہمارے اعظم گڑھ کا ضلع کا حصہ تھا۔ مئوناتھ بھنجن مسلم اکثریتی کا علاقہ ہے اور ماضی میں بدترین فرقہ وارانہ فساد کا شکار ہو چکا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی معیشت کرگھے کے ذریعے چل رہی ہے جسے ایک زمانے میں جلاکر راکھ کر دیا گیا تھا۔ جس اتر پردیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک نگاہ آپ ڈال لیجیے کوئی لٹے ہوئے۔ پٹے ہوئے لوگوں کا پرسانِ حال نہیں رہ گیا ہے ارے بھائی اسمبلیاں بھی ہوتی تو کم سے کم لوگ اس میں اپنے غصہ کا اظہار تو کر لیتے۔ اسمبلی میں جو ظلم ہو رہے ہیں۔ فساد ہو رہے ہیں۔ جو فرقہ پرستی کی ہوا بہہ رہی ہے۔ اس کے خلاف کسی نہ کسی طرح کی عملی اور سیکولر کارروائی کرانے کیلئے اپنی زبان تو کھولیے۔ آپ نے صدر راج لگاکر ان سب چیزوں کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ آپ اخبارات کے صفحات کو اٹھاکر دیکھ لیجیے روزانہ سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں سڑکیں کئی کئی دنوں تک جام ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شاہد مارکیٹ کے نزدیک حادثہ اور جام ہونے کے نتیجہ میں پولیس نے جس وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے نہتے لڑکوں پر گولیاں جو چلائی گئیں کیا وہ آپ کے راج میں نہیں چلائی گئیں کیا یونیورسٹی کے لڑکوں کو سینے پر گولیاں مار مار کر کے آپ لوگوں نے بھی وہی شرمناک کام نہیں کیا جس شرمناک کام کے نتیجہ کے طور پر آپ نے بی۔ جے۔ پی کی سرکاروں کو برخاست کیا۔ یہ درندگی اور فرقہ پرستی کی بدترین مثالوں میں سے مسلم یونیورسٹی کے نہتے لڑکوں پر پولیس کا گولی چلانا اپنے

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کی بہترین ساڑیاں مل چلانے والے سرمایہ داروں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹک رہی ہے۔ جہاں آپ نے علی گڑھ ایس. پی. سنگھ کو سُونا تھ بھنجن اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں کرگھا صنعت کو ایک بار پھر راکھ کا ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے یہی حالات آج پورے اتر پردیش میں ہیں. تقریباً کم و بیش بھرشٹاچار اور کرپشن کے بھی حالات مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بھی ہیں۔ آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے صدر راج لگایا ہے۔ کس طرح آپ نے فرقہ پرستی کو ختم کیا۔ جن جماعتوں کو آپ فرقہ پرست کہہ رہے تھے۔ جن جماعتوں پر جس ناٹک کے ذریعے آپ نے پرتبندھ لگایا۔ آپ نے ان جماعتوں کے کام کو تعطل میں ڈالنے کی بات کہی۔ کیا وہ جماعت آج مقید بن کر ہندوستان میں چل رہی ہیں یا آزاد بن کر اس ملک میں چل رہی ہیں۔ کیا ان جماعتوں کے کاروبار کو آپ نے سیکولرازم کے ذریعے لگام دی۔ کیا ان جماعتوں کو آپ نے توڑ کر رکھا۔ نہیں ان جماعتوں نے جہاں چاہا جیسا چاہا۔ جو کچھ چاہا۔ وہ کیا اور آپ اپنے نکمے پن کا ثبوت دیتے رہے۔ البتہ اس جماعت نے جب دلّی پر حملہ کیا اس جماعت نے جب دلّی میں اپنی طاقت کا پردرشن کیا تو اس وقت سوال ہندوستان کو بچانے کا نہیں تھا۔ اس

وقت آپ کے سامنے سوال کانگریس کو بچانے کا تھا۔ کانگریس کو بچانے کے لیے ۲۵ فروری کو بوٹ کلب پر "کانگریس بچاؤ" ایک تاریخ آپ نے بنا دی۔ کاش آپ ہندوستان بچاؤ تاریخ بھی بناتے۔ کاش آپ ہندو مسلم ہم آہنگی کی بھی تاریخ بناتے۔ کاش آپ اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے کی ایک ہسٹری آپ بناتے۔ کاش آپ اس ملک میں لوگوں کو انصاف اور دیانتداری کا سبق سکھانے کی ہسٹری بناتے۔ مگر یہ ہسٹری بنانے کے لیے آپ کبھی بھی تیار نہیں رہے۔ بلکہ مایا کے جال میں پھنس کر آپ نے وہ سب کچھ کیا جو ایک دیش کا لٹیرا کرتا ہے۔ جو ایک دیش کا خود غرض کرتا ہے۔ علی گڑھ کے ایس. پی. سنگھ کو سُونا تھ بھنجن بھیج دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے ساتھ مدھیہ پردیش اور راجستھان کا بھی برا حال ہے۔ اب تو وہاں آپ کی حکومت ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے۔ کہ کتنے لوگ مرے اس ملک میں۔ کتنے عورتوں کی آبرو خراب ہوئی ۶ دسمبر کے بعد۔ اب تو سب آپ کا صدر راج تھا۔ آپ نے فساد میں مرنے والوں کو متاثر ہونے والوں کو۔ فساد میں لوٹے جانے والوں کو۔ بمبئی جن لوگوں کی توڑی پھوڑی گئی ہیں ان لوگوں کو آپ نے معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

اور ملک کی عوام کے حق میں بہتر ہوگا۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا قانونی ہاتھ دوہرا معیار ادا کر رہا ہے۔ یمن برادران کی تلاش کرنے کے لیے پاکستان تک آپ کے لمبے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایران تک آپ کے لمبے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ انگلستان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ دیش کے اندر اپراد کرنے والوں اور جو ہندوستان کو توڑنے کا کام کریں یقینی طور پر جو تباہی اور بربادی کرے ایسے لوگوں کو۔ ایسے دیش کو تباہ کرنے والوں لوگوں کو جڑ سے۔ بنیاد سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ یہ ہم ہندوستانیوں کا عظیم اور اہم ترین فریضہ ہے۔ مگر میرے دوست مجھے یہ بتائیں۔ کہ آپ کے قانون کے ہاتھ جب پاکستان تک پہنچ چکے ہیں پھر بال ٹھاکرے کی گردن تمہارے ہاتھ میں کیوں نہیں پہنچ رہی ہے۔ جو آدمی اقبالی اور اقراری طور پر ایک مجرم کی حیثیت سے کہہ رہا ہے۔ کہ بمبئی کے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے میں نے فسادات کرائے ہیں۔ بابری مسجد کی اینٹوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ بابری مسجد میں نے تباہ کی ہے۔ میرے شیو سینکوں نے تباہ کی ہے۔ ایک آدمی جو اپنے جرم کا اقبالی مجرم بن کر کہہ رہا ہے تو آخر کیا بات ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر کے ہاتھ اس تک نہیں

کیا آپ نے ان لوگوں کو معاوضہ دے دیا۔ کیا آپ نے ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ کیا آپ نے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی۔ جن بچوں کے باپ ہندوستان میں ظلم اور زیادتی کے ذریعے قبرستان پہنچ گئے۔ کیا ان بیواؤں کی سرپرستی کے لیے آپ کی حکومت تیار ہوئی جن بہنوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ صرف قصور ان کا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ یا اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پورا ہندوستان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مگر کیا آپ نے تسلی اور تشفی کے لیے کوئی عملی کارروائی کی۔ آپ کے طور اور طریقے بتا رہے ہیں۔ کہ آپ نے صرف اور صرف وہی کام کیا ہے۔ جو کام پچھلی سرکار نے کر کے زخموں کو کریدا تھا آپ نے بھی ان زخموں کو سڑنے اور گلنے کا اہتمام کیا۔ ان زخموں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ان چار ریاستوں کے متعلق میری گفتگو کا جو موضوع ہے۔ اس گفتگو سے ذرا ہٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بمبئی میں جو بم بلاسٹ ہوئے یقینی طور پر اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کے قانون میں سنشودھن کر کے ۳۰۲ کی سزا کے ذریعے بالکل ہیچ چوراہے پر ایسے مجرموں کو کوڑے مارے جائیں تو یہ ملک

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

پہنچ رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اس سلسلہ میں سیکولرازم کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے۔ فرقہ پرستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مردانگی کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اس ملک کا ایک آدمی دندنا رہا ہے اور وہ آدمی اس ملک کی معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ آدمی اس ملک میں لوگوں کی زندگی کے فیصلے ایک الگ کورٹ بنا کر کر رہا ہے۔ وہ پولیس کو نردیش دے رہا ہے۔ وہ عدالتوں کو نردیش دینے کی بات کر رہا ہے اور وہ فلم انڈسٹری میں کس کی فلم چلے گی اور کس کی فلم نہیں چلے گی، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ دیتا ہے۔ کیا ہم سمجھیں کہ آپکی پارٹی نے ہندوستان کا وزیر اعظم اندرونی طور پر بال ٹھاکرے کو بنا دیا ہے۔ کیا میں سمجھوں کہ آپ کی پارٹی نے وزیر داخلہ اندرونی طور پر بال ٹھاکرے کو بنا دیا ہے۔ ارے بھائی کوئی مجرم ذات پات کی بنیاد پر نہیں پکڑا جاتا۔ مجرم اس کے جرم کی بنیاد پر پکڑا جاتا ہے۔ وہ دیش ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ذات پات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ وہ حکومت نکمی کہلاتی ہے۔ جو حکومت دین دھرم اور عقیدے دیکھ کر لوگوں کے فیصلے کرتی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا دیش ہے۔ جہاں ایک آدمی دندناکر اخباروں میں میسج دیتا ہے کہ

میں نے جرم کیا ہے۔ میں نے مسجد توڑوائی ہے۔ میں نے بمبئی میں آگ لگوائی ہے۔ جس نے دو چار لاکھ لوگوں کو تباہ کروایا ہو۔ جس نے اتر بھارتیوں۔ جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والے انسانوں کو بمبئی سے اپنے وطن بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا ہو۔ ایسا انسان جس نے بھارت کی بسی بسائی آبادیوں کو شرنارتھیوں کی طرح بننے پر مجبور کر دیا ہو۔ ایسے انسان پر آپ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے۔ فرقہ پرستی کے خلاف بی۔ جے۔ پی کی چار ریاستوں کو برخاست کرنے پر آپ نے کہا تھا کہ ہم فرقہ پرستی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آج چیف منسٹر بال ٹھاکرے سے درخواست کر رہے ہیں۔ بال ٹھاکرے اس ملک میں کیا ہے۔ وہاں پر چیف منسٹر کی حکومت چل رہی ہے۔ یا بال ٹھاکرے کی۔ سنجے دت کو آپ نے اٹھا کر پکڑ لیا۔ اور اس کو ٹاڈا میں گرفتار کر لیا۔ عدالت نے صفائی دی کہ وہ ٹاڈا کا مجرم نہیں ہے۔ شبہہ کی بنیاد پر اچھے اچھے شریف لوگوں عزت دار لوگوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ مگر جو اوپنلی چوروں کی طرح سامنے کھڑا ہے۔ جو اوپنلی گنہگار ہے۔ جو ہندوستان کی عوام کی نگاہ میں مجرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے خلاف آپ کا قانون کا

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ہاتھ کیوں نہیں جاتا کون سی سانٹھ گانٹھ آپکی اس کے ساتھ ہے۔ کون سا خفیہ سمجھوتہ اس کے ساتھ ہے۔ کون سے دوستانہ سمجھوتہ اس کے ساتھ ہے۔ کون سی مجبوری ہے۔ جس کی بنیاد پر ملک کے دشمن اس بال ٹھاکرے کو آپ گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے دیش کے سندر اور بہترین شہر کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ :

مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل
کوئی شعلہ جاگ اٹھا۔
تیرا آشیاں جل جائیگا۔
مجھے مٹانے والے۔ میری آگ سے اگر کل کوئی
صبح پھوٹی
تو بات تو کیا کریگا۔

اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی ہی تمناہٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے ملک کے لیے بیڑا اٹھایا۔ فرقہ پرستی سے لڑنے کیلئے بیڑا اٹھایا تھا۔ آپ نے اپنے ہی ساتھ رہنے والے سیکولرازم کی قدر کرنے والوں کی زندگی کو تباہی کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے آپ جانیں مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا ہے مگر آر۔ ایس۔ ایس۔ کی کھلی پالیسی چل رہی ہے۔ آر۔ ایس۔ ایس اپنے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور چھپ کر نہیں کر رہا ہے آپ کی طرح کھل کر کر رہا ہے۔ اگر آپ جرم

کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کو ان کرسیوں پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اپ سبھا ادھیکش "شری سید سبط رضی" :
مہربانی کر کے آپ اپنی تقریر کو مختصر کریں۔

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: وقت ہو گیا تو میں ختم کرتا ہوں۔

اپ سبھا ادھیکش: ہو گیا ہے۔

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: ٹھیک ہے ایک منٹ اور چاہوں گا۔ میں عرض کروں گا کہ جس مقصد کے لیے چار دن بی۔ جے۔ پی۔ کی ریاستوں کی حکومتوں کو آپ نے برخاست کیا تھا بجائے اس کے جو طوفان اس ملک میں آیا تھا اس طوفان کو آپ روک دیتے آپ نے اس طوفان میں مزید اضافہ کیا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہندوستان میں اب آخری مغل بن گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کی حکومت کی کہانی تواریخ کا ایک سیاہ باب بن کر رہ جائے گی۔ مجھے افسوس اس کا نہیں ہے کہ آپ ختم ہو جائیں گے آپ تو اپنے عمل سے ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مایا ہے گیتا کی زبان میں۔ اب وہ فریب نظر ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ ہندوستان کی عظیم عظمت کو خاک میں ملا کر جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس کی آزادی۔ سالمیت۔ ہندوستان کا وقار سب

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کچھ اپنے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا کیا ہوگا۔
ہمیں تو یہ غم کھا رہا ہے کیونکہ اتنی بات تو ہم جانتے
ہیں کہ کسی بھی ملک کی آبادیوں کی ترقی اور خوشحالی
اس ملک کی مضبوطی، آزادی اور سیکولر کردار کے
اندر مضمر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس ملک کے
اتحاد اور اس کی آزادی اور خوشحالی کے
خواہاں ہیں۔ آپ تو مسٹر جناح کی طرح اس کو اپنی
انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں اور انا کا مسئلہ
بنا کر اس ملک کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اب تو
کوئی گاندھی بھی نظر نہیں آتا جو اپنے خون سے اس
ملک کے مرجھائے ہوئے سیکولر پھولوں کو سرسبز
و شاداب کر دیتا۔ اس لیے آپ کو میرا مشورہ ہے
کہ اپنے گناہوں کا پرائشچت کرنے کے لیے
حکومت خدا کے واسطے ملک کے
سیکولر جمہوری طاقتوں کو سونپ دیجئے اور
جا کر ہمالیہ کی کسی گپھا میں مون دھارن کر کے ہندوستانی
عوام کو اپنے آپ سے نجات دیجئے۔ شکریہ

"ختم شد"

श्री शमीम हाशमी (बिहार) : बी0 जे0 पी0 वाले मौलाना ओबेदुल्ला खान साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं (व्यवधान)

श्री रफीक आलम (बिहार): दोनों एक हैं।

شری شمیم ہاشمی: بی۔ جے۔ پی والے مولانا
عبیداللہ خاں صاحب کو مبارک باد دے
رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں... "مداخلت"...
شری رفیق عالم: دونوں ایک ہیں۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सयद सिब्ते रज़ी) : श्री मूल चन्द मीणा। आपके लिए 10 मिनट हैं।

श्री मूलचन्द मीणा : (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने जो संकल्प पेश किया है; मैं उसका समर्थन करता हूं। देश की आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी और जो शहीद हुए थे आज उनकी आत्मा उनको कोच रही होगी क्योंकि उनका जो उद्देश्य था जिसके लिए उन्होंने अपने आपको न्यौछावर कर दिया था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस देश के अन्दर कुछ ऐसी फिरकापरस्ती ताकत पैदा होंगी जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर देगी। जो 6 दिसम्बर को घटना हुई, यह उन फिरकापरस्त ताकतों की एक चाल थी कि इस देश को धर्म के नाम पर दो भागों में बांटा जाए। कुछ ऐसी ताकते इस देश के अन्दर लोकतंत्र के माध्यम से भीतर घुसी। कहीं जातिवाद का नारा देने लग गई, कहीं वर्ग संघर्ष की बात करने लग गई। इस प्रकार की स्थिति से देश के अन्दर चारों ओर से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया। 6 दिसम्बर की घटना इस देश के धर्म निरपेक्ष संविधान के ऊपर हम लोग जिस प्रकार से रावण और मारीच ने झूठा राम का नाम ले कर सीत हरण किया। उसी प्रकार से विश्व हिन्दु परिषद, आर.एस.एस. और बी.जे.पी. के लोगों ने इस देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला किया 6। दिसम्बर को। 6 दिसम्बर की घटना से देश में चार-पांच हजार आदमियों को साम्प्रदायिकता की आग के अंदर जलना पड़ा। कई माताओं और बहनों की गोद छिन गई। लेकिन इन फिरकापरस्त ताकतों के नेताओं के हौसले कमजोर नहीं हुए। चाहे हिंदुस्तान के आदमी मर जाय, हिंदुस्तान के गरीब और इस मुल्क के अंदर रहने वाले साम्प्रदायिकता विरोधी लोग मर जायें लेकिन धर्म के नाम पर हम इस देश का बटवारा करके इस देश की ताकत चाहते हैं। आज भी ये सीमा तामकर लोगों के बीच में जाते हैं। उसी का परिणाम था कि चार राज्यों

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

के अंदर इन फिरकापरस्त लोगों से संबंधित लोगों की सरकारें थीं। भारत सरकार को और गृह मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिरकापरस्त ताकतों पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध न मानने के कारण इन चार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। गृह मंत्री जी आपने प्रतिबंध तो लगाया लेकिन जैसा प्रतिबंध होना चाहिए वैसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये फिरकापरस्त लोग आज भी साम्प्रदायिकता की आग प्रज्वलित करने के लिए जगह-जगह अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं।

26 जनवरी को आपने देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जिस संगठन पर प्रतिबंध था उस संगठन के एक मुखिया श्री अशोक सिंघल जी यूनिवर्सिटी में उसके बैनर के ऊपर भाषण देने जा रहे थे। वहां पर क्या होता है? साम्प्रदायिकता विरोधी, सदभावना चाहने वाले छात्रों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो आज स्थिति ऐसी नहीं है कि इन राज्यों के अंदर चुनाव करा दिए जायें। आज स्थिति यह है कि साम्प्रदायिकता की आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही है और आपने चुनाव की घोषणा की तो वह आग प्रज्वलित होकर एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आ जाएगी।

इन सरकारों को भंग करने से पहले राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। विकास के नाम पर उस प्रदेश के अंदर इस सरकार ने कुछ नहीं किया। यह काम उन्होंने जरूर किया कि 6 हजार स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को जो केन्द्रीय सरकार पैसा देती है वह एक-मुश्त बंद कर दिया। जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारी थे उनको नाजायज रेशान जरूर किया उन लोगों ने। कांग्रेस की सरकार ने विकास के काम के लिए यहां जितनी भी विकास की योजनायें बनाई, किसी भी योजना के ऊपर दो ढाई साल इनका शासन रहा—काम नहीं हुआ बल्कि विकास के काम रुक गये।

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान) : कौन-सी योजना रुकी? नाम बताइये।

श्री मूलचन्द मीणा : मैं एक बताऊं या दो चार बताऊं.. (**व्यवधान**) सैकड़ों हैं (**व्यवधान**) विकास की योजनाएं पिपलेट लिफ्ट योजना का क्या हुआ?

श्री शिवचरण सिंह : लिफ्ट योजनायें सारी मंजूर की गई हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री मूलचंद मीणा : मंजूर हो गई आपके कहने से। ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : और जो इतना कत्लेआम हुआ है। ...(**व्यवधान**)

श्री मूलचंद मीणा : विकास के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सैयद सिब्ते रजी**) : मीणा जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री मूलचंद मीणा : ...लेकिन साम्प्रदायिकता के नाम जरूर वहां पर हुआ और करीब 200–250 लोगों की जानें जरूर गईं।

श्री शिव चरण सिंह जैसे कांग्रेस के राज्य में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please do not interrupt like this.

श्री मूलचंद मीणा : कांग्रेस के राज्य में झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़े करवाते हैं आप लोग।

उपसभाध्यक्ष (**सैयद सिब्ते रजी**) : मीणा जी, आप अपनी तकरीर जारी रखिये।

श्री शिवचरण सिंह : केवल आपको लोगों के विकास का ध्यान नहीं है।

[श्री शिवचरण सिंह]

आप में लोगों की समस्याओं को दूर करने की बात नहीं है। न आपकी कोई नीति और रीति, केवल धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट लेकर आप सदन में आ जाते हैं। आप कभी इस देश का भला सोचने की बात नहीं सोचते।

जितने भी दंगे हिंदुस्तान में अब तक हुए हैं, उसकी जांच करा ली जाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता के नाम पर इस देश के अंदर राजनीति करती है।

गृह मंत्री जी इतना भोलापन और सीधापन किसी काम का नहीं कि इस देश के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की नीति चलती रही, तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहेगा। इनकी करतूतें तो ऐसी हैं कि क्यों नहीं इस पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यदि इनकी करतूतों पर जाते हैं, तो आपको निश्चित ही प्रतिबंध लगाना चाहिए।

श्री शिवचरण सिंह: धर्म पर ही प्रतिबंध लगा दो!

श्री मूलचंद मीणा : धर्म पर प्रतिबंध, इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात इस देश की आजादी और लोकतंत्र कायम करने वाले लोगों ने कही है, वह कांग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बहला-फुसला कर वोट प्राप्त करने की नीति, यदि आपकी राजनीति की नहीं है, तो वह नीति आपको छोड़नी पड़ेगी। लोग दुबारा बहकावे में नहीं आ सकते। लेकिन आज सांप्रदायिक दंगे की आग में राजस्थान के कोने-कोने में साम्प्रदायिकता का जहर फैला रखा है। मेरा यह कहना है कि आप यदि चुनाव कराना चाहते हैं इन स्टेट्स के अंदर, तो पहले आप उसकी जांच करा लें कि कितनी आग कभी अंदर ही अंदर लोगों के दिल के अंदर है।

जब तक पूर्णरूपेण आप शांति स्थापित नहीं कर सकें, शांति की भावना लोगों में पैदा नहीं कर सकें, तब तक इन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं करायें। (समय की घंटी)

राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक आर.एस.एस. से संबंधित वाईस-चांसलर लगे हुए थे। उनको हटाने पर इन आर.एस.एस. के लोगों ने उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या नहीं किया। आज एक नया पैटर्न राजस्थान के अंदर और चल रहा है, जगह-जगह रामयण पढ़ाने का। उस रामायण के माध्यम से लोगों के अंदर धर्म की भावना पैदा करना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं के कहने से या नेताओं के आने से लोग इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन उस रामायण के नाम पर जरूर लोग इकट्ठे हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता वहां पर पहुंच जायें और अपना भाषण देकर आ जाएं—इस प्रकार का पैटर्न राजस्थान के अंदर चल रहा है। कल्याण सिंह जी कुछ दिन पहले राजस्थान में गये, लेकिन राजस्थान में जहां-जहां भी कल्याण सिंह जी का कार्यक्रम था, उस जगह रामयण का पाठ हर सिटी के अंदर इन्होंने रखा, क्योंकि लोग इकट्ठे तो होते नहीं, लेकिन रामायण के नाम पर लोग इकट्ठे हुए और जो भी महसूस हुआ कल्याण सिंह जी को कि रामायण के नाम पर बड़े लोग यहां आये हैं, मुझे सुनने के लिए आये हैं। यह इन लोगों को महसूस हुआ है।

इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य के अंदर चुनाव से हम डरने वाले नहीं हैं, चुनाव हम चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : डिक्लेयर करवाओ .. (व्यवधान)

श्री मूलचंद मीणा : डेक्लेयर करवाओ जब आप जैसे लोग, लोगों का खून करवाना चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते

हैं, उन लोगों से थोड़ा छुटकारा मिले, लोगों की लाश पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों से छुटकारा तो मिले।प्रदेश के लोगों को शांति तो मिले। जो लोगों की लाश पर राज करना चाहें ऐसे लोगों से छुटकारा मिले तभी जाकर आगे चुनाव कराए जाएं। अभी राजस्थान के अंदर कई जगह, कई कस्बों के अंदर आज भी सांप्रदायिकता की छोटी-मोटी लहरें चल रही हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि पूर्णरूपेण पहले शांति पैदा हो जाए तभी चुनाव कराए जाएं।

मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Sukomal Sen. The time allotted to your party is 12 minutes. I would request you to conclude within that time.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, we are discussing a very painful subject because four States are under President's rule and this is a resolution for extension of President's rule for another six months. Now, in very extraordinary circumstances, the Central Government imposed President's rule in these four States. Actually it was not wanted by us. In fact, our party, from the very beginning, has been in favour of deleting article 356 which has been misused in our country a number of times for political ends by the ruling party. That is why we wanted that this should be deleted from the Constiution. But on 6th December, the mosque was demolished forcibly despite the orders of the Supreme Gourt and the assurance of the State Government. The entire country was aflame with communal fire and the society was almost on the verge of disintegration. At that time, there was no alternative but to utilise this article and dismantle these State Governments. Now, while President's rule was imposed in these four States, the Central Government made certain commitments and it is expected from the Central Government that they will undo the mischiefs committed by the four State Governments earlier while they were in power in these four States. What have they done? When the mosque was demolished, it could be demolished because the State Government of U.P. lent a helping hand to those who demolished the mosque. The U.P. Government restrained the police from taking action. The paramilitary forces posted there were not allowed to take action by the State Government of U.P. So with the active help and assistance of the State Government, this mischief could be committed. Similarly, in other States also because those States were also ruled by the same political party, the same thing was done. They were also harbouring these communal forces. They were giving them shelter and all these four States were utilised as a platform for spreading communalism and communal virus and they were acting to disintegrate the entirie society. Now, what has the Government done during these few months after the takeover of these four State Governments? At that time, the administration was totally communalised, the police was communalised, the educational system was communalised. Even the text-books in schools were revised. They were trying to rewrite history also. Now, I would like to know from the hon. Home Minister as to what has been done to undo the mischiefs committed by the earlier Governments. Now that the Central Government has taken over the administration in these four States, what have they done to undo the mischiefs committed by the earlier Governments? I hope the hon. Home Minister will reply to my points when he replies to the debate. Communal elements were thronging the administration. They were there in the entire administration. The police force was totally communalised. How far have you been able to cleanse the police force? How far have you been able to cleanse the administration from these communal elements so that the administration becomes secular, the administration becomes impartial and the police force becomes impartial and non-communal? What has the Central Government done to improve the situation I am afraid that this remained half-done or not at all done because when elections are declared, the elections will

[Shri Sukomal Sen]

be conducted under the same administration which is already communalised, with the protection of the same police which is already communalised. So unless this is done, the purpose of President's rule in the four States is going to be defeated. Sir, the entire educational system has been tampered with. There are reports that the textbooks which are rewritten there have a communal bias. They try to reject the ancient history and culture of the country. They are showing that it is only the Hindu culture, it is not the composite culture of the country that we inherit. I do not know what the Government has done to undo it. Sir, in Madhya Pradesh Bharat Bhavan was a pride of the country. What is the condition of Bharat Bhavan now? Many people who were associated with it have abandoned it. The purpose for which it was established was going to be defeated when the State was ruled by a particular party. So this is what happened during this period. Unless these things are reversed, the purpose of imposing President's rule would not be served. Can the Home Minister reply pointedly that these are the things—number one, number two, number three, number four—which have been done and a congenial atmosphere, a secular atmosphere is built up in the States under President's rule? I think a reply to this is not given in the statement. A number of atrocities have been committed on the working class. In Madhya Pradesh a trade union leader, Shankar Gohle, was murdered by liquor barons, by people who were mustering money. He was protesting against that. That case of murder is yet to be investigated properly. The killer has not been booked. He has not been arrested. Not only that, the people who were trying to protest, were massacred on a large scale because the police fired on them. Sir, I do not know what the Government has done to undo it, whether the kith and kin of the people who have been killed have got justice or not. I do not know whether the people living in that area who have fought against the onslaught of capitalists, the onslaught of liquor barons have got justice or not. I do not know what the Government has done now. Sir, the point is that in every institute that they entered in all these four States, communalism was institutionalised. In every nook and corner, in every institution the whole trend of the working of the institution was set to the tune of the party ruling in the States so that communal violence could spread. A big section of the people has been communalised. Communal elements were given all sorts of protection. Not only in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh but in Rajasthan also, you know, Sir, how a section of the people was massacred. In Himachal Pradesh where the Government employees went on strike, the Himachal Pradesh Government came down upon them and there was a total onslaught on the employees. A number of them were arrested and dismissed from service, through all sorts of draconian laws. I do not know whether the employees who fought for justice have got justice under the present dispensation. So, that way I feel unhappy that the purpose for which the President's rule was imposed has not been realised.

Now, my friend from the Janata Dal has complained that the Babri Masjid was demolished on 6th of December, and the next day or after a few days the entire area was opened for worshipping the Rama idol. Who had done it? BJP Government at that time was no more there. It was done by the regime of the Congress. Central Rule was there. When the President's rule was imposed to undo the mischief committed by them, demolition of Babri Masjid how deceptively and cunningly was the Rama idol that was established there, set up there was allowed to be worshipped by a section of the people? The communal bias that was there when the BJP was ruling, the same communal bias was shown by the Administration when it was under President's rule? So, where is justice? How can the wounds of the minorities be healed? They cannot be healed because there is not much difference between the way in which they were treated earlier and the way in which are

being treated now. So, I feel the purpose for which the President's rule was established should not be devalued. We are doing that. The complaint is that the Congress is vying with the BJP in winning the next elections in all the States. The point is that the BJP was trying to utilise the Hindu sentiments. Under the President's rule the ruling party at the Centre is also trying to utilise the same sentiments because they feel that in the coming elections they will lose the Hindu votes. Their main purpose is how to satisfy them, how to please them and not to antagonise them. Under the President's rule the ruling party is doing that. They have raised many things about Governors. Perhaps, some Governors did not oblige the ruling party at the Centre. Some Governors have resigned. Some Governors have been shifted. There is instabiliy in the administration also. Therefore, President's rule means rule of the Congress party. President's rule means rule of the Central Cabinet, Central Cabinet of the Congress, the ruling party. So, unless they take a proper, impartial and unbiased attitude and abandon the attitude of satisfying the communal bias of the majority community, unless they stop pampering them and fight against all sorts of fundamentalism and communalism, whether it is of the majority or the minority—I don't say that the minority doesn't have fundamentalism or communalism; they are equally fundamental and they are equally communal—things would not improve. Since the majority community is there in the administration, in the police, in the army and in the judiciary, they can do more harm than the minority. That is why, while fighting against both minority communalism and majority communalism, we have to take much, care. The majority communalism, which appears today as the biggest danger to the country, should be properly dealt with and properly curbed. If they try for some petty political ends, to pamper a particular community, in this case the majority community, the communal virus which is affecting the entire country cannot be curbed and, on the contrary, it will spread further. The mayhem in Bombay, in Surat, in Ahmedabad and elsewhere is an indication of how the country is boiling with communal feelings, communal tension. Even in a State like Manipur, a hill State, which has never felt any communal violence, all of a sudden something happened and the newspapers reported that it was a communal conflagration. It is an indication that the rot has started affecting the entire country. The cancer is affecting the entire body politic. So, the ruling party has to take the responsibility. They should not try to utilise everything for their own political ends. President's rule has been promulgated and now they are going to extend it. But the extension should not be utilised for the benefit of their political ends. The extension should be utilised for the benefit of the entire country so that the fire of communalism, the fundamentalism that has been indulged in this country, is doused. That should be the political purpose and not seeking more votes in the next election. If you are utilising the President's rule for your political ends, then you will be the destroyer of the country. With anguish I would request the Home Minister that the President's rule should be as short as possible and within the shortest possible time it should undo all the mischief committed earlier. It should reverse things in the shortest possible time so that election becomes impartial and unbiased with the co-operation of the administration and the police who are unbiased, secular and not communalised.

2.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Yashwant Sinha—please conclude within 10 minutes.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, as I rise to make my intervention in this debate I recall to myself those grim days of December last year after the 6th the atmosphere in this House, the atmosphere outside in the country at large and this whole feeling of uncertainty or insecurity of impending chaos which was gripping the people of this country. But I also recall that even in those grim days when these State Governments—I am talking of three other Gov-

[Shri Yashwant Sinha]

ernments, not UP, when Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan Governments were dismissed—our party had raised its voice in protest against the dismissal of those Governments and against the imosition of President's rule. We felt that there was no sufficient case for the kind of action which the Government of India had taken in respect of these three States. Today, as we discuss it in the cool of this House in the month of May, 1993, I feel that there is even less reason for the extension of President's rule which the hon. Home Minister has put before us. Therefore, I would like to make it quite clear right in the beginning that as far as my party is concerned we are opposed to this extension, we are opposed to the continuance of President's rule in these States and we would like elections to be held as early as possible. Sir, what are the reasons which the hon. Home Minister has mentioned in this House as the reasons for the extension of President's rule? I was trying to listen to him very carefully. He has said that while the law and order situation appears to be under control at the moment, underneath perhaps it is fragile, and communal forces which are lying low might raise their heads again if elections are held, therefore, this is not the right time for elections. Then he has said that they have started the process of purging the administration of communal elements and they would like to take some more time to continue this process and elections at this stage will disrupt that process. He also feels that if elections are held some elements, some parties will try to take advantage of the situation, incite communal passions and this might rock the applecart of the whole country. These were the important reasons which the hon. Home Minister has mentioned for the continuance of President's rule. We know that a debate has been going on in this country for quite some time now regarding the misuse of Article 356 of our Constitution. This debate has come to no end. This debate will continue. But a fresh chapter has been added to that debate by the judgement of the Jabalpur Bench of the Madhya Pradesh High Court by holding that the imposition of President's rule in the rest of Madhya Pradesh was without valid reasons. Therefore, it has to be set aside. The matter is before the Supreme Court. We do not know which way the Supreme Court will go. But the fact remains that the people of this country are worried that democratically elected Governments representing the will of the people, representing the aspirations and wishes of the people are sought to be dismissed by one stroke by the Central Government often without sufficient reason. That is the debate which cannot be brushed aside lightly. If we want democracy and if we want the democratic institutions, and a democratically elected Government, to function in Delhi, there is no reason why democratically elected Governments should not function at all levels. We have, in this Parliament, passed an Act extending democracy to the grass-roots level, to the level of cities, to the level of towns, right down to the level of the panchayat. And, then in the same breath, if we take the contradictory action of extinguishing democracy, extinguishing the will of the people, suppressing the people's aspirations in any part of the country, then, it becomes a matter of anguish, it becomes a matter of pain for many of us. And, thereore, I say that the reasons which have been mentioned by the Home Minister appear to be specious. They appear to be spurious. They don't provide a justification, to my mind, to continue President's rule in these four States.... (*Interruptions*).

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): On a point of order. It is very pleasant to hear our hon. friend speaking about article 356 being used very indiscriminately by the Central Government. But, only in his regime, the DMK Government was sacked on the ground that there was a law and other problem. They had followed the same, old logic.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please deal with this point also.

SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Vice-Chairman, I had no wish to enter into a controversy with my colleagues on this side. But now that that point has been raised, with a request to you not to count it in my time, I would like to say that if the Government in Delhi feels that there is sufficient reason that the Government in the State has lost the support of the people, then that is a good enough ground for the imposition of President's rule. When we were in power, we had come to that conclusion and that conclusion was more than abundantly proved when elections in Tamil Nadu were held and the results of that election went against the party which is trying to protest here today.

Now, if the law and order situation is under control but fragile — that is the perception of the Home Minister—then, how many States in this country can escape President's rule? That is the question that I would like to post to the Home Minister. Can Manipur escape President's Rule? Can Gujarat escape President's rule? Can Maharashtra escape President's rule? Can these States which have a much worse record of communal conflagration and communal violence in recent months than either Himachal Pradesh or Madhya Pradesh or Rajasthan escape President's rule? And, if law and order is the consideration, you will have to have a look at some other States—I have no hesitation in saying, Andhra Pradesh and Bihar—to find out as to how fragile the law and order situation there is. So, this argument that the situation is calm but is fragile, the law and order situation is fragile, does not wash. Then, about purging the administration, the Home Minister has not taken the House into confidence. How many officials or functionaries in the Government have you purged? How many have you dismissed because they didn't have secular credentials, that they were inciting communal passion? Please take us into confidence. Tell us, "This is what we have done, this is the task which remains unfinished and we will have to finish this task and, therefore, I am asking for extension of President's rule." Just making a bland statement that we are purging the administration of communal elements does not wash again like the first argument. And his third argument is that the elections will be taken advantage of by certain elements to incite communal passion. After all, aren't we holding by-elections in this country despite what Mr. Seshan might do in cancelling elections in various places? We are having Parliamentar by-elections in Jallandhar and in Patna. We are having elections to the various State Assemblies. Isn't the BJP contesting? Aren't the other elements who incite communal passion there even in these elections? Isn't communal passion being incited in Patna elections? So, such illogical conclusion that we should ban elections in this country because some people might take advantage, again, Mr. Vice-Chairman, does not wash, to my mind. So, these arguments which have been advanced by the hon. Home Minister, to my mind, do not stand even a preliminary scrutiny and do not constitute good, valid, reasons for the extension of President's rule. After all, let me make one point very clear. That is, these people, the BJP, which is a political party and which has not yet been banned despite whatever the Home Minister might say in this House and outsid that we are going to ban all the communal elements from contesting elections and all that, continues to be a party, recognised by the Election Commission as a political party and will have the right to contest the elections, will have the right to come to power now if the people so wish. But shall we use the constitutional machinery, shall we subvert the constitutional machinery, Mr. Vice-Chairman—that is the basic question—to prevent a political party from coming to power? Is that what the Government of India would like to do? This is the question which I would like to ask the Home Minister. Shall we misuse the Constitution in order to prevent a recognised political party from coming to power? If you don't want to misuse the Constitution, then, justification for holding the elections in these four States exists. One might make an exception in the case of Uttar Pradesh where

[Shri Yashwant Sinha]

cataclysmic events took place on the 6th December. To my mind, there is no good reason why President's rule should be extended in Rajasthan, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh.

Mr. Vice-Chairman, we have to meet the challenge thrown by the communal elements and I have pleaded in this House before for this and I like to plead again, with all the humility, not only with the ruling party but also with my colleagues sitting on this side. We are all together in the secular struggle. I would like to state with all the emphasis at my command that this is a political battle. Let us fight it politically. The BJP's challenge and challenge of the fundamentalist forces will have to be met politically. We cannot hide, we cannot take shelter, behind the legalistic constitutional provisions. Behind this jargon, we cannot escape. That will be an ostrich-like attitude that we bury our head in the sand of Constitution and try to escape from our responsibility. This attitude on the part of the Government is something which a person like me is not able to understand. I will finish, Mr. Vice-Chairman, before you ring the bell, by making one last point.

We are talking of secularism. Today, secularism is at stake. Secularism in now under threat. It is one of the most important values in our ethos which has been challenged. But will the ruling party kindly look into this? Will they look at their own track record? I remember having said in this House that we know BJP's intentions which they have never hidden. We know what they did. But what do you stand for? Are you secular? Are you upholding secular values? Were you not responsible primarily for those events in Ayodhya and the subsequent events which have rocked this country? Are you not guilty for the loss of thousands of human lives in this country which have been want only lost because of your negligence, because of your inaction?

My colleague in the CPI (M) was talking about pampering of fundamentalist forces. It has always been argued that you cannot pamper fundamentalist forces either of one community or of another community.

We have enough evidence. The other day, a mention was made in this House about what is happening in Kerala. The Ottappalam election has been postponed. But before the election was postponed, did the ruling party at the Centre and in the State which is in power there, not do anything to try to win votes by pandering to communal, fundamentalist sentiments? The Friday holiday in the school is something which this Government and this party cannot defend. The point is, in this country, unfortunately a situation has arisen where every political party has been guilty sometime or the other of pandering to fundamentalist forces, of taking the support of those elements. When it suits a political party, we do it. If it does not suit, then we stand on the house-tops and start shouting our favourite slogan. This is not the kind of attitude that should exist. Therefore, I will plead with all the emphasis at my command with the Government of India, "please look into this". We cannot tolerate, Mr. Vice-Chairman, my party cannot tolerate a situation where in order to protect the so-called secular values, we subvert the Constitution; that in order to protect secularism, we destroy the Constitution of this country. And Sir, I have no hesitation in saying that by extending the President's Rule in the present situation in these four States, we are doing exactly that and, therefore, with all the might at my disposal, I would say that we are clearly opposed to this extension and we shall vote against this extension.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Hari Singh. Not here. Mr. Ram Naresh Yadav.

SHRI J. S. RAJU: I want only minute, Sir. I want to put the record straight.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): No, please. I am allowing only Mr. Ram Naresh Yadav. When your turn comes, when you speak, you clarify your position. Yes, Mr. Yadav.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने का संकल्प है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो कारण बताए गए हैं वह अपने आप में स्पष्ट हैं क्योंकि आखिर जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी अब तक वह शासन चला आ रहा है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह देखना पड़ेगा कि क्या आज उन परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन आया है, क्या उस समय जो आधार थे उनमें कोई परिवर्तन आया है। क्या आज वहां चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकेंगे और जनता में जो सांप्रदायिकता की भावना पिछले दिनों में सत्ता में रहने वाले लोगों ने इन राज्यों में पैदा की थी क्या उनकी समाप्ति की दिशा में ठोस कदम उठे हैं। अगर इस तरह की बात नहीं आई है तो निश्चित रूप से 6 महीने के लिए जो अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है वह अपनी जगह पर सही है क्योंकि यह बात भी आती है कि आर्टिकल 356 के आधार पर जो 6 महीने और बढ़ाना चाहते हैं कोई तर्कसंगत नहीं है, यह बात भी कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 356 ऐसी ही परिस्थितियों के लिए है और अगर संविधान निर्माताओं ने इस तरह की व्यवस्था की है कि शासन सही चल रहा है, लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था सही है, जो संविधान की मान्यता है उसके अनुसार विधि-व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है और अगर नहीं चल रहा है तो उस सूरत में क्या कदम उठाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की थी।

महोदय, अभी बहस की शुरूआत करते हुए मेरे मित्र ने कहा था कि आखिर इसका क्या औचित्य है। क्या औचित्य है इस पर उन्होंने बहुत सारी बातों को गिनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। महोदय, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने फैसला लिया था तो ऐसी सूरत में यहां पर इसे लाने का सवाल नहीं है। बात बहुत साफ है कि जब हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो यह भी चाहते हैं कि इस देश में शासन और व्यवस्था संविधान की मान्यताओं के अनुसार चले तो निश्चित रूप से न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा करने का काम करना होगा क्योंकि यह प्रश्न वही लोग उठाते हैं और इस बात की जानकारी रखते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और विचाराधीन ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के निर्णय को जब स्थगित कर दिया तो ऐसी सूरत में इस प्रश्न को उठाना उचित नहीं था इस आधार पर। लेकिन उठा सकते हैं, वही लोग उठा सकते हैं जिनके मन में संविधान के प्रति जो सम्मान होनी चाहिए वह नहीं है। जो संविधान की मर्यादाओं को तोड़ने का काम करते रहे हैं, जो संविधान के अंतर्गत हमारे लोकतंत्र की जो मर्यादा थी उसको तोड़ने का काम करते रहे हैं, वही लोग इस सवाल को उठाते हैं।

अगर अदालत की अवमानना न करने की बात होती, सम्मान करने की बात होती तो निश्चित रूप से जब हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि वह जो मस्जिद बाबरी ढांचा था वह न गिरने दिया होता। तरह-तरह के आश्वासन देने के बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसी कारण वे लोग आज इस तरह के तर्क देने का काम कर रहे हैं और इन तर्कों में कोई बल नहीं है।

[श्रीराम नरेश यादव]

उत्तर प्रदेश में हम मानते हैं कि अभी वह स्थिति नहीं आई है लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि यहां पर 6 महीने की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और राष्ट्रपति शासन भी वहां पर जिस तरह लगाया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहा की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धार्मिक उन्माद पैदा कर दिया है और साथ ही केन्द्र में सत्ता में आने का स्वपन भी देख रही है बल्कि एक तरह से आचरण भी करती आ रही है। वहां के मंत्रियों ने त्यागपत्र देने की तैयारी कर ली थी कि अयोध्या में जाकर ढांचे को गिरायेंगे। अगर संविधान की शपथ लेकर मंत्रिपरिषद में रह कर इस तरह की बात करते हैं तो यह बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इसलिए जब वहां की सरकारों ने, विश्व हिन्दु परिषद् ने, और एस एस ने, बजरंग दल ने जो वहां किया है उसी कारण उन संगठनों पर पाबन्दी लगाई गई है। उस पाबन्दी के बाद भी ये सारी की सारी शाखायें लगाने का काम कर रही हैं, साम्प्रदायिकता का उन्माद गांव-गांव में फैलाने का काम कर रही है। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना बिल्कुल न्यायोचित है। उसी परिस्थिति में आज फिर यह बात आ रही है इसीलिए इस शासन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए।

जहां तक राम का सवाल है, वह कहते हैं उस राम को तो हम जाने नहीं देंगे। राम सब जगह फैले हुए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सब जगह राम का असर है यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, यह कहा जा रहा है।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपका नाम भी तो उसी पर है।

श्री राम नरेश यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों ने राम को समझा नहीं। राम की जो मर्यादा है, राम की जो गरिमा है इसको इन लोगों ने समझा नहीं है। अगर यह समझ लें तो जो सत्ता के लिए इतने बेचैन है, आतुर हैं वे नहीं होते। मैं कहना चाहता हूं कि जिस राम की चर्चा आप करते हैं वह राम अन्तर्यामी है। राम को भगवान कहा जाता है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन आप उस राम जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को सत्ता में घसीटना चाहते हैं। सत्ता के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। वोट बटोरने के लिए यह सब काम कर रहे हैं लेकिन यह हिन्दुस्तान में चलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा राम लोगों के मन में हैं लेकिन राम का उपयोग सत्ता के लिए नहीं किया जा सकता। आपने राम के नाम को लेकर सत्ता में आने के लिए जितना षडयंत्र हो सकता था, जितना कुचक्र हो सकता था वह सारा किया और उसका परिणाम देश की जनता भोग रही है। यह जगजाहिर है, सारे संसार के लोगों को मालूम है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं सचमुच में जहा तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है उनकी पार्टी की शाखायें लगना अभी बंद नहीं हुई हैं। उनके वे सारे काम अभी तक बंद नहीं हुए हैं। प्रतिबंद के बावजूद भी उनकी वही स्थिति है। भले ही चाहे अयोध्या की घटना घटी। बम्बई में जो कुछ हुआ, कानपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ और और जगहों पर आगे फैलाने की बात करते है। खून जब गिरता है तो यह नही होता कि हिन्दु का गिरा या मुसलमान का गिरा वह तो गिरता है इंसान का ही। घर जलते है, मन जलते हैं, दिल जलते हैं इंसानों के और दूसरे के साथ जो भाईचारे का वातावरण रहता रहा था वह आज बिगड़ता जा रहा है। यह स्थिति उधर के बैठे लोगों ने पैदा की है। उसको ध्यान में रखते हुए...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उधर आकर बैठेंगे तब ठीक कर लेंगे।

श्री राम नरेश यादव : उसको ध्यान में रखते हुए एक बात साफ हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे हम

वहां आये हैं जहां ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था में नियंत्रण आया है। बात अपनी जगह पर हो रही है और वह सही है। लेकिन अन्दर अन्दर ये लोग सोच रहे हैं और कुचक्र रच रहे हैं कि चुनाव आये तो फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में जैसे बनारस के लोहता और कानपुर और कुछ अन्य छोटे-छोटे स्थानों पर उन्होंने आग लगाई थी, वही किया जाये। हिंसा की ज्वाला में पूरे प्रदेश को डाल दिया जाये। हम यह भी जानते हैं कि उनके अरमान पूरे होने वाले नहीं हैं। अभी गौतम जी कह रहे थे कि जब हम उधर बैठेंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी जो आप सदन में नम्बर दो की पार्टी बने हैं, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन नहीं कहूंगा तो न्याय नहीं होगा, अब आप कभी इस स्थान पर भी नहीं आ सकते हैं।

अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि आपने यह सारा मामला किया। इस तरह से साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का काम किया। आपको हरकतों से यह हुआ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरा वे अपना दामन भी देखें। हमने कभी सत्ता में आने के लिए बी.जे.पी. के साथ समझौता नहीं किया। हमारी पार्टी सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षता पर चलती रही है . . . (व्यवधान)।

श्री संघ प्रिय गौतम : *

THE VICE-CHAIRMAN (SYE SIBTEY RAZI): Mr. Gautam made a remark relating to some proceedings in the Lok Sabha. This has been the tradition of this House that nothing relating to what happened in the other House is discussed here. Therefore, the remark of Mr. Gautam will not go on record.

श्री राम नरेश यादव : इसलिए मैं कह रहा था कि इनको उत्तर प्रदेश में लाने का काम किसने किया ? केन्द्र में और लोक सभा में नम्बर दो की पार्टी के स्थान पर लाने का काम उन्हीं लोगों ने किया है जो इनकी बैसाखी के सहारे चलते रहे हैं। आज उल्टा कहते हैं कि आप आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल कर अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं बनारस गया था, वहां आग ठंडी नहीं हुई है। राख के ढेर के अन्दर चिन्गारी अभी भी बची हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी तो मथुरा और काशी बाकी है। इस तरह के नारे लगा रहे हैं। इनका रास्ता यही है। इस रास्ते को ये छोड़ नहीं सकते हैं। ये देश को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। देश के संविधान और न्यायपालिका की अवमानना करना चाहते हैं। इन बातों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास सेकुलरिज्म का रहा है। स्वाधीनता संघर्ष में हमारे देश में कैसे-कैसे लोग निकले थे। चाहे अब्दुल कलाम आजाद रहे हों, चाहे अशफाकउल्ला रहे हों, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू रहे हों, गणेश शंकर विद्यार्थी रहे हों, राष्ट्रपिता गांधी जी रहे हों, उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बनाये रखा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता के धागे को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन ये शक्तियां आगे आने वाले दिनों में नहीं आ पायेंगी। देश का हो इंसान चाहे वह किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का हो, राष्ट्रीय एकता की भावना से काम करेगा। धर्म को राजनीति से जोड़ कर सत्ता में आने की बात नहीं करेगा। सारे लोग इस बात को समझ गये हैं। वे अब राष्ट्रीय एकता के धागे को तोड़ने नहीं देंगे। हम उस धागे को तोड़ने वालों को धरती से निकालने का काम करेंगे और राजनीति में आने की जो लोग कोशिश करते हैं उनको नहीं आने देंगे। इसलिए महोदया, मेरा सुझाव है कि . . .

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : जल्दी चुनाव करवाइये।

श्री रामनरेश यादव : शर्मा जी कहते हैं कि जल्दी चुनाव करवाओ। मैं शर्मा जी से एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव तो होंगे ही क्योंकि लोकतन्त्र में हमारा

*Not recorded.

[श्री रा नरेश यादव]

विश्वास है, जम्हूरियत पर हमारा विश्वास है, संविधान में हमारा विश्वास है। लेकिन हम जानते हैं कि आप अपने को संभाल नहीं सकते, अपना रास्ता बदल नहीं सकते। इसलिए मेरा गृह मंत्री से आग्रह होगा कि इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर ऐसी शक्तियां, अभी हमारे सम्मानित सदस्य सिन्हा जी कह रहे थे कि संविधान में सेकुलरिज्म की आड़ लेकर राजनैतिक दलों पर पाबंदी लगाने की बात सोची जाती है जो कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह देश सब का है। इस देश में रहने का अधिकार सब को है और जब सबको अधिकार है, सब को जीने का अधिकार है, सब को राजनैतिक दल बनाने का अधिकार है। लेकिन उनको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो उधर सेकुलरिज्म की शपथ लेते हों, संविधान की शपथ लेते हों और आचरण उल्टा करते हों। यह नहीं चलने पायेगा। इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी आप देश के हित में राष्ट्र के हित में, संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी उसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपिता बापू के साथ स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने देश के लिए त्याग और बलिदान किया, उन हुतात्माओं को ध्यान में रखते हुए आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि जो लोग राजनैतिक दल बनाकर संविधान की मान्यताओं को रौंदने का काम करते हैं, इसके लिए आप संविधान में संशोधन करके, चुनाव प्रणाली में संशोधन करके ऐसे लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़कर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, उन पर आपको पाबंदी लगानी ही चाहिए। ऐसे दलों पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि दोहरी जुबान वह न कह सकें। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग आफिसर और जनता के लोगों के सामने संविधान की शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ वे मस्जिद तोड़ने का काम करते हैं। राम के नाम को बदनाम करके धरती पर खून बहाते हैं और अरबों रुपयों की सम्पत्ति और देश की अस्मिता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव तो होंगे ही और चुनाव होना निश्चित है और जनतंत्र का तकाजा भी यही है... (**व्यवधान**)

मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी कहा जा रहा था कि पटना में चुनाव हो रहे हैं, और जगह चुनाव हो रहे हैं। वहां पर यह क्यों हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों में फर्क है। यह साधारण चुनाव है और वहां साधारण चुनाव नहीं होंगे। यहां पर इनी-गिनी कुछ सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन्हें यह कहकर नहीं टाला जा सकता है। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने मत बढ़ाइए। यह चीज इस पर लागू नहीं होती।

महोदय, मैं दो-एक बातें कहना चाहता हूं। महोदय, इन लोगों ने पठ्य-क्रमों में परिवर्तन करने का काम किया है। जो हमारा इतिहास है उसको भी बदलने का काम किया है। आज इसके जो शिशु मंदिर हैं, इन शिशु मंदिर को व्यापक पैमाने पर अपने शासन काल में प्रोत्साहित किया है और वहां से प्रचार का काम किया है। इन की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इन 6 महीनों की अवधि के अंतर्गत ये बहुत बढ़ रहे हैं और ये लोग इस आधार पर रैलियां करा कर सारा काम कर रहे हैं और गांव-गांव में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गेरुवां वस्त्र पहन कर भी एम. पी. लोग हो गए हैं, सन्यासिनी के रूप में भी, उनके लिए भी चाहे प्रदेश में और किसी जगह पर गलत तरीके से जगह दी गयी है उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सारे आश्रम फिर बन जाएंगे और वहां से इस तरह के काम होंगे। इसलिए इधर भी ध्यान देना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ...

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह बतलाइए कि किसको जमीनें दी गयी हैं ?

श्री राम नरेश यादव : मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं ।

आप भी जानते हैं शर्मा जी, । (**व्यवधान**) आप भी जानते हैं क्योंकि आप की सरकार ने किया है । (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : जम्मू कश्मीर में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को किसने जमीन दी थी (**व्यवधान**) आर्म्स फैक्टरी वहां पर बना रहा था (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : मैं आपसे कहना चाहता हूं आप एक काम तो करें (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (सयद सिब्ते रजी) : आप आसन ग्रहण करें (**व्यवधान**) आप उनको खत्म कर लेने दीजिए, यादव जी आप अपनी बात करें (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : दिल्ली में योग आश्रम के लिए जमीन दी थी (**व्यवधान**) किसी आश्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमीन दी है तो कोई गलत काम नहीं किया (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : मैं इसलिए लोकतंत्र के आधार पर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए चाहता हूं कि आप लोग भी विचार करें (**व्यवधान**)

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): It is humiliating, it is insulting. (*Interruptions*).

श्री राम नरेश यादव : आप यह भी देखें कि आपने क्या किया है । भंडारी जी चर्चा कर रहे थे कि साहब यह लोग यह कह रहे हैं, यह कर रहे हैं, गवर्नर को हटा कर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या किया ? सारी कोआपरेटिव सोसायटीज को उत्तर प्रदेश में भंग किया, जिला परिषदों के चेयरमैन हटाए, अपने लोगों को नामीनेट किया । यह सब क्या तमाशा किया आपने ? उसके आधार पर आप सत्ता में रहने के लिए (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I will not allow this running commentry. You have got enough time to make your point.

श्री राम नरेश यादव : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं । इसलिए मेरा तीसरा सुझाव है राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ रही है, इस बीच में आपको कुछ करना पड़ेगा । करना इसलिए पड़ेगा कि इन लोगों के जितने दुष्कर्म हैं, उनको जनता के सामने लाना पड़ेगा । पूरे प्रदेश के प्रशासन को सही रास्ते पर चलाने के लिए मेरा सुझाव है कि आप एक एडवाइजरी कमेटी बनायेंगे । उस एडवाइजरी कमेटी के जिम्मे यह सौंप दीजिए कि कहाँ पर किस तरह से उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को (**व्यवधान**) . . .

श्री शिवचरण सिंह : एडवाइजरी कमेटी में लोक सभा के सदस्यों को लें । (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश यादव : मेरा तो सुझाव यह है कि हमारे इन मित्रों को भी उसमें रखिए ताकि इनको भी मौका मिले देखने का उन समितियों के माध्यम से उनकी सरकार ने क्या किया । हम यह भी जानते हैं कि मस्जिद को ढहाना, यह विवादित ढांचे को नहीं ढहाया गया, यह तो सेकुलरिजम की नींव को ढहाया गया है ऐसे लोगों को भी हीरो बनाने के लिए पिछले दिनों में सारे राज्य में घुमाया गया लेकिन घुमाने के बाद इनका क्या हश्र यह भी इन लोगों को पता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों का बकाया है । आपकी सरकार है । बी.जे.पी. की सरकार नहीं है । राष्ट्रपति शासन है । इसलिए आप इस बात की व्यवस्था करें कि गन्ना किसानों का पूरा का पूरा बकाया तीन महीनों के अंदर मिलना चाहिए । उसका बकाया नहीं रहना चाहिए । साथ ही साथ जो खाद है, मैं इसलिए संक्षेप में सुझाव दे रहा हूं कि इस राष्ट्रपति शासन के अन्दर हमको

[श्री राम नरश यादव]

यह काम करने हैं ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो सके । यह भी एक काम है जिससे आने वाले दिनों में लोकतंत्र को बहाली ठीक ढंग से की जा सके । आप खाद भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को पहुंचाने का काम करें । बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से एक महान काम इन्दिरा जी ने किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में शिलान्यास करके । मैं केंद्र की सरकार को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय इन के नाम पर बनवाने की घोषणा की । मैं यह चाहता हूं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराइए ताकि इसका निर्माण ठीक ढंग से और समय पर हो सके । इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें । अंत में मैं इस देश के उन सब लोगों से अपील करना चाहता हूं जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, चाहे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों या दूसरी पार्टियों के लोग हों, आइये अब उपयुक्त समय आया है, एक चुनौती है देश के पैमाने पर, चारों ओर देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं उनका मुकाबला करने के लिए कम से एक बिन्दु पर एक हो कर संघर्ष करें और यह बता दें कि देश और राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों का हाथ तोड दिया जाएगा और उनके विचारों को कुचल दिया जाएगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमारा देश महान है और इस महानता को सभी लोग मिल कर के रक्षा कर सकेंगे, हम आशा और विश्वास के साथ में मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संकल्पों का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. K. K. Veerappan. You please try to conclude within seven minutes. (*Interruptions*)

He has consumed his own party time. No extra time has been given to anybody.

*SHRI K. K. VEERAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I think that no other Article of the Constitution has been as thoroughly misused as Article 356. So far, State Governments have been dismissed as many as 87 times by invoking Article 356. It only sounds the death knell of the federal structure. Because of this extraordinary power, the Centre behaves like feudal overlord and treats the States as though they are colonies. With Article 356 hanging over the States like Democle's sword, the States are compelled to tow the line of the Centre. While speaking in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said that Article 356 shall be there as a symbol and shall not be used against the States. He further opined that under inevitable circumstances, if a State Government is to be dismissed. Article 356 shall be used only as a last weapon. But the parties in power at the Centre have been misusing Article 356 for dismissing State Governments whimsically. Every political party coming to power at the Centre uses this Article as a primary weapon against the States. Right from 1955 to this day, the Union Government has been threatening the States with invoking Article 356.

Sir, using the same Article, the Centre dismissed the DMK Government, which implemented so many welfare schemes, headed by Dr. Kalaingnar Karunanidhi twice, once in January 1976 and again in January 1991. These are glaring examples of misuse of Article 356. Recently, the U.P. Government was dismissed on 6th December, 1992 on the grounds that it failed to comply with the promises it made before the Supreme Court. But on 15th December, 1992, the Centre dismissed the Governments of M.P., Rajasthan and Himachal Pradesh on flimsy grounds. We could at least make out a case in support of the dismissal of U.P. Government. However, the dismissal of M.P., Rajasthan and Himachal Pradesh Governments was against the very spirit of the Constitution. That is why the Madhya Pradesh High Court

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

has held that use of Article 356 for the dismissal of M.P. Government is not valid for it is contrary to the spirit of that Article. Now, BJP is making hue and cry about the use of Article 356. But when our DMK Goernment was dismissed, the same BJP did not raise its voice in protest. In Tamil there is a saying which means 'wisdom dawns only when one suffers' That is the case with BJP.

But when BJP Governments in three States were dismissed our leader Dr. Kalaingnar, true to his commitment to the principle of federalism, gave a statement condemning the dismissal. I would like to ask this Government. You talk of break down of law and order and Constitutional machinery whenever you invoke Article 356. But what happened in Karnataka under the Chief Ministership of Mr. Bangarappa? Hundreds of Tamils were killed. Their properties worth crores of rupees were destroyed in Karnataka. Again, in Bombay, there were numerous bomb blasts that killed many people and injured thousands. Yet the Centre did not invoke Article 356. Because they have Congress Governments there, they did not dismiss the State Governments. Therefore, I charge this Government of pursuing double standard.

Mr. Vice Chairman, Sir, our DMK has been demanding for decentralisation of powers for over forty years. We have been asking for State autonomy because of this imperialistic attitude of the Centre. In 1974, when our Dr. Kalaingnar was the Chief Minister of Tamilnadu, he appointed a Commission headed by justice Rajamannar to make a thorough study of devolution of powers between the Centre and the States. The Commission also submitted a report on the matter. Again, in that very year a resolution was adopted in the Tamilnadu Assembly demanding autonomy of States. Only on that line today the centre has appointed Sarkaria Commission to spell out the demarcation of powers between the centre and the States. Sir, I recall,, when DMK demanded autonomy for States, it was dubbed by the Congress and some other parties as a demand for separation. Because we believe in national unity and the federal structure, We have been demanding for State autonomy. Only a federal India can remain united. This has been the stand of DMK all along.

That is why DMK has been repeatedly demanding that Article 356 should be abrogated. I am sure, the BJP would have realised at least now how dangerously this Article could be misused. Happily, they have also begun to realise the necessity of federal structure for India. A question is often posed: Whether there could be a Constitution without such emergency powers? The answer is an emphatic 'yes'. In Germany and America they have Constitutions without any such dangerous provisions.

As regards the resolutions seeking extension of President's rule, I am against it. In a democracy, the people should have the right to choose their Government through election. Therefore, election should be held in these states without further delay. But the facts are contrary to the hopes. Because by-election to Ottappalam in Kerala and Palani in Tamilnadu has been postponed by the Election Commission at the instance of the centre for the Congress predicted defeat there. So, we cannot expect the Centre to order election in these four states so soon. Yet, for the sake of democracy I urge upon the Centre to hold election to these states at an early date at least within another six months.

Sir, I have to clarify one thing. Shri Yashwant Sinha, while speaking on the resolutions said that the reason for the inability of DMK to come to power in Tamilnadu is the decline of people's support to our party. That remark is void of any reason. The only reason at that time was the assassination of Rajiv Gandhi. I can say so assertively because, in three Assembly by-elections later, the DMK had won in two with a big margin. This is the fact.

As I conclude, I once again request the Centre to hold election in these four states as soon as possible.

*SHRI V. RAJAN CHELLAPPA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on behalf of AIADMK on the resolutions seeking extension of President's rule in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. Many hon'ble Members said that Article 356 has been invoked nearly 87 times ever since our Constitution came into being. Indeed, the makers of our Constitution provided this Article as a safety valve, a sacred one that ought not to be used at whims. That is why, hon'ble Members of the Constituent Assembly and also Constitutional experts have opined that in the interest of federal democracy, Article 356 should be carefully handled. But the Governments at the Centre have put this Article to disastrous use causing concern to the fabric of federal structure. That is how the Centre dismissed the Governments of Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. Since this decision was against the spirit of federalism, our AIADMK condemned this dismissal. However, we had a different view regarding the dismissal of Uttar Pradesh Government. Because, you had some reasons for that dismissal. You said they failed to fulfil their promise made in the Supreme Court. We all accepted it. But the Centre had no right to dismiss the three other BJP Governments. That decision was atrocious to say the least.

Sir, we have records to prove that in most cases the use of Article 356 was malicious and fraught with political motives. Of course, there are a few cases where use of this Article proved right. For example in 1976, the DMK Government headed by Mr. Karunanidhi was dismissed by the then Prime Minister late Smt. Indira Gandhi. The DMK Government was dismissed on the basis of certain allegations.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): They were baseless allegations.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: The Assembly election that followed, clearly indicated whether the allegations were true or false. If those allegations were baseless, the people of Tamil Nadu would not have accepted the decision of Smt. Indira Gandhi to dismiss the DMK Government. The people of Tamil Nadu in the next Assembly poll elected Dr. M.G.R. as the Chief Minister of Tamil Nadu. But again in 1980, DMK forged an alliance with Congress during Lok Sabha election in which AIADMK could not do well because of Congress DMK alliance. Just after that Lok Sabha election, the Central Government dismissed the popular Government of Dr. M.G.R. in a highly condemnable manner without any valid reason. They said, because of the debacle in the Lok Sabha poll AIADMK had lost its mandate. But the people of Tamil Nadu elected Dr. M.G.R. again in the Assembly election that followed and showed how mistaken was the argument of the Central Government headed by Mrs. Gandhi.

Sir, I wish to give you two examples of use and misuse of Article 356. In 1991, the then Union Government under Mr. Chandrashekar dismissed the DMK Government headed by Mr. Karunanidhi on the grounds that law and order had broken down in the State. In the election that followed, our hon'ble leader Dr. Puratchithalaivi Jayalalitha was elected Chief Minister with a massive mandate. This is because people of Tamilnadu accepted the invoking of Article 356 against the DMK Government.

SHRI V. GOPALSAMY: When you contested alone Ms. Jayalalitha got only 28 seats.

SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Even today AIADMK can contest alone and win the election.

SHRI V. GOPALSAMY: That we will see...

SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Sir, AIADMK is against the use of Article 356. We are for liberal democracy to

the States. That is why our hon'ble Chief Minister Dr. Puratchi thalaivi stated well before the Ayodhya incident that Ram temple should be built along side the Masjid in order to protect the unity and Integrity of the Country. But the Centre turned a deaf ear. Now every one talks of building both, temple and masjid in Ayodhya. That time no one listened to the valuable suggestion of our leader. Had they accepted her suggestion before 6th December India would not have been put to this kind of shame. Just because the Centre has the power to invoke Article 356, it can't take the States for a ride. Then the Centre will be compelled to abrogate this Article. Just as the kite rises higher and higher with the blow of wind, the demand for abrogation of this Article will snowball as you put it to flagrant misuse.

Sir, the irresponsible attitude of the Centre has set a bad example for the Election Commission. Without rhyme or reason the Election Commission goes about cancelling and postponing poll. It is a matter of deep regret that electoral process is being vitiated for political gainst Sir, I once again call upon the Centre to immediately order polls in these four States.

उपसभाध्यक्ष (श्री सिब्ते रजी) : चौधरी हरि सिंह ।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन काल को बढ़ाने के संबंध में विचार हो रहा है । महोदय, यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? यह कदम केंद्रीय सरकार को क्यों उठाना पड़ा कि इन चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो ? महोदय, अगर वहां की स्थिति को गौर से देखा जाए, उस पृष्ठभूमि में हम जाएं तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी थी । उन्होंने अपने कर्त्तव्य से, अपने अमल से यह बात साबित कर दी थी कि न वे किसी कोर्ट का फैसला मानते थे, न नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के किसी आदेश को मानते थे, न उनकी स्वयं की स्वीकृति को मानते थे और न किसी समझौते को मानने को तैयार थे । उपसभाध्यक्ष महोदय, वहां शासन की तो यह हालत हो गयी थी कि दफ्तरों के अंदर बजरंग दल, शिव सेना और आर० एस० एस० के लोग लाल दुपट्टा माथे पर बांधकर त्रिशूल लेकर घुस जाते थे और जो मन में आता था, अफसरों से करवाते थे । वहां अधिकारियों का काम करना कठिन और दुश्वार हो गया था । अधिकारियों ने दफ्तरों में बैठना छोड़ दिया था । और यही नहीं, मेरे पूर्व वक्ता

3.00 P.M.

अभी कह रहे थे कि गवर्नर के राज में ट्रांसफर किए जा रहे हैं । बड़ी उनको शिकायत थी । मैं बड़ी मुस्तैदी के साथ और तर्क के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर छह बार ट्रांसफर किए । यह ट्रांसफर सिर्फ आई० ए० एस० और पी सी एस० अधिकारियों के ही नहीं बल्कि छोटे अधिकारियों से लेकर सब दर्जे के अधिकारियों के ट्रांसफर किए, पुलिस को और यह इसलिए कि उनको मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना था । मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपया ट्रांसफर के लिए भत्ते के रूप में अधिकारियों को खर्चा देना पड़ा । आप कहते हैं कि गवर्नर के राज में ट्रांसफर हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश में तो कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा । जो आर० एस० एस० के पुख्ता लोग हैं, जो राज्य कर्मचारी नहीं हैं, जो आर० एस० एस और बी० जे० पी० के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, जो कमिश्नर हैं, उनमें कलेक्टर हैं, आई० पी० एस० हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, उत्तर प्रदेश में गवर्नर राज में भी, माननीय गृह मंत्री जी, उनके ट्रांसफर नहीं हुए और उलटे यह शिकायत कर रहे हैं ।

महोदय, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, गौतम जी बोलेंगे, बड़े सिपाही हैं, मैं उनके सामने ही कहना चाहता हूं

[चौधरी हरि सिंह]

कि हमारे खुर्जा तहसील, बुलंदशहर के अंदर रायट्स के सिलसिले में छह/सात मुलजिम, जो असली मुलजिम थे, वह पकड़े गए । कर्फ्यू लगा हुआ था। होता क्या है कि कर्फ्यू के बाद भी बजरंग दल के लोग, शिव सेना के लोग, आर. एस.एस. के लोग, बी.जे.पी. के लोग मजमा बन कर, ला एण्ड आर्डर की परवाह न करते हुए, कर्फ्यू लगा है उसकी परवाह न करते हुए, थाने पर चढ़ गए और थाने के दफ्तर को जला दिया, तोड़ दिया और वहां से मुलजिम निकाल कर ले गए । वहां जो अधिकारी थे ए.डी. एम., उनकी पिटाई कर दी, एस.डी.एम. की पिटाई कर दी । अफसोस यह है कि जो वहां का इन्चार्ज कोतवाल था, वह अब भी वहां मौजूद है, और आप कहते हैं कि ट्रांसफर किए जा रहे हैं । मैं शिकायत करता हूं कि यह जो आर.एस.एस. का कोतवाल है, इसको आप हटाइए, माननीय गृह मंत्री जी । वह आज तक नहीं हट पा रहा और शिकायत यह करते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्मूथ फंक्शनिंग हो, तटस्थ एडमिनिस्ट्रेशन चले तो आपको बड़ी ईमानदारी से देखना पड़ेगा कि बी.जे.पी. ने जो वहां कर्म किया जो बड़ा डेन्जर्स है और डैन्जर्स इसलिए है कि आपके शिशु मंदिर क्या करते हैं, आप उनका कैरीकुलम है, जो उनकी शिक्षा है, माध्यम नहीं कह रहा, जो उनका पाठ्यक्रम है, जो उनका इतिहास है, जो पुस्तक है, जो सिविक्स है, उनके लिए तो सारा धर्म और शिक्षा की एक ही मंशा है कि वह फासिस्ट क्रिएट करना । वह राष्ट्रभक्ति के नाम पर मानवता के एन्टी पैदा करते हैं, वह हिन्दू-मुसलमान के बीच एक दीवार दिलों में खड़ी करते हैं बचपन से और बचपन में जो बात डाल दी जाती है, वह आखिर तक रहती है ।

महोदय, बी.जे.पी. के पीरिएड में सब जगह जो भर्ती हुई, माननीय गृहमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं खासतौर पर बताना चाहता हूं कि वहां आर.एस.एस. के लोग, जिनकी ट्रेनिंग कैम्पों में हुई जो काली टोपी लगाए हुए और नेकर पहने हुए रहते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली, उन लोगों की भरती हुई, चाहे वह आल इंडिया रेडियो हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हमारे समाचार पत्र वाले हों, या दूसरे सर्विस क्लर्क हों । फिर आप कहते हैं कि कम्यूनल रायट्स न हों । अगर आपको उत्तर प्रदेश में स्मूथ फंकसनिंग चलानी है तो आपको और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो सफाई ही शुरु नहीं हुई । अभी तो हमारे गृह मंत्री जी ने और सरकार ने हाथ ही नहीं डाला है । मैं आपको एक मिशाल दे रहा हूं कि यहां पर हाथ डाला जाएगा, नहीं तो जनता खुद ही आपरेशन कर देगी, पब्लिक आपका आपरेशन कर देगी । . . . (**व्यवधान**) . . . यह जो आपकी भावना है, कम्युनलिजम राष्ट्र कभी नहीं बन सकता । आप क्या कहते हैं, कल लखनऊ में चुनाव हुए, हमारे गौतम जी, नौनिहाल जी वहां गए, माननीय गृह मंत्री जी कितना अफसोस होता है । मगर मुझे खुशी है, कि कांग्रेस के उम्मीदवार, मेरे शहर के नौजवान, फोर्मर चीफ मिनिस्टर के लड़के, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वह जीते और जो बी.जे.पी. का बड़ा स्ट्रांग केन्डीडेट था विद्या सागर, वह चुनाव हारे और इसलिए हारे कि आइडोलोजी की जीत हुई । मैं कहना चाहता हूं, . . . (**व्यवधान**) . . . आप सुन लीजिए, मुझको यह शिकायत है कि वहां पर आठ एम. पी., उत्तर प्रदेश के छह या सात एम.पी., . . . जो मुख्तलिफ जगहों से राज्य सभा में चुनकर आते हैं, सबको बैकडोर से वहां पर नामिनेटिड मैम्बर बना दिया गया । हरेक का घर उनके अपने जिले में होता है, वहीं वोटर होते हैं, लेकिन इस इलैक्शन को जैसे बी.जे.पी. ने, यह जो बैकडोर की एंट्री की सबको मैम्बर बना दिया वहां का, सबको राह दिखा दी । लिहाजा बी.जे.पी. के सारे राज्य सभा के मैम्बरों ने वहां पर वोट कर दिया । कांग्रेस ने तो नहीं बनाया हरि सिंह को, उत्तर प्रदेश

का मैं भी था, मैं भी बन सकता था। मुझको क्यों नहीं बनाया ? रोज आप चिल्लाते हैं कि रांग वोटर एनलिस्ट हो रहा है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। आपने तो राज्य सभा के मैम्बरों को फर्जी वोटर बना दिया। तो श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र के लिए बड़ी घातक, फेटल, नुकसानदायक भावना है और जैसा मैंने कहा कि यह शिशु मंदिरों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, इसके लिए आपको कमैटी बनानी चाहिए। और यह देखा जाए कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, कमैटी के आधार पर और यह जो पॉजयर्जनस एजुकेशन देने वाले हैं, इसमें एक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और सबके लिए, चाहे वे शिशु मंदिर हो या और कोई स्कूल हों, सबमें एक यूनिफार्म एजुकेशन चलनी चाहिए, और एजुकेशन की मंशा यह होनी चाहिए कि वह अच्छा आदमी बना सके, भारतीय बना सके, सब कुछ बना सके, लेकिन यह मत बनाए कि यह मलेच्छ है, यह तो सैडयूल्ड कास्ट का आदमी है। और तो और आपके शंकराचार्य और वामदेव जी ने कह दिया कि आने वाला शासन जो है, वह तो मनुष्यवृत्ति के अनुसार चलेगा, वर्ण-व्यवस्था फिर चलेगी। गौतम जी, जिस पार्टी में आप हैं, कम से कम यह नौबत तो मत आने दो। ...(व्यवधान)...

डा० नौनिहाल सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं इस बात को करेक्ट करना चाहता हूं कि नौनिहाल सिंह का वहां घर है।

चौधरी हरि सिंह : कोई घर आपका वहां नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका घर किराए का भी हो तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। आपका लखनऊ में कोई घर नहीं है, आपने सिर्फ नाम दर्ज करा लिया है। घर कोई नहीं है। और तो और आपने म्यूनिसिपल कोड में वोट दिया था, जब तो कांफिडेंस आया था बुलंदशहर के अंदर, नगर पालिका के खिलाफ बी.जे.पी. के जो केंडीडेट थे वहां नगर पालिका के बुलंदशहर से, उनको हटाने के लिए हमने कांग्रेस वालों ने रेजोल्यूशन मूव किया, आपने पेटीशन दिया कि मैं यहां का रहने वाला हूं, वह हाई कोर्ट में पैंडिंग है, आपकी दलील है।

DR. NAUNIHAL SINGH: Sir, I am making this statement I have a house...

चौधरी हरि सिंह : मैं भी आपके घर का रहने वाला हूं। आप तो बड़े हाइली एजुकेटिड हैं ...(व्यवधान)...

डा० नौनिहाल सिंह : सर, ऑनरेबल मैम्बर बता दें मेरा घर कहां-कहां है, मैं जानना चाहता हूं ? ...(व्यवधान)... मैं आनरेबल मैम्बर से पूछना चाहता हूं कि मेरा घर कहां-कहां है, आपको मालूम हो तो मुझे बता दें हाउस में।

(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Don't be personal. Mr. Hari Singh, I request you to come to the point. It was just a passing remark.

चौधरी हरि सिंह : अब मैं विकास की बात कहना चाहता हूं।

डा० नौनिहाल सिंह : गौतम जी नहीं थे वहां, इन्होंने यह कहा है कि गौतम जी वोट करने गए हैं।

चौधरी हरि सिंह : विकास की बात कहूं, तो बी.जे.पी. के शासनकाल में 100 में से 25 रुपए भर भी विकास नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मेरे जिले में, जेवर जहांगीर पुर में मैंने शूगर मिल बनवाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, भजन लाल जी यहां मंत्री थे, उसको मैंने मंजूर करवाया, करोड़ों रुपए उस पर लग चुके हैं। लेकिन जब यह शासन आ गया बी.जे.पी. का, उसके बाद से यह शूगर मिल बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई है। हम अनेक चिट्ठियां लिखी मुख्य मंत्री को और उनसे प्रार्थना भी की। वहां के जो एम.एल.ए. और एम.पी. थे, वे भी विरोधी दल के थे, उनसे प्रार्थना भी की कि भाई शूगर मिल तो बनवाओ। यही नहीं, मान्यवर, बदले की भावना से शासन चलाया। जितनी राशन की दुकानें थीं कांग्रेस जनों की सबको बर्खास्त कर दिया गया। नगर पालिका में जो नामिनेटिड

[चौधरी हरि सिंह]

थे कांग्रेस जन, उन सबको एक कलम से बखास्त कर दिया गया । नगर पालिका में 6-6, 9-9 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल पाई थीं ।

यह इनके शासन काल में हुआ । श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि यह इस वक्त हमारे प्रदेशों और दूसरे प्रदेशों के हालात किए, यह बी जे पी० का बड़े धीमे-धीमे यहां चल रहा है और उन्होंने कम्युनलिज्म की एक दीवार खड़ी कर दी है । धर्म व सम्प्रदाय के नाम पर अजीब-अजीब नारे आपको सुनने को मिलेंगे । आज देहात में क्या प्रचार हो रहा है ? मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इनके ऊपर के वातावरण से प्रसन्न मत होइए, जब इनके नारे लगेंगे, हालांकि आप कानून ला रहे हैं, अच्छी बात है । लेकिन जब चुनाव शुरु होंगे और इनके नारे लगेंगे हिन्दु-मुस्लिम के नाम पर, शैड्यूल्ड कास्ट के नाम से, इस नाम से और उस नाम से, तो वह चुनाव कैसा होगा इस मुल्क में, इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसका तसव्वर भी नहीं कर सकते । तो मान्यवर, यह परिस्थिति प्रदेश में है । अभी वहां के हालात ऐसे नहीं है, इसकी अवधि को बढ़ाना चाहिए कांग्रेस पार्टी चुनाव से डरती नहीं है । बड़ी खुशी हुई कि ओबैदुल्ला साहब को बी०जे०पी० के लोगों ने बड़ा हार्दिक धन्यवाद दिया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो वह पार्टी है जो शुरू से दो पोइंट के ऊपर—शैड्यूल्ड कास्ट का वेलफेयर और माइनोरिटीज के लिए कांग्रेस पार्टी का फर्स्ट मैनिफैस्टो, फर्स्ट लीड, जो भी रिजोल्यूशन हो, कांग्रेस पार्टी कभी इन मुद्दों से हटी नहीं । चाहे कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी हों या महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने हिन्दु-मुस्लिम में एकता के लिए अपनी जान की बाजी लाई थी । मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्र के सामने कम्युनलिज्म की आग भड़केगी, कांग्रेस पार्टी के एक नहीं, सैकड़ों नौजवान अपनी जान देने के लिए और इस मुल्क की एकता को बनाए रखने के लिए आगे आयेंगे । यह मैं यकीन के साथ कहता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं कि ओबैदुल्ला साहब कह रहे थे कि बी०जे०पी० से कांग्रेस वाले मिले हुए हैं । उस दिन को आप भूल गए जब उनसे मिलकर वोट मांगने गए थे । आपने उनसे समझौता किया कि वोट हमको देना और कांग्रेस को मत देना, चाहे बी०जे०पी० को दे देना । कम्युनलिज्म को भड़काने की ताकत किसने दी, यह बी०पी० सिंह की पार्टी ने दी । श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि अभी सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं । वहां चुनाव होंगे तो कांग्रेस अवश्य जीतेगी । इन अल्फाज के साथ मैं कहता हूं कि यह समयावधि बढ़ाई जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri N. Giri Prasad. Your party is allotted five minutes. I would request you to complete within that time.

SHRI S. B. CHAVAN: We have to conclude now.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Yes, we are trying to conclude. There are three more names.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I oppose the Resolutions moved by the Home Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): You please try to conclude in time).

SHRI N. GIRI PRASAD: The Statutory Resolutions moved by the Home Minister seeking extension of President's rule under article 356 in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh for another six months, I feel, are a sad commentary on the functioning of our democracy. When the proclamations under article 356 were promulgated in these four States, you may remember, our party supported those motions with the hope that the situation will be brought to normal in the shor-

test possible time and the misdeeds done by the BJP and other fundamentalist forces would be corrected and democratic elections would be held at the earliest opportune time. But our hopes are belied and now we are faced with this motion for extension. I think the same position will arise even after six months. That is my fear. There may not be any possibility for the Government to seek a further extension. The dilemma the Government faces now is not because of any particular situation arising out of the existing situations in these States. This is a political question. I think, the Government, the ruling party is not yet sure of its feet in these four States. Perhaps that may be the reason for seeking the extension of President's rule. During these six months the ruling party could not properly build up its political base which it had lost earlier. They may not be sure of winning elections there. Out of this fear complex they are bringing this resolution for the extension of President's rule. I think the Government has not properly used these six months to bring about normalcy in those States. As far as I know —though I don't belong to those States —I am under the impression through newspapers, through my friends and through my party sources, the minorities are still afraid of their own safety and security. It is true because nothing has changed during these six months. That is why people, especially minorities and weaker sections are afraid of their own security. Because of the particular situation obtaining in those States even extension by another term also may not improve the situation very much. The BJP which had tasted power for some months or some years in those States by using the Hindu card, now also want to use the same card, to come to power. This House also has debated this point many times. We on behalf of our party appealed to them, perhaps all secular parties in this House and elsewhere also appealed to the BJP not to mix up religion with politics. The BJP is under the impression that Hinduism or the name of Rama would help it to come to power. Unless their minds are disabused of this notion that religion will not bring them votes, religion will not bring them power, unless this is established by the secular forces, they will continue to use the same card in the coming elections. I don't know when it will be done because they are also facing the same problems. They are trying to rope in some other secular parties for their own political ends. I don't want to name anybody here. We know that they are strong in those four States. Even by winning elections in those four States again they may not attain power at Delhi. In other States they are not hopeful of winning elections. Without winning many seats outside these four States they will not be able to come here. That is why they are trying to rope in some powerful or politically influential persons, especially in the South, maybe elsewhere also, to be their allies. I would like to caution all the parties on the basis of our experience, not only of our party, not only of other parties but the experience of the country, that when they were weak, of course, they were part of the Opposition. They were fighting against the Government in company with other Opposition parties. To that extent they might have been benefited along with the other Opposition parties because it was all the making of the Congress party which was in power, misusing power and taking up anti-people policies. That was the main reason.

But, from 1986, the Congress party took a different line. The whole trouble started, according to my understanding, when the Congress party, the ruling party, opened the locks of the temple and the mosque. And this has become a political issue in the hands of the BJP. So, only when the BJP does not find allies among other forces, if they are left to themselves, if they are isolated from polititcal forces, then they will realise that they cannot come to power on the basis of the fundamentalist slogan or the religious slogan or the anti-minority slogan, So, it is time for all the secular parties to make them realise that they cannot win these elections on the basis of these slogans. One Member

[Shri N. Giri Prasad]

from the ruling party was suggesting, 'Why should not these secular parties unite?" But they can unite when there is a basis. All these parties are not clear in their attitudes. The Government is not ready to take any concrete action in these four States and, even at the administrative level, they are not taking any concrete steps as regards the Ayodhya problem. No Opposition party and no secular party was taken into confidence when they were referring this matter under article 143 to the Supreme Court for its opinion. We were under the impression that the whole matter relating to the dispute would be referred to the Supreme Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please conclude.

SHRI N. GIRI PRASAD: So, in this background, when political disputes are there, when divergent opinions or policies are there and when the administrative machinery is also misused on many occasions, there is no such possibility. And, lastly, President's rule should not continue the whole of the coming six months. Elections must be held at the earliest opportune time. The Government and the various political parties, all the non-BJP parties, will have to face the electorate. And it is better that the parties, with their own principles and policies, go to the people and seek their blessings. Even if they are defeated in one election, they can win the confidence of the people in future elections. The BJP can be defeated only through political means and the goodwill of the people. The various secular parties may follow different practices, they may have different political approaches, they may not have electoral adjustments, but when they can win the confidence of the people through their respective political stance. I think, the people, if not today, at least tomorrow, will realise it and the democratic norms and functioning of the administration will be restored. Then alone will there be normalcy in the country. Thank you very much, Sir.

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। महोदय, मैं अपनी बात अपने मित्र अदम गौंडवी की दो लाइनों से प्रारंभ कर रहा हूं–

यह गरीबी से हमारी फैसला कुछ जंग थी फिर कहां से बीच में मंदिर व मसजिद आ गए।

कल तलक जो हाशिये पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कलेंडर आ गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अब कलेंडर टंग जायेंगे सारे . . . .

एक माननीय सदस्य : मुकर्रर इर्शाद। . . .

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिब्ते रजी): यह मुशायरा नहीं है, यहां मुकर्रर इर्शाद नहीं हो सकता। आप अपनी तकरीर जारी रखें. . .

श्री राम गोपाल यादव : मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी ने जो रेजलूशन प्रस्तुत किया है उससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि चार-पांच महीने में जब से राष्ट्रपति शासन लागू किया है, अगर लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाता बड़े पैमाने पर जनता को इसमें इन्वाल्व करने की कोशिश की जाती तो जो धर्म के उन्माद के आधार पर फैसले हो जाते हैं उससे लोगों का ध्यान हट सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि सच बात तो यह है कि गवर्नमेंट, खासतौर से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में राष्ट्रपति शासन जिन राज्यों में है उन राज्यों की नौकरशाही मनमाने तरीके से काम कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जो कुछ हुआ उसके लिए भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन्हें दंडित होना चाहिए था उनको इनाम दिया जा रहा है। एस. पी. सिटी को एस. पी. मऊ बना दिया गया, एस. पी. अलीगढ़ को एस. एस. पी. लखनऊ बना दिया। यह उनको इनाम दिया जा रहा है। अभी 30 अप्रैल को हमारे इटावा के कलेक्टर को रिटायर होना था तो एक सप्ताह

के अंदर ही 700 आर्म्स लाइसेंस दे दिये गये। जिस दिन रिटायर होना था डी. एम. को उस दिन 200 लोगों को आर्म लाइसेंस दिया गया। कोई नियंत्रण नहीं है। मनमाने तरीके से काम हो रहा है। सम्भवतः इसीलिए कांग्रेस के लोग भी बहुत छटपटाहट में है। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे एक मंत्री जाते हैं सार्वजनिक रूप से लखनऊ में तो कांग्रेस जनों द्वारा भी उनको अपमानित किया जाता है। ये सारी बातें हैं तो मनमाने तरीके से हो रही हैं। कहीं भी किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं, बी०जे०पी० की सरकार ने तो वैसे ही कोई काम नहीं किया, उस जैसी नकारा सरकारें कभी देश में आई ही नहीं, उनके बारे में मैं क्या कहूं, जो विकास के कार्य पहले से स्वीकृत हैं, अधूरे पड़े हुए हैं उनके लिए धन रिलीज कीजिए। वहां आपकी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट-वे में तो है ही इसलिए विकास के कार्यों को प्रारंभ कराया जाए। दूसरे जिस ओर भंडारी जी ने इशारा किया और यह आमतौर पर कहा जा रहा है कि गवर्नर्स को हटाया जा रहा है, मेरा कहना है यह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रोक्सी से अपना शासन करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कम से कम सरकार को They want to rule the State by proxy.

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

गवर्नर के एडवाइजर को मजबूरन लम्बी छुट्टी पर अकारण, अनावश्यक हस्तक्षेप करके भेजा जा रहा है। इन सारी चीजों पर अगर आप ध्यान दें और लोगों की समस्याओं को वहां का प्रशासन सुने और जो निष्पक्ष किस्म के लोग हैं, जिनकी प्रतिष्ठा ब्यूरोक्रेसी में एक सेक्यूलर स्वरूप बनी हुई है, जिनकी प्रतिष्ठा धर्म निरपेक्ष अधिकारियों जैसी है तो उन लोगों को आप जिम्मेदारी के पदों पर भेजें। तो इस तरह से कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे प्रदेश का माहौल बदल सकता है। आप कह रहे हैं कि वहां चुनाव के लायक स्थिति नहीं है। मैं नहीं समझता ऐसी स्थिति वहां पर है। हालांकि यह भय निराधार है गृह मंत्री जी का। अभी उत्तर प्रदेश में कम से कम चार विश्वविद्यालयों के और एक दर्जन से ज्यादा बड़े महाविद्यालयों के चुनाव हुए हैं उनमें बी०जे०पी० का एक भी पदाधिकारी कहीं से भी चुनकर नहीं आया है।

श्री रामदास अग्रवाल : वह तो आम चुनाव में देख लिया जायेगा। चिंता मत कीजिए।

श्री राम गोपाल यादव : उसके लिए ही हम चाहते हैं शीघ्र चुनाव हों। जो कल लखनऊ में मेयर का चुनाव हुआ उसका परिणाम आपने देख लिया। जो स्वयं भयभीत है कांग्रेस के लोग उनको अपने मन से यह बात निकाल देनी चाहिए। अब स्थिति ऐसी नहीं है कि 5 जून से पहले चुनाव करा सकें इसलिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना कंस्टीट्यूशनली कम्पलसरी है लेकिन साथ ही मैं चाहूंगा कि जितना शीघ्र हो सके कम से कम उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव करा दिये जायें ताकि मथुरा, काशी का जो कुछ उनका नारा है उस पर जनमतसंग्रह यहां से शुरु हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे जो दो मिनट का टाइम दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री रफीक आलम: मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि राम के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन राम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। राम के नाम पर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। राम के नाम पर खून की होली का ड्रामा खेला गया। रावण का नंगा नाच किया गया। राम के नाम पर औरतों के साथ बलात्कार किया गया। मासूम औरतों को नंगा किया गया। सिर्फ यह बात है कि वे भारत की नारियां हैं, भारत में पैदा हुई हैं, चाहे मुस्लिम घराने में पैदा हुई हों या सिख घराने में पैदा हुई हों। इसलिये उनके साथ नागवारी की जाय, यह कहां की सभ्यता है। हिन्दू धर्म ने तो दुनिया को शांति का सबक सिखाया है, प्रेम का सबक सिखाया है। रामचन्द्र जी ने प्रेम का सबक सिखाया है, नफरत का नहीं

[श्री रशीद आलम]

सिखाया है । जिस धर्म में कहा जाता है किसी को मारना पाप है और जिस धर्म में किसी भी इंसान को मारना चाहे वे मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पाप है तो फिर मुसलमानों को मारना कहां का पुण्य है ? राम के नाम पर वोट के लिये सब कुछ करते हैं । लेकिन उनको यह समझ होनी चाहिये कि राम के नाम पर कोई गलत काम मत कीजिये । मुल्क जात-पात, धर्म और मजहब के नाम पर नहीं टूटना चाहिये । हम बड़ी मुश्किल से आजाद हुये हैं । इस मुल्क की आजादी में सब लोगों का हाथ है । उसमें हिन्दू भाई भी है, मुसलमान भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं और क्रिश्चियन भाई भी हैं । सब ने देश को आजादी के लिये योगदान दिया है तब यह मुल्क आजाद हुआ है । इसमें सिर्फ मेजोरिटी का हक है, यह गलत बात है । इस लिये प्रेम को नफरत में मत बदलिये । अभी अभी हमारे कल्याण सिंह जी ने कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को इसलिये तोड़ा कि यह गुलामी की निशानी थी । बताइये, यह कहां की सभ्यता है ? गुलामी की निशानी तो वह पार्लियामेंट हाउस भी है । यह हमने नहीं बनाया है । क्या इसको तोड़ दिया जाय ? क्या राष्ट्रपति भवन को तोड़ दिया जाय ? क्या रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया जाय ? क्या जहाजों को बन्द कर दिया जाय और हम अपने बाप दादाओं के घोड़े और गधे पर चलें ? इस तरह से आप मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं । दुनिया तरक्की के रास्ते पर जा रही है । हमें आप कहां ले जाना चाहते हैं ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि नफरत को मोहब्बत में बदलिये, प्रेम में बदलिये । मुल्क की एकता और अखंडता को बनाये रखिये । आज कश्मीर में प्रोबलम है, पंजाब में प्रोबलम है । ये प्रोबलम किसने पैदा की । न भारतीय जनता पार्टी हिन्दू राष्ट्र का नारा देती तो न सिख खालिस्तान का नारा देते, न काश्मीर के भाई आजाद काश्मीर का नारा देते । इसलिये अपने मफाद के लिये चन्द वोटों के लिये मुल्क को तबाह नहीं करना चाहिये ।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब) : खालिस्तान का नारा सिखों का नहीं, अकालियों का नारा था ।

श्री रशीद आलम : इसलिये जरूरत है कि मुल्क को एक रखिये । आपने ठीक ही कहा है कि इसकी मियाद को बढ़ाया जाय ताकि अमन और चैन से चुनाव हो सके । लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । अभी अभी मेंबरों ने कहा कि हमारी पुलिस के दिमाग में यह बात आ गई है कि जो कुछ भी करेंगे, हमको पकड़ने वाला कोई नहीं है । यह बात उनके दिमाग में तो आ गई है । इस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिये । आज तो हालत यह है कि किसी की भी जान खतरे में है । चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों, सब की जान खतरे में है । इसलिये इस पर गौर करना चाहिये । मैडन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बस को ट्रक ने टक्कर मारी और उसमें दो बच्चे मर गये । वे इस हिन्दुस्तान के बच्चे थे । उस समय लड़कों ने एजीटेशन किया । न आंसू गैस छोड़ी गयी, न लाठी चार्ज किया गया और फौरन फायरिंग कर दी गयी । आखिर जो बच्चे मरे किसके थे ? इस भारत के मरे । हो सकता है कि आगे चलकर वे बच्चे जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद होते । इस तरह से पुलिस का नंगा नाच हो रहा है । इस पर आप जरूर ध्यान दें, उनकी साइकालाजी को चेंज करें कि वह भारत की पुलिस है, किसी विशेष जाति या धर्म की पुलिस नहीं है । वह भारत की पुलिस है और उसका काम है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना । उनका काम यह नहीं है कि बगैर किसी वजह से किसी की जान लेना चाहे वह गरीब ही क्यों न हों, चाहे वह फुटपाथ पर सोने वाले ही क्यों न हों, उनको मारने का अधिकार उनको नहीं है । यह अधिकार उनको कांस्टिट्यूशन नहीं देता

है और न कानून यह अधिकार उनको देता है । अगर कोई ऐसा करता है तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ जरुर ऐक्शन लें ।

दूसरी बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं, चाहे रफीक आलम हो या सिकन्दर बख्त साहब हों या बाल ठाकरे हों । एक शख्स खुले आम कहता है कि मैंने मस्जिद तुड़वाई, मैंने मुंबई में मुसलमानों को मरवाया, अब मुसलमानों को मत मारो, बहुत हो गया । उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है । आखिर यह मुल्क कहां जा रहा है ? मुझे अफसोस इस बात का है कि मुल्क आखिर किधर जा रहा है। अगर रफीक आलम, कोई कहे कि मुल्क के मफाद के खिलाफ है तो क्या हम उसको छोड़ देंगे ? रफीक आलम हो या कोई हो कानून की निगाह में हम सब बराबर हैं । वह चाहे रफीक आलम हो या बाल ठाकरे हों या कोई भी हो । जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा कानून की गिरफ्त से नहीं बचना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जनता सोचती है । अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ दोस्तों ने आजमी साहब को मुबारकवाद दिया । मैं हैरान था कि आखिर यह मुबारकवाद किसलिये दी जा रही है । क्या 1989 को फिर दोहराया जा रहा है ? आखिर मुबारक वाद किस लिये ? मैं मौलाना आजमी को कहना चाहता हूं कि आपने 1989 में हाथ मिलाकर उन्हें यहां तक ला खड़ा किया है । आप जो कर रह हैं उसके लिये बदनाम हमें कर रहे हैं। आप यह सोचिये कि भारतीय जनता पार्टी यह बात अच्छी तरह से जानती है कि उसकी लड़ाई न जनता दल से है न किसी और दल से है, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज हैं । कोई अगर पार्टी है जो हर जगह मौजूद है तो वह कांग्रेस पार्टी है । इसलिये कांग्रेस को अगर हम तोड़ देते हैं, कांग्रेस से अगर लोगों को अलग करते हैं तो हम हुकूमत में आ सकते हैं । इसमें अगर हमारे कुछ लोग खुश होकर कांग्रेस को गालियां देते हैं तो यह खुशी बहुत दिनों की नहीं है । क्या वजह है, यहां होम मिनिस्टर बैठे हुये हैं, क्या वजह है कि जहां-जहां कांग्रेस सरकार थी वहां ज्यादा फसादात हुये और जहां कांग्रस सरकार नहीं थी वहां फसादात कम हुये । यह इसलिये कम हुये कि हमारे आर.एस.एस. के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वे आर्गनाइज्ड लोग हैं, वे जानते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने के लिये बहुत जरुरी है कि हम मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करें । इसलिये जहां जहां कांग्रेस हुकूमत में है वहां मुसलमानों को ज्यादा मारो ताकि मुसलमान आइंदा कांग्रेस को वोट न दें और उसके बाद यह कांग्रेस अपने आप खत्म हो जायेगी . . (**व्यवधान**) . . . इसलिये हम चाहते हैं कि कांग्रेस वाले भी यह सोचें . . (**व्यवधान**) . . . क्या वजह है कि वहां ज्यादा मारे गये । जहां तक ऐक्शन की बात है हमारी सरकार पता ही नहीं कि ऐक्शन क्यों नहीं ले पाती है । आखिर जो भी हो, जिसने भी ज्यादती की हो, जिसने भी मारा हो, उसको सजा मिलनी चाहिये। कानून की निगाह में सब बराबर हैं । हिन्दू भाई हों, सिख भाई हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों या जैन धर्म के लोग हों कानून की निगाह में सब बराबर हैं । इसलिये कानून को इंपलीमेंट करने में मैं होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि, इसमें आपके पांव लड़खड़ायें नहीं, आपके हाथ मजबूत रहें और मजबूती से इसका मुकाबला कीजिये क्योंकि यहां पार्टी का सवाल नहीं है, यह मुल्क का सवाल है । मुल्क आजाद रहेगा तो हम सब आजाद हैं, मुल्क गुलाम होगा तो हम सब गुलाम हो जायेंगे । इसलिये इन ताकतों का मुकाबला कीजिये पोलिटिकल लेवल पर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी ताकि यह मुल्क टूटने न पाये । इन अल्फाज के साथ आपने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार आइंदा मुस्तैद होगी और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में कामयाब होगी जिससे मुल्क एक रहे और मुल्क की एकता बनी रहे । शुक्रिया ।

کے نام نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہم بڑی مشکل سے آزاد ہوئے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں سب لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس میں ہندو بھائی بھی ہیں۔ مسلم بھائی بھی ہیں۔ سکھ بھائی بھی ہیں۔ کرسچن بھائی بھی ہیں۔ سب نے دیش کی آزادی کیلئے بلیدان دیا ہے۔ تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس میں صرف میجورٹی کا حق ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس لیے پریم کو نفرت میں مت بدلیے۔ ابھی ابھی ہمارے کلیان سنگھ جی نے کہا تھا کہ ہم نے بابری مسجد کو اس لیے توڑا کہ وہ غلامی کی نشانی تھی۔ بتایئے یہ کہاں کی سبھیتا ہے۔ غلامی کی نشانی تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہ ہم نے نہیں بنایا ہے۔ کیا اس کو توڑ دیا جائے۔ کیا راشٹرپتی بھون کو توڑ دیا جائے۔ کیا ریلوے لائنوں کو اکھاڑ دیا جائے۔ کیا جہازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور ہم اپنے باپ دادوں کے گھوڑوں اور گدھوں پر کیوں چلیں۔ اس طرح سے آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا ترقی کے راستے پر جا رہی ہے۔ ہمیں آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت کو محبت میں بدلیے۔ پریم میں بدلیے۔ ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کو بنائے رکھیے۔ آج کشمیر میں پرابلم ہے۔ پنجاب میں پرابلم ہے۔ یہ پرابلم کس نے پیدا کی۔ نہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو راشٹر کا نعرہ دیتی تو نہ سکھ خالصتان کا نعرہ

شری رفیق عالم "بہار": میں بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ رام کے خلاف کوئی نہیں۔ لیکن رام کے نام پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ رام کے نام پر بابری مسجد توڑی گئی۔ رام کے نام پر ہولی کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ راون کا ننگا ناچ کیا گیا۔ رام کے نام پر عورتوں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا۔ معصوم عورتوں کو ننگا کیا گیا۔ صرف یہ بات ہے کہ وہ بھارت کی ناریاں ہیں۔ بھارت میں پیدا ہوئی ہیں۔ چاہے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں۔ یا سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں۔ اس لیے ان کے ساتھ ناگواری کی جائے۔ یہ کہاں کی سبھیتا ہے۔ ہندو دھرم نے تو دنیا کو شانتی کا سبق سکھایا ہے۔ پریم کا سبق سکھایا ہے۔ رام چندر جی نے پریم کا سبق سکھایا ہے۔ نفرت کا نہیں سکھایا ہے۔

جس دھرم میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی مارنا پاپ ہے اور جس دھرم میں کسی بھی انسان کو مارنا چاہے وہ مسلمان ہوں۔ سکھ ہوں۔ عیسائی ہوں۔ پاپ ہے تو یہ کہاں کا روں ہے۔ رام کے نام پر ووٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ رام کے نام پر کوئی غلط کام مت کیجیے۔ ملک ذات پات۔ دھرم مذہب

---

†[ ] Transliteration in Arabic Script

دیتے۔ نہ کشمیر کے بھائی آزاد کشمیر کا نعرہ دیتے۔ اس لیے اپنے مفاد کے لیے چند ووٹوں کے لیے ملک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔

شری اقبال سنگھ : خالصتان کا نعرہ سکھوں کا نہیں اکالیوں کا نعرہ تھا۔

شری رفیق عالم : اس لیے ضرورت ہے کہ ملک کو ایک رکھیے۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اس کی میعاد کو بڑھایا جائے تاکہ امن اور چین سے چناؤ ہو سکے۔ لیکن میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ابھی ممبروں نے کہا کہ ہماری پولیس کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ جو کچھ بھی کریں گے۔ ہم کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ان کے دماغ میں آگئی ہے

اس پر سرکار کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ کسی کی بھی جان خطرے میں ہے۔ چاہے اس طرف کے لوگ ہوں یا اس طرف کے لوگ ہوں سب کی جان خطرے میں ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ میڈم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بس کو ٹرک نے ٹکر ماری اور اس میں دو بچے مر گئے۔ وہ اس ہندوستان کے بچے تھے۔ اس سے لڑکوں نے ایجیٹیشن کیا۔ نہ آنسو گیس چھوڑی گئی۔ نہ لاٹھی چارج کیا گیا اور فوراً فائرنگ کر دی گئی۔ آخر جو بچے مرے کس کے مرے۔ اس بھارت کے مرے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے وہ بچے جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد ہوتے۔ اس طرح سے پولیس کا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ اس پر آپ ضرور دھیان دیں۔ ان کی سائیکلاجی کو چینج کریں۔ کہ وہ بھارت کی پولیس ہے۔ کسی دشمن بھائی یا دھرم کی پولیس نہیں ہیں۔ وہ بھارت کی پولیس ہے اور اس کا کام ہے لوگوں کا جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ سے کسی کی جان لیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ فٹ پاتھ پر سونے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کو مارنے کا ادھیکار ان کو نہیں ہے۔ یہ ادھیکار ان کو کانسٹی ٹیوشن نہیں دیتا ہے اور نہ قانون یہ ادھیکار ان کو دیتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف ضرور ایکشن لیں۔

دوسری بات میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ چاہے رفیق عالم ہو یا سکندر بخت صاحب ہوں یا بال ٹھاکرے ہو۔ ایک شخص کھلے عام کہتا ہے کہ میں نے مسجد تڑوائی۔ میں نے بمبئی میں مسلمانوں کو مروایا۔ اب مسلمانوں کو مت مارو بہت ہو گیا۔ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے۔ آخر یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ مجھے

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

تو یہ خوشی بہت دنوں کی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے۔ یہاں ہوم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جہاں جہاں کانگریس کی سرکار تھی وہاں زیادہ فسادات ہوئے۔ اور جہاں کانگریس سرکاریں نہیں تھیں وہاں فسادات کم ہوئے یہ اس لیے کم ہوئے کہ ہمارے آر۔ ایس۔ ایس کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ آرگنائزڈ لوگ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو کانگریس سے الگ کریں۔ اس لیے جہاں جہاں کانگریس حکومت میں ہے۔ وہاں مسلمانوں کو زیادہ مارو تاکہ مسلمان آئندہ کانگریس کو ووٹ نہ دیں۔ اور اس کے بعد یہ کانگریس اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ ..."مداخلت" اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کانگریس والے بھی یہ سوچیں... "مداخلت"... کیا وجہ ہے کہ وہاں زیادہ مارے گئے۔ جہاں تک ایکشن کی بات ہے ہماری سرکار پتہ ہی نہیں کہ ایکشن کیوں نہیں لے پاتی ہے۔ آخر جو بھی ہو جس نے بھی زیادتی کی ہو۔ جس نے بھی مارا ہو۔ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ ہندو بھائی ہوں۔ مسلمان ہوں۔ کرسچن ہوں یا جین دھرم کے لوگ ہیں۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اس لیے قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں میں ہوم منسٹر سے اپیل کروں گا کہ اس میں آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں نہیں۔ آپ کے ہاتھ مضبوط رہیں۔

افسوس اس بات کا ہے کہ ملک آخر کدھر جا رہا ہے۔ اگر رفیق عالم۔ اگر کوئی کہے کے دفعات کے خلاف ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دینگے۔ رفیق عالم ہو یا کوئی ہو قانون کی نگاہ میں ہم سب برابر ہیں۔ وہ چاہے رفیق عالم ہو یا بال ٹھاکرے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا قانون کی گرفت سے نہیں بچنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جنتا سوچتی ہے۔ ابھی ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ دوستوں نے اعظمی صاحب کو مبارکباد دیا۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ ۱۹۸۹ مبارکباد کس لیے دی جا رہی ہے۔ کیا ۱۹۸۹ کو پھر دوہرایا جا رہا ہے۔ آخر مبارکباد کس لیے۔ میں مولانا اعظمی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ۱۹۸۹ میں ساتھ ملا کر انھیں یہاں تک کھڑا کیا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے بدنام ہمیں کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی لڑائی نہ جنتا دل سے ہے نہ کسی اور دل سے ہے۔ کیونکہ یہ ریجنل پارٹیز ہیں۔ کوئی اگر پارٹی ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ کانگریس پارٹی ہے۔ اس لیے کانگریس کو اگر ہم توڑ دیتے ہیں۔ کانگریس سے اگر لوگوں کو الگ کرتے ہیں تو ہم حکومت میں آسکتے ہیں۔ اس میں اگر ہمارے کچھ لوگ خوش ہو کر کانگریس کو گالیاں دیتے ہیں۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

اور مضبوطی سے ا

یہاں پارٹی کا سوال نہیں ہے۔ یہ ملک کا سوال ہے۔ ملک آزاد رہے گا۔ تو ہم سب آزاد ہیں۔ ملک غلام ہوگا تو ہم سب غلام ہو جائینگے اس لیے ان طاقتوں کا مقابلہ کیجیے۔ پالیٹیکل لیول پر بھی اور ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی تاکہ یہ ملک ٹوٹنے نہ پائے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے جو پرستاؤ رکھا ہے۔ میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سرکار مستعد ہوگی۔ اور سامپردایک طاقتوں کو روکنے میں کامیاب ہوگی جس سے ملک ایک رہے اور ملک کی ایکتا بنی رہے۔ شکریہ

ختم شد

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Thulasi Reddy, you have five minutes. So please frame your speech for five minutes. If you can make it three. I will be happy.

*DR NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, 13th May, 1993 is an inauspicious day in the History of India. I thought and expected that this Government would correct its mistake. But to my utter disappointment this Government has come to this Parliament again to ask for extension of the President's rule in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh for a further period of six months. I am really at a loss. These four States constitute 1/3 of the total area of our country. In future if the Congress feels that it has little chances of winning the elections, its government at the Centre may not hesitate to impose emergency in the entire country. This is my apprehension. This party had a very tarnished reputation in the past and that is why I call this day an inauspicious day.

Madam, in the moral stories of panchatantra as retold by Paravastu Chinnayasuri in 'Neethichandri ka Mitralabham' there is a moral that when bad times come a person cannot see an auspicious star like Arundhati, turns a deaf ear to the words of his well wishers as also becomes insensitive to the fragrance of incense sticks. This moral befits the Congress Party. The symptoms of a disease are known even before a person is afflicted by it. A doctor will know about the disease by its symptoms. In the same way when degeneration starts, let it be in an institution or a political party, we come to know about the symptoms before-hand. Now we find such symptoms of degeneration in the Congress party. That is why this party is unable to judge what is right and what is wrong, what is just and what is unjust, what is democratic and what is undemocratic.

Madam, it is the first mistake of this government to issue a proclamation in regard to these states. What was this government doing before the 6th December 1992? When the National Front was in power and Shri V. P. Singh was the Prime Minister he resigned from his post for the sake of communal harmony, for the betterment of the country and for the construction of Ram Janmabhoomi and Babri Masjid. What is the Congress Party doing today? In order to serve their own vested interests and safeguard their power, they joined hands with the BJP and remained inactive till the 6th of December and caused the demolition of Ram Janmabhoomi-Babri Masjid. Not able to face the people of Uttar Pradesh they imposed President's rule in that state. In this way they continued committing mistakes after mistakes. The next step was to impose the President's rule in the other three BJP ruled States i.e. Rajasthan, Madhya

*English translation of the original speech delivered in Telugu.

[Dr. Narreddy Thulasi Reddy]

Madhya Pradesh and Himachal Pradesh on the plea of the disturbed law and order situation.

Let by-gones be by-gones. To err is human and to correct it is a wise-man's step. Mistake has been committed. But my request is that it should be corrected. Atleast the opportunity given by the decision of the Jabalpur High Court quashing the proclamation in force and restoring the dissolved Assembly you have come before the Parliament to extend the President's rule. You are really shameless. The main reason is not communal disharmony or disturbed law and order situation. The position of the Congress Party in these four states is very weak. In these states the Congress Party is facing a lot of infighting. They fear that if at this stage they hold elections they will not be able to save their deposits not to talk of winning the election. So they want to postpone the elections with same unsubstantial excuses like communal disharmony and disturbed law and order situation. But Madam, if they go in for elections they may win atleast a few seats. By not holding elections they are accepting their defeat. This defeat is worse.

You have deprived these states their democratic rights. These states are facing other problems like famine, and water shortage. Whom will they complain to? They do not have their representatives. There is no democratically elected government in any of these states.

So you are betraying these people? Do you want to turn these states also into another Jammu and Kashmir? So, kindy give a second thought. In the interest of the country, your party and also the sanctity of the constitution you should restore the democratic process in these states as early as possible. Opportunity should be given to the people of these states to exercise their democratic rights, by holding elections immediately.

In conclusion Madam, on behalf of the Telugu Desom Party I strongly oppose this dictatorial continuance of Predent's rule in these states.

Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have Mr. P. Upendra and Mr. Jagmohan. Together, you have nine minutes.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): We have to speak together?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know. Within these nine minutes, you have to speak.

SHRI P. UPENDRA: Good enough.

THE DEPUTY CHAIRMAN: These minutes are for you two people.

SHRI P. UPENDRA: Okay.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, the Minister has also to reply.

SHRI P. UPENDRA: Within those nine minutes?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wish it was true.

SHRI P. UPENDRA: Madam Deputy Chairman, I have a feeling that the Congress Party is suffering from a death wish. When we see the events during the last few months, including their ignominous performance day-before-yesterday in the other House, I am fully convinced that the "Pride of Andhra" will be the "Last Pride of the Congress Party."

In December last year, when Mr. Kalyan Singh resigned owing moral responsibility for the events at Ayodhya, the Congress Party made it appear as if there was a constitutional breakdown and dismissed his Government. But after ten days, when they dismissed the three other duly-elected State Governments, even though they had implemeated all the guidelines issued by the Centre, when they dismissed these Goveenments, without any provocation, but only on the basis of tailored reports from the respective Governors, it was a highly undemocratic unconstitutional and arbitrary action. Many parties and many individuals condemned it, though some

parties, out of their animosity towards the B.J.P., and in spite of their consistent opposition to the use of article 356 and their demand for its revocation, supported this arbitrary action at that time. Now they have seen the unjustifiability of it.

In the meanwhile, the judgement of the Jabalpur Bench of the Madhya Pradesh High Court came. It is an unprecedented development in the constitutional history of the country. The court has done a singular service in the cause of democracy and federalism in this country—it was a moral, political and constitutional defeat for the Central Government and a moral victory for the Madhya Pradesh Government.

Madam, we all know, article 356 consistently misused by the Centre particularly when the Congress Party was in power. More than 90 times this was invoked, mostly for political reasons, in the interest of the ruling party at the Centre. Article 356 was intended to be used as an emergency measure. Dr. Ambedkar specifically said, "It would remain as a dead letter." But unfortunately, it has been misused very often. Particularly, in the case of Madhya Pradesh, on the basis of the Governor's report, the Government was dismissed for reasons of law and order, which is extraordinary. If you apply the same standard, I do not think the Congress Governments in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh and Karnataka have a right to continue. Even if you take the track record, the 4 BJP Governments—except perhaps one incident at Varanasi—maintained extremely harmonious communal relations in the States and they had proved that they could maintain the law and order, they could have helped the State powers. If it was only a question of law and order. And the Centre had ample powers. If it was only a question of law and order they could have helped the State Government by sending additional forces, paramilitary forces, etc. At least in this case they could have retained the Assembly. They could have kept it in suspended animation. But they did not do it. There is the Sarkaria Commission's recommendation that whenever article 356 is to be invoked, the Assembly should not be dismissed immediately, it should be kept in suspended animation. Inter-State Council should go into the matter and after the Parliament has approved the proclamation, then only the Assembly should be dissolved. That has also not been implemented.

What is the explanation being given for the extension? If the law and order is bad, it is not congenial, it is not satisfactory, who should take the blame? You have blamed the Kalyan Singh Government for not maintaining law and order, but if you have not been able to improve the law and order situation under your rule of 5 months, then also you have no right to continue there. If you say that law and order is not propitious for holding elections, the blame comes on you. I do not think you are so naive to say that you can improve the communal situation in the country within the next six months. If you think that the communal situation will improve in the whole country in the next six months, you are definitely naive. You are saying that there will be communal conflagration if elections are held. It applies to all the States. How are you holding by-elections in so many States today where communal clashes have taken place? There are no reports today of communal tension except Seshan's observations on Ottapalam. Then what is the reason? The reason is, only your sure defeat. You know, if you hold elections you will be defeated in all the four States and that will set the trend. That is why you want to postpone the elections. There is no other reason. When Rajasthan Governor, Dr. Chenna Reddy, was in Andhra Pradesh recently he specifically said that "if elections are held in all the four States, the BJP will come back to power. Therefore, until the mood of the people is changed the elections should not be held". We know the Congress people are against Dr. Chenna Reddy today. The real intention of Dr. Chenna Reddy is to convey to the people that the BJP is so strong in the North that they will come back to power. So, to camouflage that he has added a sentence, "until the mood of

[Shri P. Upendra]

the people is changed, no elections can be held." (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Upendra, would you leave some time for Mr. Jagmohan?

SHRI P. UPENDRA: I am concluding.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Who was the surgeon who performed the heart transplant?

SHRI P. UPENDRA: By trying to extend the President's rule, the whole democratic process is being circumvented, and attempts are still being made to further postpone the elecions. It is not the end of it. I know a thinking has already started in the Congress Party on how to extend the President's rule after the next six months also. By taking all the cases to the Supreme Court tomorrow, they may come up after six months saying they "the matter is *sub judice* and that since it is a question of restoration of the Governments, we cannot hold elections". I am warning the parties, particularly the left parties and the Janata Dal, without whose support the Constitution cannot be amended. They should be wary of this move also.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): We stand squarely by democracy and secularism.

SHRI P. UPENDRA: Therefore, in the end, Madam, I oppose this Resolution. I ask the Government to see the writing on the wall and hold elections before the six months end.

Thank you.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): As you have directed, I will take very little time.

SHRI R. K. DHAWAN (Andhra Pradseh): Jagmohanji, all along you have been a Congressman.

SHRI JAGMOHAN: I have never been any—"man."

I would like to... (*Interruptions*).

Pardon me, please. The time is already short for me... (*Interruptions*).

Three points I would like to make:

Point number one, what has the Government done with regard to the recommendations of the Sarkaria Commission? When the Commission was appointed, it is, I think, necessary that the Government should take a decision on the Sarkaria Commission recommendations, particularly so far as they relate to the role of the Governor, the role of the Federal Government vis-a-vis the State Governments. This is of crucial importance.

The second point I would like to make is that we must draw a distinction between a breakdown of the Constitutional machinery and that of mere law and order. If there is large scale public disorder, then, there can be a decision for imposing President's rule and for invoking the provisions of article 356. But for a mere law and order problem, there is no justification, in my view. The controversy can be put to rest if the Central Government or Parliament codifies certain principles on which President's rule can be enforced. This is the basic issue involved. Otherwise, this controversy will go on. Today 'X' may be in power. Tomorrow 'Y' may be in power. If we apply this type of principle which is now being applied, then, somebody may be at the receiving end because of the principles.

The third point I would like to make is that the hon. Home Minister, in his statement, has stated that certain elements are being weeded out. It would have been much better if it would have been accompanied by some sort of a statement, to support this contention, on how many persons have been weeded out, on what grounds they have been weeded out and whether the action has been taken in terms of the Government Servants Conduct Rules or some other law. Otherwise, this is too general a statement in my view. So, we have to be very precise and clear.

The last point I would like to make is this. This is my appeal that fairness and justice should never be forgotten. The temporary gain may be of 'X' or 'Y', but democracy means a fair and just government by fair and just means. So, the moment you give an impression that the means are really unfair and unjust, you are creating a very serious situation for the country. It is not a matter of five days, five months or five years. It is a question of setting traditions for the future, setting certain conventions for the future.

Next, suppose tomorrow the Supreme Court says, as the Madhya Pradesh High Court has said, that there is no justification for doing what the Central Government has done. Why should the Central Government put itself in such a situation *vis-a-vis* the three States because there is no large-scale disturbance, there is no breakdown of public order and there is no breakdown of the Constitutional machinery? There is no break-
4.00 P.M. down of the constitutional machinery. So, in these circumstances I find it very difficult to support this proposal. I would suggest that it is in the interest of all that within a reasonable time, say three months or two months of four months, whatever it may be, the election should be held. And if any wrong is being done that should be propagated as a part of the election propaganda of the political parties. If the apprehension is that law and order may go wrong, well, do not under-estimate the powers of the Eletion Commissioner. He is always doing that. If law and order is weak, he is always doing that. So, if law and order becomes weak after the Notification is issued, he will cancel them.

SHRI R. K. DHAWAN: You want these to be cancelled everywhere.

SHRI JAGMOHAN: This is self-contradictory. What our Election Commission is doing and what we are judging here.

SHRI R. K. DHAWAN: The practice that the Opposition Governments should not continue started in 1977.

SHRI JAGMOHAN: That is what I say. Somebody who once did it, was at the receiving end subsequently.

उपसभापति : श्रीमती सत्या बहिन । अगर आप संक्षेप में बोलने का कष्ट करें, तो बड़ी कृपा होगी ।

श्रीमती सत्या बहिन : संक्षेप में ही बोलूंगी और मैं समझती हूं कि इस संकल्प पर बोलने वाली मैं अकेली महिला हूं ।

उपसभापति : महिला या पुरुष का सवाल नहीं है, समय का सवाल है ।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत जो इन चार राज्यों — उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी जो संकल्प लाए हैं, मैं उसका हृदय से समर्थन करती हूं और हर राष्ट्रवादी को, सैकुलर लोगों को इस दिशा में सरकार का समर्थन करना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करती हूं ।

महोदया, 6 दिसम्बर की घटना से पहले वास्तव में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फटेहाल जनता, भिखमंगे लोग, इनसे निजात पाना चाहते थे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने साम्प्रदायिकता की ऐसी आग लगाई, जिससे माहौल एकदम परिवर्तित हो गया, महोदया, इन्होंने जो लोक सभा के साथ इतना बड़ा अक्षम्य अपराध किया, इनको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं । ये हेराफेरी के और खुराफात के मास्टर हैं । गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं । रोज छल-फरेब करते हैं । मैडम, अभी इन्होंने ट्रांसफर के बारे में कांग्रेस की बड़ी आलोचना की है कि कांग्रेस के लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग में लगे हैं..... (**व्यवधान**) ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : चीफ सैक्रेटरी ने कहा है। , यू. पी. के चीफ सैक्रेटरी ने कहा है कि :

"I am not permitting these transfers to be converted. ..."(*Interruptions*).

This is what the UP Chief Secretary has said.

श्रीमती सत्या बहिन : एक वास्तविकता सुन लीजिए। थोड़े धैर्य के साथ सुन लीजिए । मैडम, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में और कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय एक महिला ने उनके लिये एक पत्र लिखा कि ट्रांसफर उद्योग में भारी भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने उस पत्र को अपनी सँस्तुति के साथ डिपार्टमेंट आफ हैवी इण्डस्ट्री के लिए भेज दिया... **(व्यवधान)** ... ।

एक माननीय सदस्य : वह महिला कौन थी ?

श्रीमती सत्या बहिन : वह हमारी कांग्रेस की ही महिला थी, यह भी बात बूं .....**(व्यवधान)**.... । मैडम, इन्होंने ट्रांसफर उद्योग को हैवी इण्डस्ट्री का दर्जा दे दिया। जी हां, हैवी इण्डस्ट्री , लघू उद्योग नहीं, मध्यम उद्योग नहीं, डिपार्टमेंट आफ हैवी इण्डस्ट्री के लिए उस चिट्ठी को मुख्य मंत्री ने मार्क करके भेज दिया। तमाम अखबारों में इसकी चर्चा हुई। यह उस समय की वास्तविकता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। महोदया, यह बड़ी आसानी से भारत के लोगों के साथ मजाक कर सकते हैं । मैं कहना चाहती हूं, सरकार और सभी धर्मनिरपेक्ष लोगों से कि जब भी, माहौल और वातावरण जब भी सामान्य हो और जब चुनाव हों, यह अपना लोकतांत्रिक अधिकार खो चुके हैं और इन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का नैतिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वह कोई राजनीतिक पार्टी हरगिज नहीं कर सकती है । केवल सांप्रदायिक संगठन तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो मर्यादायें हैं.. **(व्यवधान)**

उपसभापति : बोलने दीजिये न आप, उनको ।

श्रीमती सत्या बहिन : लोकतंत्र की जो मर्यादायें हैं, कोई राजनीतिक दल उनका उल्लंघन नहीं करता । महोदया, यह संविधान को नहीं मानते । 6 दिसम्बर को बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी उस दिन इन्होंने मस्जिद गिराकर यह साबित कर दिया कि हम संविधान को नहीं मानते और इनके समर्थक खुलेआम कहते हैं कि हम शासन व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, वर्ग व्यवस्था के हिसाब के मनुस्मृति में संविधान के अनुसार चलायेंगे । ऐसा इनका कहना है और मानना है । मैं यकीन दिलाना चाहती हूं कि उनका यह शेख चिल्ली का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा महोदया, विकास के नाम पर इन्होंने विनाश के अखाड़े अपने शासित राज्यों में बना दिये, विकास का कोई काम नहीं हुआ। मैं बतलाना चाहती हूं कि अदारणीय केसरी जी यहां बैठे हुये हैं । बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर के नाम पर हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने लखनऊ में अम्बेदकर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी । उस विश्वविद्यालय की इतनी उपेक्षा की गई, बार-बार इस सदन में मामला उठाया गया और भाजपा के लोगों को छोड़कर हम सभी लोगों ने यह मामला उठाया । ...**(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम : सबसे ज्यादा तो मैंने उठाया, कम से कम इतना तो सच बोलें ।

श्रीमती सत्या बहिन : फिर भी आपके कहने को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस सरकार आने के बाद अब उसे केन्द्रीय स्तर का दर्जा मिल गया। मैं अपने जिले की बात बताना चाहती हूं कि जब माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने सहकारी कताई मिल की आधारशिला रखी थी, जिससे वहां के पिछड़े वर्गों का और पिछड़े क्षेत्रों में विकास ठीक से हो सके। लेकिन इसके लिये इन्होंने कोई भी धन नहीं दिया और जितनी विकास की योजनाएं, जनकल्याण की योजनायें कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, उन सभी को इन्होंने खत्म कर दिया।

(समय की घंटी)

सबसे ज्यादा दुख की बात और चिंता की बात यह है कि जो उद्दंड लोग थे, जिन्होंने 6 दिसम्बर को अयोध्या में नंगा नाच किया, उनकी तुलना ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले शहीदों से कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। महोदया, कहते हैं कि हमें जनादेश मिला है — मंदिर निर्माण के लिये। जरा यह तो बताइये कि आपको पूरे टोटल वोट का कितना प्रतिशत मिला था? 30 प्रतिशत भी नहीं मिला था. और जो 70 प्रतिशत का कुल चुनाव हुआ था, चाहे वह कांग्रेस के लिये गया हो, चाहे वह जनता दल के लिये गया, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी के लिए गया हो, चाहे वह किसी भी पार्टी के लिये गया हो. वह बेशक साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ था और आपके खिलाफ था। इतने मतदाताओं की और इतनी आबादी की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमें जनादेश मिला है। निरंकुशता के साथ इस तरह की हरकतें करने के लिये और यह खुराफातें करने के लिये क्या यह जनादेश मिला है? यह निश्चय ही एक बहुत निंदनीय काम है और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिये मैं कहना चाहती हूं कि आज समय की पुकार है। अगर राष्ट्र की एकता को बचाना है, राष्ट्र के विकास को दिशा देनी है तो जो भी सेक्युलर ताकतें हैं, वह एक हो जायें और ऐसे लोगों को जो बोतल के भूत हैं, उनको हमेशा के लिये दफन कर दें। आज समय का यही तकाजा है। महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने इतने साल से हुकूमत की है, लेकिन कांग्रेस ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया और न कभी इन लोगों को सिर उठाने का मौका दिया। लेकिन आज जो लोग कांग्रेस को सांप्रदायिक बता रहे हैं, अपने आपको सेक्युलर होने की बात का दावा करते हैं, उन्हीं लोगों के आगे बढ़ाने से, उन्हीं लोगों के ताकत देने से आज यह इतने बड़े विनाश की तरफ गए हैं।.. (व्यवधान) आप अपने गिरेबान में झांककर तो देखिये। महोदया, यह इतिहास बदल रहे हैं। जो यह वर्तमान पीढ़ी है उसके लिये जो जहर उगल ही रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन की मानसिकता को भी किस तरह से ये खराब कर रहे हैं। जो शिशु मंदिर इन्होंने खोले हैं उनमें पाठ्यक्रम बदल दिये हैं। इतिहास के सवालों को इस तरह से विकृत किया जा रहा है जिसे सदन में हम बता भी नहीं सकते.... **(व्यवधान)**

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, बताने के लिये समय दीजिये... **(व्यवधान)**

उपसभापति : देखिये, जब आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं तो सत्या बहिन ने आपको हैरान नहीं किया।

Decency is that you allow her to speak. It is her right to speak what she has to speak. You had your time. Let her speak now. Let her finish so that I can finish the work.

श्रीमती सत्या बहिन महोदया, इनके स्कूलों में, जो इनके अपने स्कूल हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है कि यदि

[श्री ती सत्या वहिन]

एक मंदिर या मस्जिद को तोड़ने में इतने दिन, इतने आदमी लगेंगे तो एक मंदिर या मस्जिद को 6 आदमी कितने दिन में तोड़ेंगे । इस तरह के सवाल इनके पाठ्यक्रमों में हैं । तो आने वाली जनरेशन को ये कहां ले जाना चाहते हैं ?

उपसभापति : सत्या बहिन, आप जरा संक्षेप कर दीजिये तो बेहतर होगा ।

श्रीमती सत्या बहिन : महोदया, इनको हिंदुओं का वोट बैंक दिखाई देता है लेकिन यह भूल जाते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, इस देश की आजादी में, इस देश के विकास में सबका बराबर योगदान रहा है । हिंदू-मुसलमान में लोगों को मत बांटिये । मैं फिर इन लोगों को चेतावनी देना चाहती हूं । अगर इनका यही हाल रहा तो यहां इनके 2 आदमी भी नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । **(व्यवधान)** चुनाव तो होंगे, ही, हमारी पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है । हम सच्चाई पर हैं । आपकी तरह हम धोखेबाजी और छलफरेब नहीं करते ।

मैडम, मैं आखिर में यह कहना चाहती हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात आई हैं तो इन्होंने एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लिया । 'राष्ट्रीय स्वर्यूजवक संघ' का बोर्ड हटाकर 'राम स्वयंसैवक संघ' लिख दिया । 'राष्ट्रीयता से एकदम नाता ही तोड़ लिया और राम से नाता जोड़ लिया । 'राम स्वयंसेवक संघ' बन गये । इनका राष्ट्रीयता से कोई ताल्लुक नहीं रहा । .... **(व्यवधान)**

महोदया, इनके मुख्यमंत्री और मंत्री लोग निकर पहनकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की ड्रेस पहनकर कवायद करते थे । प्रतिबंधित संगठन हो गया, इसके बाद भी कहते थे कि हम तो उस संगठन से जुड़े हुये हैं । यह बहुत अच्छा किया सरकार ने कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया । महोदया, राष्ट्रीयता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वालों को कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिये । मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जल्दी से ये समय जो मिल रहा है, सरकार को चाहिये कि मंदिर और मस्जिद का ये जो मुद्दा इन्होंने खड़ा किया है,उसको समाप्त कर देना चाहिये और इस समस्या का हल एक सामान्य विचार के साथ करना चाहिये । वहां मंदिर भी बना देना चाहिये और मस्जिद भी बना देनी चाहिये लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आयेंगे । महोदया, जब चुनाव आयेगा तो ये जरूर उस सांप्रदायिकता की मशाल को लेकर निकलेंगे । इनको बोतल में बन्द करना बहुत जरूरी है ।

मैडम, मैं आखिर में एक बात कहना चाहती हूं कि 6 दिसम्बर को जहां पर इन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उस विवादित स्थान के स्वामित्व को लेकर ये फिर से लड़ाई करते रहेंगे । इसलिये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उस स्थल को एक धरोहर बना देना चाहिये । मैं तो यहां तक कहूंगी कि उस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब और महात्मा गांधी की प्रतिमाएं लगा देनी चाहिये और उसे राष्ट्रीय स्मारक बना देना चाहिये जिससे राष्ट्र के हरेक वर्ग का हरेक व्यक्ति श्रद्धा के साथ उनको नमन कर सके । जो इनकी पार्टी के भविष्य के. प्लान हैं, जो उत्तर प्रदेश की भूमि को कलंकित करना चाहते हैं, इन पर रोक लगानी चाहिये । इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मडम जब किसी को सजा दी जाती हैं तो उसे सफाई का मौका दिया जाता है । मेरी पार्टी को सजा दी गई, सरकार मेरी पार्टी की थी उसको सत्ता में आने से रोका जा रहा हैं, सजा दी जा रही है । इसलिये सफाई देने का अवसर कम से कम मुझे देना चाहिये । मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात कह दूंगा ।

श्रीमती सत्या बहिन : इनको क्यों बोलने दिया जा रहा है ।

उपसभापति : सत्या बहिन, अगर उनकी पार्टी के 5 मिनट बचे हैं, जो मैंने चैक किया है तो 5 मिनट उनको बोलने दीजिये । आप पौने पांच ही मिनट बोलिये ।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदय, मैं चाहे कितनी दलीलें पेश करूं लेकिन कांग्रेसी और साम्यवादी भाईयों के दिमाग में इसलिये नहीं आ रहा है कि–

> बिगड़ती है जब जालिम की नीयत,
> तो काम नहीं आती दलीलों हुज्जत ।
> सारे प्रमाण फेल हो जाते हैं ।

महोदया प्रेजिडेंट रूल लागू करने के लिए वह परिस्थितियां कहां हैं ? आम तौर पर असुरक्षा हो, बाहर से हमला हो और संविधान की प्रक्रिया असफल हो रही हो । वह सारी परिस्थितियां न तो उस समय विद्यमान थीं और न यहां आज विद्यमान हैं । राष्ट्रपति शासन लगाया गया है केवल राजनीतिक कारणों से, सरकार बरखास्त की गई हैं राजनीतिक कारणों से, विधान सभा भंग की गई राजनीतिक कारणों से । स्वयं जब नरसिंहराव मुख्य मंत्री थे 18 जनवरी 1973 को आंध्र प्रदेश में तो उनकी वहां पर सरकार थी । वह विधान सभा भंग नहीं की गई थी, सरकार बरखास्त की गई । विधान सभायें क्यों भंग की गई कि कांग्रेसी और गैर भाजपाई अन्य सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर भाजपा से अधिक नहीं थी । अगर कहीं मिलाकर ज्यादा हो जाती तो अपनी आदत के अनुसार ये तोड़ फोड़ करके सरकारें बनाते और विधान सभा को भंग नहीं करते । आज भी न तो आंतरिक अशान्ति हैं, न ही प्रदेशों में बाहरी हमला है, न ही संवैधानिक प्रक्रिया असफल हो रही है और न यहां बीमारी है, न सूखा है, न बाढ़ है । फिर यहां चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं ?

मैडम, मैं बात बहुत कहना चाहता था लेकिन संविधान सभा के तीन सदस्यों को दो मिनट में कोट करना चाहता हूं । तज मुल हुसैन साहब ने इसका विरोध करते हुए कहा था :

"I want my hon. friend Dr. Ambedkar to reconsider the matter in the light of what I have suggested and see that the interests of the people are safeguarded. He will see that the proclamation is not issued to crush a party which wants to come to power." He was correct.

Now, I would quote Shri H. V. Kamat.

"Public order has been made a respossibility of the State Government. You say that a State must maintain public order but through a new Article 277-A (now 355), you say that Union Government shall protect every State against internal disturbance. Let us be honest. What are we going to do."

यह बात शिब्बनलाल सक्सेना, पी. एस. देशमुख और पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहकर इस प्रस्ताव का विरोध किया था । तब डा० अम्बेडकर ने क्या कहा था, मैडम–

Now, I would quote Dr B. R. Ambedkar.

"In regard to the general debate which has taken place in which it has been suggested that these Articles are liable to be abused. I may say that I don't altogether deny that there is a possibility of these Artical being abused or employed for political purposes. But that objection applied to every part of the Constitution which gives powers to the Centre to override the provinces...

"....In fact, I share the sentiments expressed by my honourable friend, Mr. Gupte, yesterday that the proper thing we ought to expect is that such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter.

If at all they are brought into operation, I hope the President who is

[श्री संघ प्रिय गौतम]

endowed with these powers will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces.

(i) I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to a province that has erred, that things were not happening in the way in which they were intended to happen in the Constitution."

Last two minutes, Madam.

"(ii) If that warning fails, the second thing for him to do will be to order an election allowing the people to settle matters by themselves."

It is Dr. Ambedkar who said there should be election.

"It is only when these two remedies fail that he will resort to this article."

उपसभापति : संघ प्रिय जी, आपको आपके भाषण के लिए अलग से 5 मिनिट दिए गए थे।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, मैं सिर्फ एक मिनिट लूंगा। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ? है तो प्रेसिडेंट रूल, लेकिन एक कांग्रेस के आदमी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया, एक कांग्रेस के आदमी को इंटरनल सेक्युरिटी का चेयरमैन बना दिया गया, उनको केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

उपसभापति : बस, 5 मिनिट हो गए।

श्री संघ प्रिय गौतम : एक कांग्रेस के आदमी को लीडर आफ दी अपोजीशन बना दिया गया... (व्यवधान)... कानपुर में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हत्यायें हुई, शेड्यूल्ड कास्ट के ए. पी. सी. रमेश चन्द्र को हटा दिया गया और मैडम सार्वजनिक निर्माण विभाग का पैसा रोक दिया गया... (व्यवधान)...

उपसभापति : बस, गौतम जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी आप बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : और सारा दमन हो रहा है। मैडम, कल श्री राजेश पायलट कह रहे थे कि हम सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर के स्टेट्स को ज्यादा आटोनोमी देने जा रहे हैं और आज वे उस आटोनोमी को छीन रहे हैं। मैडम, अभी गृह मंत्रीजी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द जो पहले खत्म हो रहा था, वह कम हो रहा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह पूरी तरह से खत्म न हो जाय।

उपसभापति : बैठिए, संघ प्रिय जी।

श्री संघ प्रिय गौतम : संघ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ वहां तो कतई साम्प्रदायिक सौहार्द खत्म नहीं हुआ ... (व्यवधान)... इसलिए आप अपने इस प्रस्ताव को वापिस लें और चारों सूबों में चुनाव करायें।

मैं आपके इस प्रस्ताव का जोकि दुर्भावना और राजनीतिक कारणों से लाया गया है घोर विरोध करता हूं।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairperson, there has been acrimonious debate on this issue of extension of President's rule in the four States and surprisingly everybody has been quoting Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar did say, and I am aware of the fact, that Article 356 would be used sparingly. But the Constitution-makers did not visualise that there could be political parties who could possibly use religious sentiments for political purposes. If they would have been aware, I am sure, the kind of language they had used would not have been used then. But we are facing a situation where openly the BJP friends are saying that they have the mandate for the construction of the temple. Their manifesto clearly indicates this. The Representation of the People Act is absolutely clear on this point that whosoever invokes religion for political purposes will be disqualified but the only point is after the candidate is declared elected, thereafter nobody can go against that candidate who has used religion for political purposes. This has been proved in a number of cases in Maharashtra where the Shiv Sena candidates had extensively used religion for political purposes.

Hindutva was the main plank and the elections were challenged. There are a number of judgments wherein it is clearly stated that not only the person who has been declared elected should be unseated but also those who have helped him in getting elected. In one case he is also being named and that case is still to be decided. Some hon. Members were making a point that in the case of Uttar Pradesh it was an understandable case. But in the same breath some hon. Members—this may be their honest opinion; I don't challenge their honesty—felt that the subsequent dismissal of the three Governments and the dissolution of Assemblies were not called for. I believe the hon. Members are aware of the fact that this *Hindutva* and the issue of Ram were not confined to Uttar Pradesh only. They were actually extended to all the BJP-ruled States. Are the hon. Members who subscribe to this kind of a view prepared to accept the position that in the demolition of that structure all the people who had gone from other States had not participated? I have full information about it. All these BJP-ruled States are mainly responsible for it. (*Interruptions*)... I have heard you with rapt attention. Kindly don't try to interrupt me and it is not going to have any effect on me. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would request the hon. Members to let the Leader of the House and Home Minister to reply in rapt silence. (*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Those who participated belonged to Andhra Pradesh and Maharashtra. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Satya Prakashji, you are a very senior Member. Please abide by our traditions.

SHRI S. B. CHAVAN: I would like to ask those hon. Members who consider that in the case of Uttar Pradesh it was all right but in the case of other States we should not have done the same, didn't they have the same objective? Didn't they have the same philosophy? Are you still prepared to believe that they were actuated by some other consderations in ruling those States? Are you not aware of the fact that the textbooks have been changed? There have been areas where the *shishu mandirs* have been conducted by these people. A large number of adult education centres have been conducted by them. The entire machinery has been indoctrinated in such a manner that a particular message is being sent to all the people in that area. Is it or is it not a fact? Some hon. Members and that after all, this is a political fight. I understand it. But this is not the only political fight. On the political plane certainly you have to fight this. But at the same time, are you going to give up whatever other means are available If the purging of the administration is necessary, if the purging of all the elements who have entered the body politic is required, if they are to be corrected, are we or are we not going to take those steps? That is exactly what we are doing. I am aware of the fact that we could not take all the steps which were necessary. We do feel that more needs to be done and we are going to do that. We are definitely going to take this line, whether it is to the liking of a particular person or not, and purge the administration of all such elements who, in fact, have been responsible for creating this kind of an atmosphere which ultimately resulted in the destruction of the disputed structure. I never believed, I must bring it to the notice of the House, that a person of the stature of the Chief Minister of a major State could go to the highest judicial body and make an affidavit, not once but thrice and wilfully and deliberately mislead the court, mislead the people, mislead the National Integration Council. Important leaders announced on the floor of the House that protection of the disputed structure is our primary responsibility. On the 6th, at 12 of clock when I heard the news that some of the *kar sevaks* climbed the tomb, fo the first time, we felt that we were helpless in the matter, things have gone to such an extent. Actually we believed a person who is never believable. Unfortunately, I have now come to that conclusion This is a total betrayal of the promise which they had given us. I was surprised

[Shri S. B. Chavan]

when some of the Members went to the extent of comparing these *kar sevaks* who were responsible for the destruction of the disputed structure, with the martyrs of our country. Bhagat Singh is being compared with these people. Bhagat Singh and all other martyrs had sacrificed their lives for the liberation of this country. These people who are, in fact, creating this kind of a dissension among all our people, if they are going to be compared with our martyrs, then, I am sure, even the Constitution-makers will shudder in their graves if they were to know that this is happening in this country. Our friend, Mr. Bhandari, said that the Ram is going to be their. Very good. He also said that the Government has told them to give up religion. Certainly we are not saying that. We are not asking anyone to leave his religion. We are merely requesting you not to mix religion with politics. That is the only thing. That is why the Government has to consider whether after elections or before elections such elements should be prohibited from contesting elections. That is the only issue which we have to consider. I request my friends who believe in the secular polity—of course, everyone, we are not saints here; we are also politicians as you are—nobody should take the position that he is here only for the service of the people. Everybody is interested in having power. You may put it in any manner. Ultimately it is power in which everybody, every party, is interested. But power for implementation of the objective that we have in view. But this is a kind of virus which has attacked this body politic. Are we are or are we not....

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Is it not worse than corruption and to save corrupt persons?

उपसभापति : गौतम जी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था इसका मतलब यह नहीं है कि आप और ज्यादा लिबर्टी का इस्तेमाल करें।

श्री संघ प्रिय गौतम : उधर से भी कर रहे हैं।

उपसभापति : उधर से इन्टरप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इन्टरप्ट नहीं करेंगे तो मेहरबानी होगी।

SHRI S. B. CHAVAN: My request to hon. Members who believe in secular polity will be to kindly apply your mind seriously to consider the future of the country. Of course, we are not going to be permanent here. Everyone of us has to think in terms of the future of the country, whether we would like to have this kind of political atmosphere created in this country wherein there is a total divide between Hindus and Muslims or between different communities. If this situation were to continue, to say that we are going to hold free and fair election is a myth and we will be playing with fire. My request to all the hon. Members is—of course, personal differences are bound to be there and there are people who are having their personal differences with particular persons, I understand it—that if we are actuated by the future of our country, we will have to sink all our differences, come together and first clear this entire body politic of this virus. Then only we have a future. otherwise, socio-economic development is just a slogan. Nobody will be able to do anything. And I don't know whether I should say this, I can't possibly say that this has been a deliberate attempt on the part of some vested interests to see that the socio-economic transformation of the society does not take place. Vested interests have their own game in this and, that is why, every time when this issue comes, somehow I get a feeling that there are people who are interested in seeing that the people's minds are diverted towards some other issues and the main issue is not concentrated upon. That seem to be the main idea and, sometimes, we also fall a prey to such motivation. Madam, there are one or two other issues on which I would like to say something and, that is, about the Sarkaria Commission and the recommendations made about article 356. Hon. Members are aware of the fact that there is the Inter State Council. And in the Inter State Council, there has been

a sub-committee which has been appointed under my chairmanship wherein Chief Ministers and hon. Ministers from the Centre have been appointed. Almost 75 to 80 per cent of the work has been completed. We have been able to dispose of most of the recommendations by now. Now, it is only the financial matters and the emergency provisions that remain. The hon. Finance Minister will have a meeting with the Chief Ministers concerned and, thereafter, this issue will come before the sub-committee. I have requested some of the Chief Ministers to attend that meeting, especially the one relating to article 356, so that we get a real and complete feedback on this important issue as to on what lines we have to think about the future of article 356. The Sarkaria Commission Report and the political use of this article are the matters which everybody talks about whenever it is convenient. But when matters had gone to such a length, if we had not used article 356, we would have committed the greatest blunder in our political life. That is my feeling and, that is why this had to be done. Madam, there was another issue which was raised by one of the hon. Members, and that is, why it is that article 138 (2) was not utilised and only article 143 was utilised. Article, 143 was invoked and the opinion of the Supreme Court has been asked for. Article 138 was relevant because we wanted to have the opinion of the elected Chief Minister of Uttar Pradesh. And he point-blank told us, "I am not prepared to give you consent for invoking article 138 (2)." Now, it has become totally irrelevant because of the fact that we would like to concentrate on the main issue. Most of the property has been acquired. The parties which are going to get compensation will definitely be entitled to it. But, thereafter, all these litigations going to the Supreme Court have no relevance left now and, that is why, article 143 has been utilised so that the main issue is concentrated upon. We hope to get the opinion of the Supreme Court at the earliest and if within six months for which we are asking extension of President's rule, we were to get the opinion of the Supreme Court, I think, the atmosphere can, definitely, be cleared of all the communal virus that we find all round. My only request to the hon. Members will be that, in the meanwhile, we have to concentrate on the development of different areas; at least I have no doubt about it. In all the States where President's rule has been applied, we will have to concentrate on the development of those areas. Unfortunately, most of the States have a huge overdraft, ranging from Rs. 200 crores to Rs. 600 crores. It is a different matter whether it is more or less. In spite of our advice to the State Governments to reduce their Non-Plan expenditure to the barest minimum, we find that there is a huge overdraft. This has to be corrected. We have requested all the State Governments to try to correct the same. Where the nature of the State itself in such that bridging the Non-Plan gap seems an impossibility, being a special category State, then, of course, we are prepared to help it and we have to definitely come to its rescue and see that it gets the amount to which it is entitled. Before the Tenth Finance Commission, this issue will be pointedly put so that financial relief as called for will be recommended by the Finance Commission.

There are a number of other issues which were raised. One of them which was stated by Shri Ram Naresh Yadav was about the arrears in respect of sugarcane growers. I believe almost Rs. 1200 crores were paid by now and these Rs. 1200 crores also consisted of the old arrears of 1992-93 and the current arrears. There may be Rs. 80 crores or Rs. 85 crores which are still left and by the end of this month, these arrears will also be cleared.

I may also say that Dr. Ambedkar University has been established. Though I am aware of the fact that no budgetary provision is made, during this year when we go for Supplementary Demands, necessary provision will be made and this

[Shri S. B. Chavan]

University will not languish for lack of funds.

Availability of fertilisers will be taken care of and I don't think there will be any problem on this issue. I think these are the only issues on which I thought I should clarify the position.

About the amendments given by the hon. Members, I request them to read Article 356(4) which provides for a six months' extension at a time unless it is revoked earlier. They have given amendments ranging from one month to three months. They have given amendments that it should be one month only, it should be three months only. One month, of course, is out of question. Even in three months, because of the coming rainy season, I don't think it is possible to conduct elections. If the hon. Members read Article 356(4), they will be convinced that it provides for a six months' extension at a time. That is why, I request them to withdraw their amendments. If they don't want to withdraw, then, I request the hon. Members on this side to defeat the amendments. Now, I request the House to pass the Resolutions.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, क्या मैं एक मिनट ले सकता हूं। अगर इजाजत हो तो। मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। . . . **(व्यवधान)** मैं कोई भाषण नहीं करूंगा. . . **(व्यवधान)** आपसे वायदा करता हूं।

†[شری سکندر بخت : صدر صاحبہ -
کیا میں ایک منٹ لے سکتا ہوں -
اگر اجازت ہو تو میں دو منٹ سے
زیادہ سمے نہیں لونگا- . . (مداخلت)
میں کوئی بھاشن نہیں کرونگا
. . . (مداخلت) . . . آپ سے وعدہ
کرتا ہوں -]

उपसभापति : भाषण नहीं कर रहे हैं। बोलने दीजिए।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिबा, मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि एक दफा फिर उनके भाषण को सुनने का मौका मिला, जो कई बार हम यहां सुन चुके हैं। मेरा कहना यह है कि 6 महीने से आपकी सरकारें चल रही हैं। इन 6 महीनों के अंदर कौन से नये आफताब तुलू हुए हैं। उन आफताबों का जिक्र होता तो अच्छा था। जो वक्त गया वह तो गुजर गया।

रात का न जिक्र कर रात तो गुजर गई,
हो सहर तो यह बता रोशनी किधर गई।

इन 6 महीनों में क्या किया, एक बात तो मुझे यह अर्ज करनी थी।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता था कि हमारी चार सरकारों को जिस वक्त बर्खास्त किया गया तो यूनीवर्सल उसकी मज्जमत हुई। होम मिनिस्टर साहब उसी गलती को फिर दोहरा रहे हैं। उसके लिये मैं यह कहूंगा कि–

हुये तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका
आसमां क्यों हो।

मुझे कहना सिर्फ इतना ही है। जाहिर है होम मिनिस्टर साहब, एक सियासी मकसद से यह रेजोल्यूशन लाये गये हैं। भरा कहना यह है कि फिर चिल्मन से क्यों लगे बैठे हैं, सफाई के साथ सामने क्यों नहीं आते हैं। यह जो दलीलें दी गई हैं यह दलीलें तो सिर्फ ऐसी हैं कि जो सिर्फ इन चार प्रांतों पर लागू होती हैं और कहीं लागू नहीं होती। यह जो एब्स्टेन किये जाने के लिये हमने यह फन चिल्मन से लगे बैठे रहने का अख्तियार किया था आज भी उस फन को अख्तियार कर रहे हैं। भरी गुजारिश यह है कि–

खूब पर्दा है चिल्मन से लगे बैठे हैं,साफ
छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

सफाई के साथ कहिये कि आपकी सियासी जरूरत है जिसके लिये आप यह रेजोल्यूशन लेकर आये हैं। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा हजूरेवाला, हमारे मोहतरम दोस्तों को एक खास मखसूस मौज पर

बात करते रहने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा है, बड़े शौक से कहें (**व्यवधान**) मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन कोई नयी बात कहें और यह बतायें कि इन 6 महीनों के अन्दर उन सूबों के अन्दर आपने क्या किया जहां हम अपनी सरकारें चला रहे हैं । इसलिये सदर साहेबा, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इन रेजोल्यूशंस को एक सियासी खेल मानता हूं, गैर जरूरी मानता हूं, हिन्दुस्तान के फेडरल तस्सवुर के तकाजों के खिलाफ मानता हूं । इसलिये भारतीय जनता पार्टी इन रेजोल्यूशंस के खिलाफ मज्जमत करते हुये एहतजाजन वाक आऊट करती है ।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the amendments moved by Shri Sunder Singh Bhandari and Shri Satya Prakash Malaviya to vote. Yes, Mr. Bhandari. Not here. Yes, Mr. Malaviya.

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ میں ہوم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر ان کے بھاشن کو سننے کا موقع ملا۔ جو کئی بار ہم یہاں سن چکے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ٦ مہینے سے آپکی سرکاریں چل رہی ہیں۔ ان ٦ مہینوں کے اندر کون سے نئے آفتاب طلوع ہوئے ہیں۔ ان آفتابوں کا ذکر ہوتا تو اچھا تھا۔ جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا۔

رات کا نہ ذکر کر رات تو گزر گئی
ہے سحر تو یہ بتا روشنی کدھر گئی

ان ٦ مہینوں میں کیا کیا۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری چار سرکاروں کو جس وقت برخاست کیا گیا تو یونیورسل ان کی مذمت ہوئی۔ ہوم منسٹر صاحب اسی غلطی کو پھر دوہرا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں کہوں گا کہ۔

"ہوئے تم دوست جس کے دشمن اسکا آسماں کیوں ہو"

مجھے کہنا صرف اتنا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہوم منسٹر صاحب۔ ایک سیاسی مقصد سے یہ رزولوشن لائے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ پھر چلمن سے کیوں لگے بیٹھے ہیں۔ صفائی کے ساتھ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں۔ یہ جو دلیلیں دی گئی ہیں یہ دلیلیں تو صرف ایسی ہیں۔ کہ جو صرف ان چار پرانتوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ اور کہیں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ایمپسٹین کیے جانے کے لیے ہم نے یہ فن چلمن لگے بیٹھے رہنے کا اختیار کیا تھا آج بھی اس فن کو اختیار کر رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ۔

خوب پردا ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں
صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

† [] Transliteration in Arabic script.

Shri S. B. Chavan)

صفائی کے ساتھ کہیے کہ آپ کی سیاسی ضرورت ہے جس کے لیے آپ یہ رزولوشن لے کر آئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا حضور والا۔ ہمارے محترم دوستوں کو ایک خاص مخصوص موضوع پر بات کرتے رہنے کا بہت شوق ہے۔ بہت اچھا ہے۔ بڑے شوق سے کہیں "مداخلت"... میں ختم کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی بات کہیں اور یہ بتائیں کہ ان ۶ مہینوں کے اندر ان صوبوں کے اندر آپ نے کیا کیا جہاں ہم اپنی سرکاریں چلا رہے ہیں۔ اسلیے صدر صاحبہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان رزولوشنس کو ایک سیاسی کھیل مانتا ہوں۔ غیر ضروری مانتا ہوں ہندوستان کے فیڈرل تصور کے تقاضوں کے خلاف مانتا ہوں۔ اس لیے بھارتیہ جنتا پارٹی ان رزولوشنس کے خلاف مذمت کرتے ہوئے احتجاجاً واک آؤٹ کرتی ہے۔

"ختم شد"

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभापति महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है, इस इरादे से रखा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना लोकतंत्र की हत्या है और आम आदमी के अधिकारों का हनन है । गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात की जरा भी चर्चा नहीं की कि आखिर 6 महीने से अधिक क्यों राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा रहा है । दिसम्बर के महीने में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और विधान सभा भंग हुई थी तो उसके कारणों को बतलाया गया लेकिन अब क्यों सरकार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने जा रही है इसके बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है । संविधान में इस बात की व्याख्या की गई है कि जब संवैधानिक तरीके से कोई राज्य सरकार न चल सके तो सरकार राष्ट्रपति शासन लाग् कर सकती है । आज भी जब वहां पर राज्यपाल का शासन है, पिछले पांच महीने से राष्ट्रपति का शासन है तो इसकी कोई भी वजह दिखाई नहीं देती कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए । इसलिये मैं मांग करता हूं कि तुरन्त जो सीमा निर्धारित की गई है उसके अन्दर चुनाव कराये जाने चाहिएं । जनप्रतिनिधियों की सरकार बने और वहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन हो ।

उपसभापति : आप विदड्रा कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं प्रेस कर रहा हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put both the amendments, that is, amendment No. (i) of Shri Sunder Singh Bhandari and amendment No. (vii) of Shri Satya Prakash Malaviya to vote.

The question is:

(i) "That in the Resolution No. 1 regarding the State of Uttar Pradesh, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted*."

The question is:

(vii) "That in the Resolution No. 1 regarding the State of Uttar Pradesh, *for* the words "six months", the words "one month" be *substituted*".

The motions were negatived

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Resolution in respect of the

State of Uttar Pradesh moved by Shri S. B. Chavan to vote.

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 6th December 1992, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Uttar Pradesh, for a further period of six months with effect from the 6th June, 1993."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall not put amendment No. (viii), moved by Shri Satya Prakash Malaviya, to vote.

The question is:

(viii) "That in the Resolution No. 2 regarding the State of Madhya Pradesh *for* the words "six month. the words "one month" be *substituted.*"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution in respect of the State of Madhya Pradesh moved by Shri S. B. Chavan to vote.

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Madhya Pradesh, for a further period of six months with effect from the 15th June, 1993."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. (iii) by Shri Sunder Singh Bhandari and Amendment No. (ix) by Shri Satya Prakash Malaviya, to vote.

The question is:

(iii) "That in the Resolution No. 3 regarding the State of Rajasthan, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted.*"

The question is:

(ix) "That in the Resolution No. 3 regarding the State of Rajasthan, *for* the words "six months" the words "one month" be substitude."

The motions was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution in respect of the State of Rajasthan, moved by Shri S. B. Chavan, to vote:

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Rajasthan, for a further period of six months with effect from the 15th June, 1993."

The motions was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment No. (iv) by Shri Sunder Singh Bhandari, Amendment No. (v) by Shri Krsshan Lal Sharma, and Amendment No. (x) by Shri Satya Prakash Malaviya to vote.

The question is:

(iv) "That in the Resolution No. 4 regarding the State of Himachal Pradesh, the words "six months". the words "three months" be *substituted.*

The question is:

(iv) "That in the Resolution No. 4 regarding the State of Himachal Pradesh, *for* the words "six months" the words "two months" be *substituted.*"

the question is:

(x) "That in the Resolution No. 4 regarding the State of Himachal Pradesh, *for* the words "six months", the words "one month" be *substituted.*"

The motions were negatived

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Statutory Resolution in respect of the State of Himachal Pradesh, moved by Shri S. B. Chavan to vote.

The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 15th December, 1992 under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Himachal Pradesh, for a further period of six months with effect from the 15th June, 1993."

The motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Special Mentions, Shri Bhupinder Singh Mann—not present. Shri V. Narayanasamy. (*Interruptions*) Those who are walking out should walk out very quietly; Let Mr. Narayanasamy speak.

Need to accord Special Category Status to the Union Territory of Pondicherry

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam Deputy Chairman, thank you for giving me this opportunity to raise a very important issue. This is about special category status for the Union Territory of Pondicherry.

Madam, after the accession of Pondicherry to the Indian Union and its becoming a Union Territory, after 1954, there was an agreement signed between the French Government and Pandit Nehru to the effect that the French culture that was prevailing in Pondicherry would continue and that the people who were of French origin, living in Pondicherry, would be given a special status. Not only that, Madam, There is a demand from time to time that the Union Territory status should be removed and that Pondicherry should be given the Statehood. The population at that time was about seven lakhs. Now it has increased. Now, population is considered to be the criterian for considering this.

Madam, in Pondicherry now we have better road facilities, better railways and also airways. Not only that. About 98 per cent of our agricultural lands are being utilised. And industrial development is also taking place. The Finance Minister, in his Budget speech, was kind enough to declare tax holiday for the State of Pondicherry. Pondicherry is one of the best tourist spots because Pondichery itself was designed by a Franchman.

The Legislative Assembly of Pondicherry every year has passed a Resolution to the effect that Pondicherry should be given Statehood because of the peculiar circumstances under which the Statee has been placed. We have the State Legislature under the Union Territories Act. Not only that. The Lieutenant Governor is the Administrator of the State. In other Union Territories like the Andamans and Nicobars, Lakshadweep and Delhi, though there are Administrators, the State Legislature is not there. There is generally a clash of interests whether the Administrator is supreme or the State Legislature is supreme. Administrator plays the role of giving advice to the Council of Ministers. Under the Union Territories Act, the powers of the State Legislature and the Governor have not been fully defined. Therefore, there is a clash of interests and powers, and this leads to administrative problems in the State. Last year, in 1992, the State Legislature unanimously passed a Resolution to the effect that Statehood should be given to the Union Territory of Pondicherry. I would like to submit before this august House that when Rajivji, our great leader, was the Prime Minister of the country, the demand was raised by me and also by the State Government and he had stated that while considering the Statehood for Delhi, Pondicherry also will be considered. We have been waiting in the wings for getting Statehood for our State but it has been delayed. Whenever I put a question in this august House, the hon. Home Minister replies that it is under the consideration of the Government and that the Government has not taken any decision in the matter of giving Statehood to Pondicherry. There has also been a demand from the Government employees of the State that this status should be given to the Union